



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10092025-266050
CG-DL-E-10092025-266050

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 567]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 9, 2025/भाद्र 18, 1947

No. 567]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 9, 2025/BHADRA 18, 1947

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2025

सा.का.नि. 611(अ).— निम्नलिखित मसौदा नियम, जिन्हें केन्द्रीय सरकार दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त मसौदा नियमों पर उस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा जिस तारीख से सरकारी राजपत्र में यथाप्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां सर्वसाधारण को उपलब्ध कराई जाती हैं;

यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो संयुक्त सचिव (दूरसंचार), दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार, संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 को भेजा जा सकता है;

केन्द्रीय सरकार द्वारा उपर्युक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त मसौदा नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर विचार किया जाएगा।

अध्याय 1: प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (1) इन नियमों को दूरसंचार (विविध दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के लिए प्राधिकरण) नियम, 2025 कहा जाएगा।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- (3) ये नियम भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) के अधीन की गई कार्रवाइयों के निवंधनों और शर्तों को अधिभूत नहीं करेंगे, जिनमें भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (1885 का 13) के अनुसरण में किए गए लाइसेंस, पंजीकरण या अनुमति, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जारी करना शामिल है, जो अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अनुसार जारी रहेंगे।

2. परिभाषाएं

- (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "एक्सेस सेवा" का अर्थ है, वायरलाइन या वायरलेस दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से ध्वनि या गैर-ध्वनि संदेशों के संप्रेषण के लिए प्रयोक्ताओं को प्राधिकृत इकाई द्वारा प्रदान की गई दूरसंचार सेवा, और "वायरलाइन एक्सेस सेवा" और "वायरलेस एक्सेस सेवा" शब्दों को तदनुसार समझा जाएगा;

(ख) "एक्सेस स्पेक्ट्रम" से अभिप्रेत है प्रयोक्ता टर्मिनल (यूटी) और बेस स्टेशन के बीच ध्वनि या गैर-ध्वनि संदेशों के संप्रेषण के लिए प्राधिकृत इकाई को सौंपा गया स्पेक्ट्रम;

(ग) "अधिनियम" से दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) अभिप्रेत है;

(घ) "प्राधिकरण शुल्क" से इन नियमों में निर्दिष्ट प्राधिकरण की अवधि के लिए दरों और अंतरालों पर प्राधिकृत इकाई द्वारा देय शुल्क से अभिप्रेत है;

(ङ.) "प्राधिकृत एजेंसी" का अर्थ है: (i) संदेशों के अवरोधन के लिए, दूरसंचार (संदेशों के बैध अवरोधन के लिए प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) नियम, 2024 के तहत परिभाषित प्राधिकृत एजेंसी; और (ii) किसी अन्य उद्देश्य के लिए, केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित एजेंसी;

(च) "बेस स्टेशन" से अभिप्रेत है एक निश्चित रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर स्टेशन, जो प्रयोक्ता टर्मिनल और कोर दूरसंचार नेटवर्क के बीच एक लिंक प्रदान करता है;

(छ) "प्रसारण सेवाओं" से अभिप्रेत है स्थलीय या उपग्रह संचार माध्यम या दोनों के संयोजन के माध्यम से किसी भी कार्यक्रम का प्रसार, जिसे प्रयोक्ताओं द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जाना है, और इसके सभी व्याकरणिक रूपांतरों और सजातीय अभिव्यक्तियों को तदनुसार समझा जाएगा;

(ज) "कॉल" से अभिप्रेत दूरसंचार के माध्यम से स्थापित कनेक्शन से है जो ध्वनि संचार को सक्षम बनाता है;

(झ) "कैप्टिव दूरसंचार सेवाएँ" का अभिप्राय दूरसंचार (कैप्टिव दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के लिए प्राधिकरण) नियम, 2025 के तहत चिन्हित और प्राधिकृत कैप्टिव दूरसंचार सेवाओं से है;

(ज) "मुख्य दूरसंचार सुरक्षा अधिकारी" से अभिप्रेत है दूरसंचार (दूरसंचार साइबर सुरक्षा) नियम, 2024 के नियम 6 के तहत नियुक्त मुख्य दूरसंचार सुरक्षा अधिकारी;

(ट) "क्लाउड-होस्टेड दूरसंचार नेटवर्क (सीटीएन) प्रदाता" का वही अर्थ होगा जो दूरसंचार (दूरसंचार नेटवर्क के लिए प्राधिकरण) नियम, 2025 में दिया गया है।

(ठ) "कंपनी अधिनियम" का अभिप्राय कंपनी अधिनियम, 1956 या कंपनी अधिनियम, 2013 से है, जैसा भी मामला हो;

(ड) "कोर दूरसंचार नेटवर्क" से अभिप्रेत है दूरसंचार उपकरणों की एक प्रणाली या प्रणालियों की शृंखला से है, जो दूरसंचार नेटवर्क के विभिन्न भागों के बीच दूरसंचार ट्रैफिक के प्रवाह को नियंत्रित करने और मार्ग निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है और कनेक्टिविटी, मार्ग निर्धारण, गतिशीलता प्रबंधन, प्रमाणीकरण, प्राधिकरण, प्रयोक्ता

प्रबंधन, नीति प्रबंधन, दूरसंचार नेटवर्क के एक्सपोजर का प्रबंधन और एप्लिकेशन प्रोग्राम इंटरफेस (एपीआई) की सर्विसिंग सहित कई आवश्यक कार्यों को संभालती है।

- (द) “एफेक्टीव डेट” का अभिप्राय प्राधिकरण में निर्दिष्ट तिथि से है जो प्राधिकरण की प्रभावी तिथि है;
- (ए) “प्रवेश शुल्क” का अभिप्राय है प्राधिकरण के सेवा क्षेत्र में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकरण प्रदान करने के लिए भुगतान की जाने वाली अप्रतिदेय शुल्क राशि है;
- (त) “अप्रत्याशित घटना” से अभिप्रेत है निधियों की अनुपलब्धता के अलावा किसी भी कारण या घटना से है, जो ऐसी घटना से प्रभावित होने का दावा करने वाली प्राधिकृत इकाई द्वारा गैर-निष्पादन या प्रदर्शन में देरी का कारण बनता है, जो हैं:
 - (i) ऐसी इकाई के उचित नियंत्रण से परे, तथा ऐसी इकाई द्वारा प्रत्याशित या पूर्वानुमानित नहीं किया जा सकता था, तथा ऐसी इकाई के कहने पर नहीं लाया गया था, या
 - (ii) जो, यदि प्रत्याशित या पूर्वानुमानित होता, तो ऐसी इकाई द्वारा टाला नहीं जा सकता था।
- “अप्रत्याशित घटनाओं” की उदाहरणात्मक सूची में प्राकृतिक घटनाएं या आपदाएं या ईश्वर का कोई कृत्य, भूकंप, तूफान, बाढ़, आग, विस्फोट, घोषित या अघोषित युद्ध, शत्रुता, आक्रमण, नाकाबंदी, सार्वजनिक दुश्मन के कृत्य, तोड़फोड़, दंगे, हड़ताल, विद्रोह, नागरिक गड़बड़ी, राज्य का कार्य या वैधानिक प्राधिकरण का निर्देश, संगरोध प्रतिबंध, हड़ताल और तालाबंदी (जो प्राधिकृत इकाई के प्रतिष्ठानों और सुविधाओं तक सीमित नहीं हैं) शामिल हैं।
- (थ) “प्रत्यक्ष विदेशी निवेश” या “एफडीआई” से अभिप्रेत है विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-लिखत ऋण) नियम, 2019 के नियम 2 के पैराग्राफ (आर) के तहत परिभाषित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश;
- (द) “फार्म” से अभिप्रेत है केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट प्रपत्र से है;
- (ध) “उपग्रह द्वारा वैश्विक मोबाइल व्यक्तिगत संचार (जीएमपीसीएस) प्रणाली” का अभिप्राय किसी भी उपग्रह प्रणाली से है जो स्थिर या मोबाइल, ब्रॉड-बैंड या संकीर्ण-बैंड, वैश्विक या क्षेत्रीय, भू-स्थिर या गैर-भू-स्थिर, मौजूदा या नियोजित है जो एकल या उपग्रहों के समूह से सीधे अंतिम प्रयोक्ताओं को दूरसंचार सेवाएं प्रदान करती है, और ‘जीएमपीसीएस नेटवर्क’ और ‘जीएमपीसीएस सेवा’ वाक्यांशों की तदनुसार व्याख्या होनी चाहिए;
- (न) “होम नेटवर्क” का अभिप्राय किसी इकाई द्वारा अपने सेवा क्षेत्र में स्थापित दूरसंचार नेटवर्क से है;
- (प) “इंटरनेट” एक वैश्विक प्रणाली है जो:
 - (क) इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपी) या इसके बाद के संवर्द्धनों या अपग्रेडशनों के आधार पर, वैश्विक रूप से युनिक एड्रेस द्वारा तार्किक रूप से एक साथ जुड़ा हुआ है; और
 - (ख) ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल/इंटरनेट प्रोटोकॉल (टीसीपी/आईपी) सूट या इसके बाद के संवर्द्धनों/अपग्रेडशनों और अन्य सभी आईपी संगत प्रोटोकॉल का उपयोग करके संचार का समर्थन करने में सक्षम है;
- (फ) “इंटरनेट ऑफ थिंग्स” या “आईओटी” से अभिप्रेत है इंटरनेट पर एमटूएम संचार;
- (ब) “इंटरनेट सेवा” इंटरनेट तक पहुँचने वाली एक प्रकार की दूरसंचार सेवा है;
- (भ) “लेटर ऑफ इंटेंट” या “एलओआई” से अभिप्रेत है नियम 9 के उपनियम (2) के अंतर्गत जारी पत्र;
- (म) “लाइसेंस” का अभिप्राय है दूरसंचार सेवाओं या दूरसंचार नेटवर्क के प्रावधान के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत दिया गया लाइसेंस, पंजीकरण या अनुमति, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो और “लाइसेंसधारी” शब्द का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;
- (य) “लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क” या “एलपीडब्ल्यूएन” एक प्रकार का वाइड एरिया नेटवर्क है जो कम-शक्ति वाले उपकरणों को बड़ी दूरी पर वायरलेस कनेक्टिविटी प्रदान करता है जो एमटूएम संचार के लिए उपयुक्त है;

- (कक) “मशीन टू मशीन (एमटूएम) संचार” दो या दो से अधिक उपकरणों के बीच दूरसंचार का एक प्रकार है जिसमें किसी प्रत्यक्ष मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है;
- (खख) "मशीन टू मशीन (एमटूएम) सेवा" का अर्थ है मशीन टू मशीन (एमटूएम) संचार का उपयोग करने वाली एक प्रकार की दूरसंचार सेवा;
- (गग) “मुख्य दूरसंचार सेवाएँ” से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 4 के उपनियम (2) में सूचीबद्ध दूरसंचार सेवाएँ;
- (घघ) “विलय नियम” से अभिप्रेत है दूरसंचार (प्राधिकृत इकाइयों के पुनर्गठन या अधिग्रहण का विनियमन) नियम, 2025;
- (ड.ड.) "माइग्रेशन नियम" का अभिप्राय दूरसंचार (लाइसेंस से प्राधिकरण में माइग्रेशन) नियम, 2025 से है;
- (चच) “विविध दूरसंचार सेवाएँ” का अभिप्राय उन दूरसंचार सेवाओं से है जो इन नियमों के नियम 4 के उपनियम (2) में सूचीबद्ध हैं;
- (छछ) “पोर्टल” से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 2 के उप-नियम (3) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित पोर्टल;
- (जज) “निषिद्ध निवेशक” से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक में आता है:
- (i) सेवी द्वारा केपीटल मार्केट के एक्सेस से डीवार्ड व्यक्ति;
 - (ii) किसी व्यक्ति को केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में तब निर्धारित किया जा सकता है जब वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए;
 - (iii) ऐसा व्यक्ति जिसका प्राधिकरण या लाइसेंस, जैसा भी मामला हो, उसके प्राधिकरण या लाइसेंस की शर्तों और नियमों के अनुपालन में चूक के कारण रद्द कर दिया गया हो;
 - (iv) ऐसा व्यक्ति जो चूक या रद्दीकरण के समय खंड (iii) के तहत निर्दिष्ट व्यक्ति के नियंत्रण में था; और
 - (v) एक व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जिसे समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा चिन्हित किया जा सकता है, जिसे किसी प्राधिकृत इकाई या लाइसेंसधारी में कोई इक्कीटी शेर्यर रखने या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसे नियंत्रित करने से प्रतिबंधित किया गया है, जैसा भी मामला हो;
- (झझ) “पब्लिक लैंड मोबाइल नेटवर्क” या “पीएलएमएन” से अभिप्राय भूमि आधारित सार्वजनिक मोबाइल नेटवर्क है;
- (जज) "पब्लिक स्विच्च टेलीफोन नेटवर्क" या "पीएसटीएन" का अभिप्राय है एक निश्चित सार्वजनिक टेलीफोन नेटवर्क जो दो-तरफा स्विच्च दूरसंचार सेवा प्रदान करता है;
- (टट) "रोमिंग" का अभिप्राय दूरसंचार सेवा से है जो मोबाइल टर्मिनल प्रयोक्ताओं को अपने होम नेटवर्क में सब्सक्राइब की गई दूरसंचार सेवाओं का उपयोग जारी रखने की अनुमति देती है, जबकि वे होम नेटवर्क के भौगोलिक क्षेत्र से बाहर यात्रा करते हुए, किसी विज़िट किए गए नेटवर्क का उपयोग करते हैं;
- (ठठ) “सैटलाइट सिस्टम” या “सैटलाइट नेटवर्क” से अभिप्रेत है दूरसंचार नेटवर्क जिसमें सैटलाइट, सिस्टम नियंत्रण केंद्र, गेटवे, साथ ही संबद्ध दूरसंचार नेटवर्क और टर्मिनल शामिल हैं जो सैटलाइटों और टर्मिनलों के बीच सीधे संचार चैनलों को सक्षम करते हैं, साथ ही फीडर लिंक के माध्यम से भूमि नेटवर्क से कनेक्शन भी प्रदान करते हैं;
- (डड) “सेवा क्षेत्र” का अभिप्राय उस भौगोलिक क्षेत्र से है जिसके लिए दूरसंचार सेवा के प्रावधान हेतु प्राधिकरण प्रदान किया जाता है, जो दो प्रकार का हो सकता है:
- (i) राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र जो अधिनियम की धारा 55 के अनुसार भारत के क्षेत्र, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र और भारत के महाद्वीपीय शेल्फ और अनन्य आर्थिक क्षेत्र को संदर्भित करता है; और
 - (ii) दूरसंचार सर्किल या मेट्रो सेवा क्षेत्र जो इन नियमों की अनुसूची वी में सूचीबद्ध सेवा क्षेत्रों को संदर्भित करता है;

(दृढ) “सिम” का अभिप्राय है सब्सक्राइवर आइडेंटिटी मॉड्यूल (सिम), चाहे इसे किसी भी नाम से पुकारा जाए और इसमें एम्बेडेड सिम (ई-सिम), इंटीग्रेटेड सिम (आई सिम), सॉफ्ट सिम या कोई अन्य समतुल्य सिम शामिल है, जो किसी भी रूप में उपलब्ध है, जिसका उपयोग प्राधिकृत इकाई के दूरसंचार नेटवर्क पर प्रयोक्ता की पहचान करने और उसे प्रमाणित करने के लिए एक अद्वितीय दूरसंचार पहचानकर्ता और उससे संबंधित प्रमाणीकरण कुंजियों को सुरक्षित रूप से संग्रहीत करने के लिए किया जाता है;

(ण) "सब्सक्राइवर डेटा रिकॉर्ड" या "एसडीआर" का अभिप्राय है प्रत्येक प्राधिकृत इकाई द्वारा बनाए रखा गया प्रयोक्ता जानकारी का एक व्यापक भंडार, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में रखा जा सकता है;

(तत) "टैरिफ" का वही अभिप्राय होगा जो ट्राई अधिनियम के तहत जारी दूरसंचार टैरिफ आदेशों में दिया गया है;

(थथ) “ट्राई” का अभिप्राय ट्राई अधिनियम के तहत गठित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से है;

(दद) “ट्राई अधिनियम” का तात्पर्य भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) से है; और

(धध) “प्रयोक्ता टर्मिनल (यूटी)” या “प्रयोक्ता उपकरण (यूई)” का अभिप्राय है एक प्रकार का दूरसंचार उपकरण जिसका उपयोग प्रयोक्ता द्वारा किसी प्राधिकृत इकाई द्वारा प्रदान की गई दूरसंचार सेवा का लाभ उठाने के लिए किया जाता है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों, जो इसमें परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में या मुख्य दूरसंचार सेवा नियमों में परिभाषित हैं, के वही अभिप्राय होंगे जो उन्हें अधिनियम में या ऐसे नियमों में दिए गए हैं।

(3) केन्द्रीय सरकार अधिनियम के तहत नियमों के कार्यान्वयन के उद्देश्य से एक या एक से अधिक पोर्टल स्थापित और अधिसूचित कर सकती है।

3. प्रयोज्यता

ये नियम किसी भी ऐसे व्यक्ति पर लागू होंगे जो प्राधिकरण के सेवा क्षेत्र के भीतर नियम 4 के उप-नियम (2) में निर्दिष्ट दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने का इरादा रखता है या प्रदान कर रहा है।

अध्याय 2: विविध दूरसंचार सेवाओं के लिए प्राधिकरण

4. प्राधिकरणों की श्रेणियाँ

(1) दूरसंचार सेवा प्राधिकरणों को निम्नलिखित चार व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: (क) मुख्य दूरसंचार सेवाएं, (ख) विविध दूरसंचार सेवाएं, (ग) कैप्टिव दूरसंचार सेवा, और (घ) प्रसारण सेवाएं।

(2) विविध दूरसंचार सेवा प्राधिकरण में निम्नलिखित उप-श्रेणियाँ शामिल होंगी:

(क) सार्वजनिक मोबाइल रेडियो ट्रॅकिंग सेवा (पीएमआरटीएस) प्राधिकरण, जिसमें इन नियमों के अध्याय 6 के भाग क (पीएमआरटीएस प्राधिकरण) में वर्णित दूरसंचार सेवाएं शामिल होंगी;

(ख) उद्यम संचार सेवा प्राधिकरण, जिसमें इन नियमों के अध्याय 6 के भाग ख (उद्यम संचार सेवा प्राधिकरण) में वर्णित दूरसंचार सेवाएं शामिल होंगी ;

(ग) मशीन से मशीन (एमटॉएम) सेवा प्राधिकरण, जिसमें इन नियमों के अध्याय 6 के भाग ग (मशीन से मशीन (एमटॉएम) सेवा प्राधिकरण) में वर्णित दूरसंचार सेवाएं शामिल होंगी;

(घ) पीएम-वाणी सेवा प्राधिकरण, जिसमें इन नियमों के अध्याय 6 के भाग घ(पीएम-वाणी सेवा प्राधिकरण) में वर्णित दूरसंचार सेवाएं शामिल होंगी ;

(ङ.) इन-फ्लाइट और मेरीटाइम कनेक्टिविटी (आईएफएमसी) सेवा प्राधिकरण, जिसमें इन नियमों के अध्याय 6 के भाग ङ. (इन-फ्लाइट और मेरीटाइम कनेक्टिविटी सेवा प्राधिकरण) में वर्णित दूरसंचार सेवाएं शामिल होंगी ;

(च) एरोनोटिकल डेटा संचार सेवा प्राधिकरण, जिसमें इन नियमों के अध्याय 6 के भाग च(एरोनोटिकल डेटा संचार सेवा प्राधिकरण) में वर्णित दूरसंचार सेवाएं शामिल होंगी; और

(छ) अंतरराष्ट्रीय सिम सेवा प्राधिकरण, जिसमें इन नियमों के अध्याय 6 के भाग छ (अंतरराष्ट्रीय सिम सेवा प्राधिकरण) में वर्णित दूरसंचार सेवाएं शामिल होंगी।

(3) इन नियमों का दायरा विविध दूरसंचार सेवाओं से संबंधित है और नीचे दिए गए प्रावधानों में दूरसंचार सेवाओं के संदर्भ का तात्पर्य विविध दूरसंचार सेवाओं से होगा।

5. प्राधिकरण का सेवा क्षेत्र

विविध दूरसंचार सेवा की प्रत्येक श्रेणी के लिए प्राधिकरण का सेवा क्षेत्र निम्नानुसार होगा:

(क) सार्वजनिक मोबाइल रेडियो ट्रॉकिंग सेवा (पीएमआरटीएस) के लिए प्राधिकरण का सेवा क्षेत्र दूरसंचार सर्किल या मेट्रो सेवा क्षेत्र होगा;

(ख) उद्यम संचार सेवा के लिए प्राधिकरण का सेवा क्षेत्र राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र होगा;

(ग) मशीन से मशीन (एमटूएम) सेवा के लिए प्राधिकरण का सेवा क्षेत्र राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र होगा;

(घ) पीएम-वाणी सेवा के लिए प्राधिकरण का सेवा क्षेत्र राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र होगा;

(ड.) इन-फ्लाइट और मेरीटाइम कनेक्टिविटी (आईएफएमसी) सेवा के लिए प्राधिकरण का सेवा क्षेत्र राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र होगा;

(च) वैमानिकी डेटा संचार सेवा के लिए प्राधिकरण का सेवा क्षेत्र राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र होगा; और

(छ) अंतरराष्ट्रीय सिम सेवा के लिए प्राधिकरण का सेवा क्षेत्र राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र होगा।

6. प्राधिकरण की अवधि

(1) दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के लिए प्राधिकरण की प्रारंभिक वैधता अवधि प्रभावी तिथि से बीस वर्ष होगी, जब तक कि इन नियमों में निर्दिष्ट कारणों से इसे पहले ही कम या रद्द नहीं कर दिया जाता।

(2) नियम 16 के तहत प्रावधान के अनुसार प्राधिकरण की अवधि का नवीकरण किया जा सकता है।

7. प्राधिकरण प्रदान करने के लिए पात्रता मानदंड

(1) इन नियमों के अंतर्गत प्राधिकरण चाहने वाला आवेदक कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निगमित कंपनी होगी:

परंतु यह कि एमटूएम सेवा प्राधिकरण के लिए आवेदक कोई भी व्यावसायिक इकाई हो सकती है, जिसमें कंपनी अधिनियम के तहत निगमित कंपनी, साझेदारी फर्म, एलएलपी, संस्थान, उपक्रम, स्वामित्व फर्म, सोसायटी या ट्रस्ट, या केंद्र या राज्य सरकार का मंत्रालय या विभाग, भारत की संसद, भारत के किसी राज्य की विधान सभा, कोई न्यायालय, या केंद्र या राज्य सरकार की कोई एजेंसी या स्वायत्त संगठन शामिल है;

(2) किसी भी आवेदक में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियम 8 के तहत प्राधिकरण के लिए आवेदन करते समय लागू भारत के कानूनों और नीतियों के अनुरूप होगा:

परंतु यह कि आवेदक में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निवेशक भी भारत के लागू विधियों और नीतियों का अनुपालन करेंगे।

(3) आवेदक के पास किसी प्रतिबंधित निवेशक से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निवेश या प्रतिबंधित निवेशक का नियंत्रण नहीं होना चाहिए।

(4) यदि आवेदक एक ऐसी इकाई है जिसके पास भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के तहत लाइसेंस था, और वह लाइसेंस समाप्त कर दिया गया था या उसे वापस कर दिया गया था या उसकी अवधि समाप्त हो गई थी, तो ऐसे आवेदक को सभी राशियों का भुगतान करना होगा, जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, जो पहले समाप्त या वापस किए गए या समाप्त लाइसेंस के तहत देय थी, जिसमें आवेदक द्वारा धारित प्रासंगिक लाइसेंस के तहत विलंबित भुगतान के लिए निर्धारित दर के आधार पर गणना की गई लागू व्याज भी शामिल है।

(5) यदि आवेदक कोई ऐसी इकाई है जिसे अधिनियम के अंतर्गत कोई प्राधिकरण प्रदान किया गया है और निम्नलिखित परिस्थितियां लागू होती हैं:

(क) उसने ऐसा प्राधिकरण वापस कर दिया है, किन्तु नियम 22 के अधीन उसके संबंध में देय बकाया राशि लंबित है; या

(ख) यह नियम 19 के अधीन निरसन के अधीन था और इसके न्यायनिर्णयन के पश्चात् इन नियमों के अधीन प्राधिकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रहा है, किन्तु ऐसी अवधि के दौरान जब वह प्राधिकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता था, किन्तु उसके पास देय बकाया राशि लंबित है;

(ग) समय बीत जाने के कारण इसका प्राधिकरण समाप्त हो गया था, तथा इस पर बकाया राशि बकाया थी;

तो ऐसा आवेदक सभी राशियों का भुगतान करेगा, जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, इन नियमों के तहत प्राधिकरण के लिए आवेदन करने के लिए पात्र माना जाता है।

8. प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए आवेदन

(1) दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप और तरीके से आवेदन प्रस्तुत करेगा तथा उसके साथ इस प्रयोजन के लिए पोर्टल पर निर्दिष्ट दस्तावेज भी संलग्न करेगा।

(2) यदि इन नियमों के अंतर्गत प्राधिकरण के लिए आवेदक एक विद्यमान लाइसेंसधारी है, तो उसे प्राधिकरण के लिए अपने आवेदन के साथ:

(क) माइग्रेशन नियमों के अनुसार, दूरसंचार सेवाओं की सभी श्रेणियों के लिए अपने सभी मौजूदा लाइसेंसों को दूरसंचार सेवा के लिए संगत प्राधिकरण में हस्तांतरित करने के लिए आवेदन करें, और ऐसे आवेदन का प्रमाण प्रस्तुत करें; या

(ख) यदि माइग्रेशन के लिए आवेदन पहले ही किया जा चुका है तो अपने आवेदन का प्रमाण प्रस्तुत करें :

परंतु यह कि यह उपनियम उपनियम (5) के अंतर्गत निर्दिष्ट स्थितियों के संबंध में लागू नहीं होगा।

(3) उप-नियम (1) के अंतर्गत प्रत्येक आवेदन के साथ इन नियमों की अनुसूची क में निर्धारित नान-रिफंडेबल प्रसंस्करण शुल्क संलग्न होगा।

(4) इन नियमों के अंतर्गत आवेदक विभिन्न सेवा क्षेत्रों में एक या एक से अधिक प्राधिकरणों के लिए एक साथ आवेदन कर सकता है।

(5) किसी प्राधिकृत इकाई को एक ही सेवा क्षेत्र में किसी विशिष्ट दूरसंचार सेवा के लिए एक से अधिक प्राधिकरण रखने की अनुमति नहीं होगी:

परंतु यह कि यदि कोई प्राधिकृत इकाई या लाइसेंसधारी, जो किसी सेवा क्षेत्र में प्राधिकरण या लाइसेंस रखता है, जैसा भी मामला हो, दूरसंचार सेवा के लिए प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए आवेदन करता है या विलय नियमों के अनुसार दूरसंचार सेवा के लिए प्राधिकरण प्राप्त करता है, जिसके दायरे और सेवा क्षेत्र में संपूर्ण रूप से वह दायरा और सेवा क्षेत्र शामिल है जिसके लिए उसके पास पहले से ही प्राधिकरण या लाइसेंस है, तो ऐसा विद्यमान प्राधिकरण या लाइसेंस विलय नियमों के अनुसार उसके अनुदान या अधिग्रहण या पुनर्गठन पर नए प्राधिकरण में सम्मिलित माना जाएगा और इस प्रकार सम्मिलित प्राधिकरण या लाइसेंस रद्द माना जाएगा।

परंतु यह कि, पूर्व प्राधिकरण या लाइसेंस का समावेशन और रद्दीकरण, ऐसे पूर्व प्राधिकरण या लाइसेंस के तहत किए गए किसी भी बकाया, दंड, देनदारियों या दायित्वों को समाप्त या माफ नहीं करेगा, जैसा भी मामला हो, और ऐसे बकाया, दंड,

देनदारियां या दायित्व प्रवर्तनीय बने रहेंगे और केन्द्रीय सरकार द्वारा वसूल किए जा सकेंगे, और नए प्राधिकरण के तहत हस्तांतरित हो जाएंगे और आगे ले जाए गए माने जाएंगे।

9. प्राधिकरण प्रदान किया जाना

(1) नियम 8 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन की जांच करने पर, केन्द्रीय सरकार आवश्यकतानुसार स्पष्टीकरण या अतिरिक्त दस्तावेज मांग सकती है।

(2) यदि कोई आवेदक प्राधिकरण प्रदान करने के लिए पात्र पाया जाता है, तो पोर्टल के माध्यम से आवेदक को आशय पत्र जारी किया जाएगा:

परंतु यह कि (क) मशीन से मशीन (एमटूएम) सेवा, (ख) पीएम-वाणी सेवा, (ग) इन-फ्लाइट और मेरीटाइम कनेक्टिविटी (आईएफएमसी) सेवा, और (घ) अंतरराष्ट्रीय सिम सेवा प्राधिकरण, उप-नियम (5) के अनुसार, पात्र आवेदकों को बिना किसी पूर्व आशय पत्र जारी किए प्रदान किए जाएंगे।

(3) वह आवेदक जिसे उप-नियम (2) के अनुसार आशय पत्र जारी किया गया है, उसे आशय पत्र में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों का उसमें निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर पालन करना होगा, जिसमें अनुसूची क में ऐसे प्राधिकरण के लिए निर्दिष्ट प्रवेश शुल्क का भुगतान भी शामिल है और पोर्टल पर निर्दिष्ट रूप और तरीके से, अनुसूची क में ऐसे प्राधिकरण के लिए निर्दिष्ट राशि की प्रारंभिक गारंटी प्रस्तुत करके, निम्नलिखित में से किसी की गारंटी देनी होगी:

(क) किसी भी अनुसूचित बैंक या सार्वजनिक वित्तीय संस्थान से बैंक गारंटी ,

(ख) एक बीमा कंपनी द्वारा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी लागू नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार जारी किया गया बीमा ज्ञानत बांड, जिसकी न्यूनतम वैधता अवधि एक वर्ष हो, या

(ग) केन्द्रीय सरकार के पास ब्याज रहित सुरक्षा जमा,

और पोर्टल पर इसका प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

(4) यदि आशय पत्र में निर्धारित आवश्यकताएं निर्धारित समयावधि के भीतर पूरी नहीं की जाती हैं, तो ऐसा पत्र समाप्त माना जाएगा, तथा प्राधिकरण के लिए आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।

परंतु यह कि केन्द्रीय सरकार, आशय पत्र में निर्दिष्ट समय की समाप्ति से पहले आवेदक द्वारा किए गए समय विस्तार के अनुरोध पर विचार करने के आधार पर, पोर्टल पर निर्दिष्ट रूप और तरीके से, आशय पत्र में निर्दिष्ट तिथि से तीस दिनों से अधिक नहीं की अवधि के लिए एक बार विस्तार प्रदान कर सकती है।

(5) आवेदक द्वारा आशय पत्र के निबंधनों और शर्तों का अनुपालन किए जाने पर, या उप-नियम (2) के परंतुक में निर्दिष्ट प्राधिकरण के संबंध में, पोर्टल पर एक अद्वितीय प्राधिकरण संचया सृजित की जाएगी और आवेदक को इन नियमों की अनुसूची ग में निर्दिष्ट प्रारूप में प्राधिकरण प्रदान किया जाएगा।

(6) प्राधिकरण के लिए प्रत्येक आवेदन पर आवेदक द्वारा दिए गए कथनों, कथनों, अभ्यावेदनों और प्रस्तुतियों तथा इस प्रकार उपलब्ध कराए गए सहायक दस्तावेजों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी और यदि किसी भी समय ऐसी सूचना गलत पाई जाती है, तो नियम 19 के प्रावधान लागू होंगे।

(7) केन्द्रीय सरकार, जहां तक संभव हो, नियम 8 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पर आवेदक द्वारा उप-नियम (1) के अंतर्गत अपेक्षित स्पष्टीकरण या अतिरिक्त दस्तावेज उपलब्ध कराने के साठ दिन की अवधि के भीतर निर्णय लेने का प्रयास करेगी:

परंतु यह कि उप-नियम (4) के परिणामस्वरूप आवेदन को अस्वीकार करने के किसी भी निर्णय के साथ लिखित रूप में निर्दिष्ट किए जाने वाले कारण भी शामिल होंगे।

(8) किसी भी आवेदक को, जिसे इन नियमों की अधिसूचना से पूर्व भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान करने के लिए आशय पत्र जारी किया गया है, आवेदक द्वारा स्वीकृति के अधीन, अधिनियम के अंतर्गत तत्संबंधी प्राधिकरण प्रदान करने पर विचार किया जाएगा, और ऐसे मामलों में, प्रसंस्करण शुल्क और प्रवेश शुल्क, यदि पहले ही भुगतान किया जा चुका है, तो उसे ऐसे प्राधिकरण प्रदान करने के लिए निर्दिष्ट प्रसंस्करण शुल्क और प्रवेश शुल्क में समायोजित किया जाएगा:

परंतु यह कि आवेदक को अधिनियम के तहत प्राधिकरण प्रदान करने के संबंध में, यदि आवश्यक हो, तो प्रवेश शुल्क के अंतर का भुगतान भी करना होगा।

10. नान-एक्सक्लूसीव प्राधिकरण

इन नियमों के अनुसरण में प्रदान किया गया प्रत्येक प्राधिकरण नान-एक्सक्लूसीव आधार पर होगा और समान या भिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिए समान या भिन्न नियमों और शर्तों के साथ अतिरिक्त प्राधिकरण, प्राधिकृत इकाइयों की संख्या पर किसी प्रतिबंध के बिना, उसी या अन्य सेवा क्षेत्रों के भीतर केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान किया जा सकता है:

परंतु यह कि केन्द्रीय सरकार स्वयं या किसी सार्वजनिक संस्था के माध्यम से भारत में कहीं भी दूरसंचार सेवाएं प्रदान कर सकेगी।

अध्याय 3: सामान्य शर्तें

11. अधिनियम का अनुपालन

(1) प्राधिकृत इकाई अधिनियम और उसके अधीन नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करेगी, जिसमें अधिनियम या नियमों के प्रावधानों के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी सभी अधिसूचनाएं, आदेश, निर्देश या दिशानिर्देश शामिल हैं, जिन्हें अधिनियम के तहत जारी प्रत्येक प्राधिकरण में शामिल माना जाएगा।

(2) प्राधिकृत इकाई को इन नियमों को प्रभावी करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं, आदेशों, निर्देशों या दिशा-निर्देशों का भी अनुपालन करना होगा जो इन नियमों से असंगत न हों।

12. ट्राई अधिनियम का अनुपालन

प्राधिकृत इकाई ट्राई अधिनियम के प्रावधानों से बंधी होगी, तथा इसके किसी भी गैर-अनुपालन को ट्राई अधिनियम के अंतर्गत संबोधित किया जाएगा।

13. पात्रता शर्तों का निरंतर अनुपालन

(1) प्राधिकृत इकाई के साथ-साथ उसके निवेशकों को प्राधिकरण की अवधि के दौरान हर समय विदेशी निवेश से संबंधित कानूनों सहित भारत के सभी लागू कानूनों और नीतियों का अनुपालन करना जारी रखना होगा।

(2) प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि प्राधिकरण की अवधि के दौरान किसी भी प्रतिबंधित निवेशक का ऐसी इकाई में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निवेश या नियंत्रण न हो।

14. रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण दायित्व

(1) एक प्राधिकृत इकाई को:

(क) पोर्टल पर निर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से, शेयरधारिता में ऐसे परिवर्तन की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर अपनी शेयरधारिता में किसी भी परिवर्तन की रिपोर्ट करेगा और लागू कानूनों के तहत प्रासंगिक अनुमति प्राप्त करने सहित सभी वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन भी सुनिश्चित करेगा;

(ख) प्रतिवेदन पोर्टल पर निर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से कंपनी अधिनियम के तहत जिस नाम से इसे शामिल किया गया है, उसमें कोई भी परिवर्तन, इसके लिए कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति के साथ, ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से तीस दिनों के भीतर;

(ग) स्वामित्व, नियंत्रण, पता और संपर्क विवरण, या किसी अन्य ऐसे भौतिक विवरण से संबंधित विवरण में कोई भी परिवर्तन, पोर्टल पर निर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से, ऐसे परिवर्तन के पंद्रह दिनों के भीतर केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करना;

(घ) मांगे जाने पर, केन्द्रीय सरकार को ऐसे दस्तावेज, खाते, अनुमान, रिटर्न, रिपोर्ट या अन्य जानकारी निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर, पोर्टल पर निर्दिष्ट रूप और तरीके से उपलब्ध कराना।

(2) प्राधिकृत इकाई इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से केन्द्रीय सरकार और संबंधित प्राधिकृत एजेंसी को एक नोडल व्यक्ति का विवरण नामित करेगी और संप्रेषित करेगी, जो इन नियमों के तहत अपेक्षित कोई रिपोर्ट या सूचना प्रदान करने या आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा।

15. प्राधिकरण के हस्तांतरण पर प्रतिबंध

(1) कोई प्राधिकृत इकाई निम्नलिखित कार्य नहीं करेगी:

- (क) केन्द्रीय सरकार की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, या किसी भी तरीके से, अपना प्राधिकरण सौंपना या हस्तांतरित करना;
- (ख) उप-पट्टे या उप-प्राधिकरण के लिए कोई साझेदारी या करार करना; या
- (ग) ऐसे प्राधिकरण में किसी तीसरे पक्ष के पक्ष में कोई हित सृजित करना।

(2) विलय नियमों के अनुसार, किसी प्राधिकृत इकाई के किसी पुनर्गठन या अधिग्रहण के अनुसरण में ही प्राधिकरण समनुदेशित किया जा सकता है।

16. प्राधिकरण का नवीनीकरण

(1) कोई प्राधिकृत इकाई, इस प्रयोजन के लिए पोर्टल पर निर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से, प्राधिकरण की समाप्ति से कम से कम बारह महीने पहले, इन नियमों की अनुसूची 'क' में निर्दिष्ट नवीनीकरण के लिए प्रसंस्करण शुल्क सहित, प्राधिकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकती है:

परंतु यह कि नवीनीकरण के लिए आवेदन प्राधिकरण की समाप्ति से चार महीने पहले तक प्रस्तुत किया जा सकता है, परंतु यह कि इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विलंब शुल्क का भुगतान करना होगा।

(2) केन्द्रीय सरकार, उप-नियम (1) के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट निबंधन और शर्तों के साथ-साथ ऐसे नवीनीकरण के समय लागू कानून और नीति के अनुपालन के अधीन, बीस वर्ष की अवधि के लिए प्राधिकरण की अवधि के नवीनीकरण पर विचार करेगी:

परंतु यह कि आवेदन को अस्वीकार करने के किसी भी निर्णय के साथ लिखित रूप में विनिर्दिष्ट कारण दिए जाएँगे।

(3) जहाँ उप-नियम (2) के अनुसार आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया हो, या उप-नियम (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर प्राधिकरण के नवीनीकरण हेतु कोई आवेदन प्राप्त न हुआ हो, तो ऐसा प्राधिकरण विद्यमान प्राधिकरण की वैधता अवधि के अंत में समाप्त हो जाएगा, और प्राधिकृत इकाई अपने सभी प्रयोक्ताओं को, समय बीतने के बाद अपने प्राधिकरण की समाप्ति की प्रभावी तिथि के संबंध में, कम से कम तीस दिनों का नोटिस जारी करके, ऐसे प्रयोक्ताओं के लिए उपलब्ध विकल्पों को स्पष्ट रूप से बताते हुए, सूचित करेगी और समाप्ति की प्रभावी तिथि तक दूरसंचार नेटवर्क और दूरसंचार सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगी।

17. स्पेक्ट्रम का समनुदेशन और उपयोग

(1) अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरण प्रदान करने से स्पेक्ट्रम के समनुदेशन और उपयोग का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

(2) कोई प्राधिकृत इकाई अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निर्धारित नियमों के अंतर्गत स्पेक्ट्रम के समनुदेशन के लिए आवेदन कर सकती है।

(3) जहाँ कोई प्राधिकृत इकाई स्पेक्ट्रम रखती है, या प्रासंगिक नियमों के अंतर्गत स्पेक्ट्रम के समनुदेशन के लिए आवेदन करती है, वहाँ ऐसे समनुदेशन के निबंधन और शर्तें, प्राधिकरण के निबंधन और शर्तों में समाहित मानी जाएँगी, और

प्राधिकृत इकाई, समनुदेशन के निबंधन और शर्तों के साथ-साथ प्राधिकरण के निबंधन और शर्तों के अनुरूप दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के लिए स्पेक्ट्रम का उपयोग करेगी।

18. अप्रत्याशित घटना

(1) यदि किसी प्राधिकृत इकाई द्वारा प्राधिकरण के अंतर्गत किसी दायित्व का निष्पादन, किसी अप्रत्याशित घटना के कारण, पूर्णतः या आंशिक रूप से, बाधित या विलंबित होता है, और ऐसी इकाई ने उप-नियम (2) के अंतर्गत अपने अधिसूचना दायित्वों का अनुपालन कर लिया है, तो केन्द्रीय सरकार न तो प्राधिकरण को रद्द करेगी, और न ही ऐसी घटना की अवधि के दौरान ऐसे गैर-निष्पादन या निष्पादन में देरी के संबंध में ऐसी प्राधिकृत इकाई के विरुद्ध किसी अतिपूर्ति का दावा करेगी।

(2) प्राधिकृत इकाई इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से, किसी अप्रत्याशित घटना के घटित होने की तिथि से इक्कीस दिनों के भीतर, केन्द्रीय सरकार को सूचित करेगी।

(3) कोई प्राधिकृत इकाई प्राधिकरण की अवधि बढ़ाने, या अप्रत्याशित घटना के लिए किसी मुआवजे का दावा करने, या अप्रत्याशित घटना के कारण केन्द्रीय सरकार के दायित्वों के निष्पादन में देरी या गैर-निष्पादन के लिए केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध किसी भी अतिपूर्ति का दावा करने की हकदार नहीं होगी।

19. किसी प्राधिकृत इकाई द्वारा चूक

(1) प्राधिकरण के निबंधन और शर्तों के किसी भी उल्लंघन या भंग के न्यायनिर्णयन और अपील, दूरसंचार (न्यायनिर्णयन और अपील) नियम, 2025 द्वारा शासित होंगे।

(2) किसी प्राधिकरण के निलंबन, निरसन या कटौती का कोई भी आदेश केन्द्रीय सरकार द्वारा पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा और ऐसे आदेश की तिथि से इकसठवें दिन से प्रभावी होगा।

(3) पोर्टल पर प्रकाशित उप-नियम (2) के तहत आदेश के अनुसार, एक प्राधिकृत इकाई अपने सभी प्रयोक्ताओं को ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिनों के भीतर कम से कम तीस दिनों का नोटिस देगी, जिसमें ऐसे प्रयोक्ता के लिए उपलब्ध विकल्पों का स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा।

(4) एक प्राधिकृत इकाई जिसका प्राधिकरण रद्द कर दिया गया है उसके प्रवर्तक भी अधिनियम के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्धारित अवधि तक, जो कि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी, किसी भी दूरसंचार सेवा के लिए प्राधिकरण के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

20. मुआवजा

(1) किसी प्राधिकृत इकाई द्वारा केन्द्रीय सरकार को प्राधिकरण या समनुदेशन की शर्तों के अंतर्गत देय किसी भी धनराशि या दावे को, केन्द्रीय सरकार द्वारा उस समय देय किसी भी राशि या धनराशि से काटा या समायोजित किया जा सकता है, या जो प्राधिकरण या समनुदेशन के अंतर्गत किसी प्राधिकृत इकाई को उसके बाद किसी भी समय देय हो सकती है, जिसमें कोई भी गारंटी शामिल है, जिसे धन में परिवर्तित किया जा सकता है।

(2) केन्द्रीय सरकार, उप-नियम (1) के अंतर्गत की गई किसी भी कार्रवाई के बाद, प्राधिकृत इकाई को ऐसे मुआवजे की सूचना देगी।

21. देय राशि की वसूली

वसूली के अन्य तरीकों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इन नियमों के अंतर्गत किसी प्राधिकृत इकाई द्वारा केन्द्रीय सरकार को देय कोई भी राशि, यदि भुगतान नहीं की जाती है, तो भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।

22. प्राधिकरण का अभ्यर्पण

(1) इन नियमों के अंतर्गत प्रदत्त प्राधिकरण का अभ्यर्पण करने की इच्छुक कोई प्राधिकृत इकाई, पोर्टल पर विनिर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से, प्रस्तावित अभ्यर्पण तिथि से कम से कम साठ दिन पूर्व, एक आवेदन, एक वचनबद्धता और पोर्टल पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य जानकारी के साथ प्रस्तुत करेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार उप-नियम (1) के अंतर्गत ऐसे आवेदन प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर उसे स्वीकार या अस्वीकार कर देगी, और यदि स्वीकार कर लिया जाता है, तो अभ्यर्पण की प्रभावी तिथि केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तिथि से इक्सठवाँ दिन होगी।

बशर्ते, आवेदन को अस्वीकार करने के किसी भी निर्णय के साथ लिखित रूप में विनिर्दिष्ट कारण दिए जाएँ।

(3) यदि उप-नियम (1) के अंतर्गत आवेदन केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर न तो स्वीकार किया जाता है और न ही अस्वीकार किया जाता है, तो ऐसा आवेदन स्वीकार किया हुआ माना जाएगा।

(4) किसी प्राधिकृत इकाई द्वारा प्राधिकरण के अभ्यर्पण से संबंधित विवरण केन्द्रीय सरकार द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।

(5) उप-नियम (2) के अंतर्गत स्वीकृति या उप-नियम (3) के अंतर्गत स्वीकृत माने जाने के अनुसरण में, प्राधिकृत इकाई अपने सभी प्रयोक्ताओं को, ऐसे प्रयोक्ताओं के लिए उपलब्ध विकल्पों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए, अपने प्राधिकरण के समर्पण की प्रभावी तिथि के संबंध में कम से कम तीस दिनों का नोटिस जारी करके सूचित करेगी।

23. राष्ट्रीय सुरक्षा या जनहित के आधार पर निलंबन या निरसन

(1) इन नियमों के किसी अन्य प्रावधान के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार किसी भी समय, बिना किसी पूर्व सूचना अवधि के, पूर्णतः या आंशिक रूप से, प्राधिकरण के प्रचालन को निलंबित या निरस्त कर सकती है, यदि केन्द्रीय सरकार की राय में, जनहित में, या राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में, या दूरसंचार के उचित संचालन के लिए, या राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में, या युद्ध या निम्न तीव्रता संघर्ष या अन्य समान परिस्थितियों में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन हो:

परंतु यह कि केन्द्रीय सरकार ऐसी कार्रवाइयों से होने वाली या उत्पन्न होने वाली किसी भी क्षति या हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

(2) प्राधिकृत इकाई निलंबन या निरसन के लिए ऐसे निदेशों के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी भी उपाय का अनुपालन करेगी।

24. प्राधिकरण के निरसन, अभ्यर्पण या समाप्ति के अनुसरण में कार्रवाई

(1) किसी प्राधिकृत इकाई द्वारा धारित प्राधिकरण के निरसन, अभ्यर्पण या समाप्ति पर, ऐसी इकाई को आवंटित स्पेक्ट्रम, यदि कोई हो, ऐसे निरसन, अभ्यर्पण या समाप्ति की प्रभावी तिथि से वापस ले लिया जाएगा।

(2) प्राधिकरण या लाइसेंस के निरस्तीकरण, अभ्यर्पण या समाप्ति पर, संबंधित प्राधिकृत इकाई अपने रेडियो उपकरणों का प्रबंधन दूरसंचार (रेडियो उपकरण कब्जा प्राधिकरण) नियम, 2025 के अंतर्गत निर्धारित तरीके से करेगी।

अध्याय 4: तकनीकी और परिचालन शर्तें

25. दूरसंचार नेटवर्क

(1) विविध दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करने हेतु प्राधिकरण प्राप्त कोई प्राधिकृत इकाई, अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) या धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अंतर्गत क्रमशः किसी पृथक प्राधिकरण की आवश्यकता के बिना, दूरसंचार नेटवर्क स्थापित, संचालित, अनुरक्षित या विस्तारित कर सकती है और प्राधिकरण के दायरे के अनुरूप रेडियो उपकरण भी रख सकती है:

परंतु यह कि स्पेक्ट्रम के समनुदेशन और उपयोग के अधिकार के संबंध में, इन नियमों का नियम 17 लागू होगा।

(2) एक प्राधिकृत इकाई अधिनियम और उसके तहत नियमों के अनुसार अपने प्राधिकरण के अनुसार विविध दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के लिए दूरसंचार नेटवर्क को डिजाइन, इंजीनियर, स्थापित, संचालित, अनुरक्षित या विस्तार करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे दूरसंचार उपकरण, दूरसंचार नेटवर्क और दूरसंचार सेवाएँ लागू मानकों और अनुरूपता मूल्यांकन उपायों के अनुरूप हैं, जिनमें अधिनियम की धारा 19 और सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) के मानकों से संबंधित ट्राई विनियमों के तहत अधिसूचित मानक शामिल हैं।

(3) एक प्राधिकृत इकाई दूरसंचार सेवाओं और संबद्ध दूरसंचार नेटवर्क के सभी तकनीकी व्योरा, जिसमें प्रौद्योगिकी का व्योरा भी शामिल है, केन्द्रीय सरकार या संबंधित प्राधिकृत एजेंसी को, इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किसी भी निर्देश के अनुसरण में अपेक्षित तरीके से और उस समय पर प्रस्तुत करेगी।

(4) एक प्राधिकृत इकाई दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करने के लिए, मार्ग के अधिकार (आरओडब्ल्यू) सहित, अपनी स्वयं की व्यवस्था करेगी और आवश्यक अवसंरचना, दूरसंचार उपकरण और सिस्टमों और अपने दूरसंचार नेटवर्क के सभी पहलुओं की स्थापना, रखरखाव, संचालन, विस्तार और कमीशनिंग के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगी:

परंतु यह कि, एक प्राधिकृत इकाई अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत प्रासंगिक प्राधिकरण रखने वाली अन्य प्राधिकृत इकाइयों से पारस्पर सहमत शर्तों पर, जैसा भी मामला हो, दूरसंचार नेटवर्क, दूरसंचार अवसंरचना, या दूरसंचार संसाधन ले सकती है:

इसके अलावा, एक प्राधिकृत इकाई इन नियमों के तहत अनुमत दूरसंचार अवसंरचना और दूरसंचार नेटवर्क को साझा कर सकती है।

परंतु यह कि, किसी प्राधिकृत इकाई द्वारा आरओडब्ल्यू की अनुपलब्धता या आरओडब्ल्यू अनुमति प्राप्त करने में देरी, इन नियमों के अंतर्गत रोल-आउट दायित्वों की पूर्ति न करने या किसी अन्य दायित्व का पालन न करने का कारण या आधार नहीं होगी।

(5) प्राधिकृत इकाई निम्नलिखित के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी लागू अधिसूचनाओं, आदेशों, निदेशों या दिशानिदेशों का पालन करेगी:

- (क) दूरसंचार नेटवर्क को ऊर्जा प्रदान करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों (आरईटी) को अपनाना;
- (ख) ऊर्जा कुशल दूरसंचार उपकरणों की स्थापना;
- (ग) स्वदेशी रूप से निर्मित दूरसंचार उपकरणों की खरीद के लिए अधिमान्य बाजार पहुँच (पीएमए); और
- (घ) आईपीवी6 कार्यान्वयन।

26. दूरसंचार नेटवर्क तत्वों का स्थान

(1) केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट सुरक्षा-संवेदनशील क्षेत्रों में दूरसंचार उपकरणों की संस्थापना या दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, केवल केन्द्रीय सरकार के पूर्व लिखित अनुमोदन से ही की जाएगी, जो पोर्टल पर विनिर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से किए गए आवेदन के अनुसरण में प्राधिकृत इकाई द्वारा प्राप्त किया जाएगा।

(2) एक प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि:

- (क) उसके दूरसंचार नेटवर्क की सभी सिस्टम,
- (i) जो अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अंतर्गत प्राधिकृत किसी इकाई के स्वामित्व में हों, या उससे सेवा के रूप में ली गई हों, या
- (ii) अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अंतर्गत प्राधिकृत किसी इकाई से पट्टे, भाड़े या साझाकरण के आधार पर ली गई हों,

प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र में अनुज्ञ दूरसंचार सेवा प्रदान करने के प्रयोजनार्थ उसके प्राधिकरण के सेवा क्षेत्रों में स्थित हों:

परंतु यह कि ऐसे मामलों में जहाँ दूरसंचार नेटवर्क अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अंतर्गत प्राधिकृत क्लाउड-होस्टेड दूरसंचार नेटवर्क (सीटीएन) प्रदाता से सेवा के रूप में लिया गया हो, ऐसे दूरसंचार नेटवर्क के सिस्टम भारत में कहीं भी स्थित हो सकते हैं; और

- (ख) खंड (क) में विनिर्दिष्ट उसके दूरसंचार नेटवर्क से संबद्ध सभी डेटा और जानकारी भारत में ही संग्रहीत की जाएँगी।

27. दूरसंचार नेटवर्क और अवसंरचना का साज्ञाकरण

अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत विभिन्न प्राधिकरणों वाली कोई प्राधिकृत इकाई, इन नियमों के अंतर्गत लागू पूर्व अनुमोदन अपेक्षिता के अधीन, ऐसे प्राधिकरणों के अंतर्गत दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करने के लिए अपनी दूरसंचार अवसंरचना, दूरसंचार उपकरण या अपने दूरसंचार नेटवर्क के किसी अन्य सिस्टम को साज्ञा कर सकती है।

28. दूरसंचार सेवाओं का वाणिज्यिक शुभारंभ

(1) प्राधिकृत इकाई, इस प्रयोजन के लिए ट्राई द्वारा जारी किए गए टैरिफ आदेशों, निदेशों, दिशानिदेशों या निर्णयों के अनुसार दूरसंचार सेवा के लिए टैरिफ वसूल करेगी और ट्राई द्वारा विनिर्देशित टैरिफ के प्रकाशन, ट्राई को टैरिफ की अधिसूचना और प्रयोक्ताओं को सूचना प्रदान करने सहित सभी अपेक्षिताओं को पूरा करेगी।

(2) दूरसंचार सेवा के उपबंध के प्रारंभ होने की तिथि के बारे में प्राधिकृत इकाई इसके प्रारंभ होने के पंद्रह दिनों के भीतर केन्द्रीय सरकार और ट्राई को सूचित करेगी।

29. दूरसंचार सेवा का प्रावधान

(1) एक प्राधिकृत इकाई:

(क) दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के वाणिज्यिक सिद्धांतों के संबंध में अपनी दूरसंचार सेवाओं के लिए पंजीकृत प्रयोक्ताओं के बीच भेदभाव नहीं करेगी; और

(ख) अपने नाम से, दूरसंचार सेवा के उपयोग के लिए अपने प्रयोक्ताओं को बिल जारी करेगी या जारी करवाएगी, जिसमें बिल की वास्तविकता के बारे में प्रयोक्ताओं की संतुष्टि सुनिश्चित करने, राजस्व संग्रह, प्रयोक्ताओं की शिकायतों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने और दावों पर ध्यान देने के लिए पर्याप्त विवरण शामिल होंगे।

(2) केन्द्रीय सरकार भारत के क्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, नियंत्रण रेखा, भारत की वास्तविक नियंत्रण रेखा, या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य क्षेत्र के निकट आने वाले क्षेत्रों में विविध दूरसंचार सेवाओं के उपयोग पर प्रतिबंध विनिर्दिष्ट कर सकती है:

परंतु यह कि ऐसे प्रतिबंधित क्षेत्रों में, केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट प्रयोक्ताओं को विविध दूरसंचार सेवाओं के उपयोग की अनुमति दे सकती है और प्राधिकृत इकाई केन्द्रीय सरकार के निदेशों के आधार पर इसे सुगम बनाएगी।

(3) प्राधिकृत इकाई अपने प्रयोक्ताओं को प्रदान की जा रही दूरसंचार सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करेगी, जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकरण की अवधि समाप्त, निरस्त, निलंबित या कम न कर दी जाए।

(4) दूरसंचार सेवा के प्रावधान के संबंध में कोई भी विवाद केवल प्रयोक्ताओं और प्राधिकृत इकाई के बीच का मामला होगा और प्राधिकृत इकाई दूरसंचार सेवा प्रदान करने से पहले प्रयोक्ताओं को इसकी विधिवत सूचना देगी, और केन्द्रीय सरकार इस मामले में कोई दायित्व या जिम्मेदारी वहन नहीं करेगी।

(5) प्राधिकृत इकाई किसी भी कारण से प्रयोक्ताओं द्वारा किए गए किसी भी दावे से उत्पन्न होने वाले सभी दावों, लागतों, प्रभारों या क्षतियों के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार को क्षतिपूर्ति प्रदान करेगी।

(6) प्राधिकृत इकाई, किसी अन्य प्राधिकृत इकाई से कोई दूरसंचार संसाधन प्राप्त करते समय, स्वयं को संतुष्ट करेगी कि ऐसी प्राधिकृत इकाई ऐसे दूरसंचार संसाधन प्रदान करने के लिए पात्र है।

30. छूट और रियायतें

(1) जहाँ कोई प्राधिकृत इकाई अपने प्राधिकरण के दायरे में कुछ, परंतु सभी नहीं, दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करती है, वहाँ वह विनिर्दिष्ट नियमों की प्रयोज्यता से उचित छूट या रियायत के लिए, औचित्य सहित, केन्द्रीय सरकार से आवेदन कर सकती है।

(2) केन्द्रीय सरकार, उप-नियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पर विचार करने के पश्चात, प्राधिकृत इकाई को ऐसे नियमों से ऐसी छूट या रियायतों के बारे में सूचित कर सकती है, जिन्हें वह विनिर्धारित करे कि वे ऐसे आवेदन में विनिर्दिष्ट प्रासंगिक दूरसंचार सेवाओं पर लागू नहीं हैं।

31. निरीक्षण और आकलन करने का अधिकार

(1) केन्द्रीय सरकार, इन नियमों के अनुपालन की निगरानी के प्रयोजनार्थ, इस संबंध में किसी प्राधिकृत इकाई को उचित सूचना जारी करने के पश्चातः

(क) उन स्थलों तक एक्सेस और निरीक्षण कर सकती है जहाँ दूरसंचार सेवा प्रदान करने के लिए दूरसंचार उपकरण और दूरसंचार नेटवर्क स्थापित हैं, जिसमें प्रयोक्ता के परिसर भी शामिल हैं;

(ख) इन नियमों के अनुपालन हेतु प्राधिकृत इकाई द्वारा स्थापित लेखा परीक्षा प्रक्रियाएँ या प्रणालियाँ:

परंतु यह कि, यदि केन्द्रीय सरकार यह समझती है कि जनहित में तत्काल कार्रवाई आवश्यक या समीचीन है, तो प्राधिकृत इकाई को कोई सूचना प्रदान करने की अपेक्षा नहीं होगी।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार, इन नियमों के अनुपालन हेतु प्राधिकृत इकाई द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं या प्रणालियों की लेखा परीक्षा हेतु एक बाह्य एजेंसी नियुक्त कर सकती है।

(2) प्राधिकृत इकाई उप-नियम (1) के अंतर्गत अपेक्षित लेखा परीक्षा और निरीक्षण को सुगम बनाने के लिए आवश्यक सुविधाएँ और सहायता प्रदान करेगी।

32. सूचना की गोपनीयता

(1) प्राधिकृत इकाई, दूरसंचार सेवा शुरू करने से पहले, केन्द्रीय सरकार को लिखित रूप में पुष्टि करेगी कि प्राधिकृत इकाई ने अपने कर्मचारियों और सलाहकारों सहित, डेटा गोपनीयता और प्रयोक्ता जानकारी की गोपनीयता की रक्षा के लिए सभी लागू कानूनों और नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं।

(2) प्राधिकृत इकाई, केन्द्रीय सरकार की पूर्व लिखित मंजूरी के बिना, अपने दूरसंचार नेटवर्क से संबंधित कोई भी जानकारी किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा नहीं करेगी:

परंतु यह कि दूरसंचार नेटवर्क के ऐसे विवरण प्रदान करने के लिए ऐसी किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, जैसी कि उसके दूरसंचार उपकरण प्रयोक्ताओं द्वारा अपेक्षित हो।

अध्याय 5: सुरक्षा शर्तें

33. प्राधिकृत इकाई का प्रबंधन

(1) एक प्राधिकृत इकाई निम्नलिखित सुनिश्चित करेगी:

(क) ऐसी प्राधिकृत इकाई के बोर्ड में अधिकांश निदेशक भारतीय नागरिक होंगे;

(ख) दूरसंचार नेटवर्क और सिस्टम प्रशासकों के मुख्य प्रभारी अधिकारी निवासी भारतीय नागरिक होंगे।

(ग) दूरसंचार (दूरसंचार साइबर सुरक्षा) नियम, 2024 के अनुरूप, मुख्य दूरसंचार सुरक्षा अधिकारी एक निवासी भारतीय नागरिक होगा।

(2) प्राधिकृत इकाई अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) या मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के पदों पर किसी विदेशी नागरिक की नियुक्ति से पहले गृह मंत्रालय द्वारा सुरक्षा जांच सुनिश्चित करेगी और ऐसी नियुक्ति की अवधि के लिए ऐसी सुरक्षा जांच वार्षिक आधार पर जारी रहेगी।

(3) प्राधिकृत इकाई अपने दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, प्रचालन, अनुरक्षण या विस्तार के लिए ऐसे व्यक्तियों की तैनाती से पहले गृह मंत्रालय द्वारा विदेशी नागरिकों की सुरक्षा जांच सुनिश्चित करेगी।

(4) प्राधिकृत इकाई उप-नियम (2) और उप-नियम (3) में प्रदान की गई सुरक्षा जाँच के लिए पोर्टल पर विनिर्दिष्ट प्रपत्र और तरीके से आवेदन करेगी और गृह मंत्रालय का निर्णय ऐसी प्राधिकृत इकाई पर बाध्यकारी होगा।

34. प्रयोक्ताओं का नामांकन और दूरसंचार सेवाओं का सक्रियण

(1) प्राधिकृत इकाई, प्रयोक्ता पहचान सत्यापन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अधिसूचनाओं, आदेशों, निदेशों या दिशानिदेशों के अनुपालन में दूरसंचार सेवाओं के उपबंध हेतु ऐसे प्रयोक्ताओं का नामांकन करने से पहले प्रयोक्ताओं की पहचान को सत्यापित करेगी।

(2) प्राधिकृत इकाई, प्रयोक्ता के नामांकन के समय, प्रत्येक प्रकार की दूरसंचार सेवा के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र और तरीके से प्रयोक्ता की जानकारी का विवरण एकत्रित और अनुरक्षित करेगी।

(3) प्राधिकृत इकाई अपने प्रयोक्ताओं का एक अद्यतन डेटाबेस इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट प्रपत्र और तरीके से बनाए रखेगी और केन्द्रीय सरकार या संबंधित प्राधिकृत एजेंसी को ऐसे डेटाबेस तक एक्सेस प्रदान करेगी।

(4) प्राधिकृत इकाई, इस संबंध में दिए गए निदेशों के अनुसार, प्रत्येक प्रयोक्ता की पता लगाने योग्य पहचान केन्द्रीय सरकार या संबंधित प्राधिकृत एजेंसी को उपलब्ध कराएगी।

35. डेटा को भारत में रखना

प्राधिकृत इकाई प्रयोक्ता की जानकारी भारत के बाहर किसी व्यक्ति या स्थान को हस्तांतरित नहीं करेगी:

परंतु यह कि यह किसी प्रयोक्ता की लेखा जानकारी से संबंधित किसी भी वित्तीय प्रकटीकरण को प्रतिबंधित नहीं करेगा, जैसा कि इन नियमों या लागू कानून के तहत अपेक्षित हो सकता है।

36. अभिलेखों का अनुरक्षण

प्राधिकृत इकाई सभी वाणिज्यिक अभिलेखों, सब्सक्राइबर डेटा रिकॉर्ड (एसडीआर), कॉल डेटा रिकॉर्ड (सीडीआर), किसी भी नाम से संदर्भित, जिसमें कॉल विवरण रिकॉर्ड, एक्सचेंज विवरण रिकॉर्ड (ईडीआर), आईपी विवरण रिकॉर्ड या आईपी डेटा रिकॉर्ड (आईपीडीआर) और सभी प्रकार की दूरसंचार सेवाओं के लिए कोई अन्य समान अभिलेख शामिल हैं, को केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से अनुरक्षित रखेगी और प्रदान करेगी।

37. दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से संप्रेषित की गई जानकारी की सुरक्षा

(1) प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और समयबद्ध उपाय करेगी कि प्रयोक्ताओं द्वारा दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से संप्रेषित की गई जानकारी सुरक्षित और संरक्षित रहे।

(2) प्राधिकृत इकाई अपने दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से संप्रेषित संदेशों की गोपनीयता सुनिश्चित करेगी और संदेशों का अनधिकृत अवरोधन न हो:

परंतु यह कि, जब कोई प्राधिकृत इकाई लागू कानून के तहत शक्तियों के प्रयोग में निदेश प्राप्त होने पर, केन्द्रीय सरकार या प्राधिकृत एजेंसियों को अपने दूरसंचार नेटवर्क से संदेशों और अन्य डेटा के रिकॉर्ड प्रदान करती है, तो ऐसे रिकॉर्ड एक सुवोध प्रारूप में प्रदान किए जाएँगे, न कि एन्क्रिप्टेड तरीके से।

38. अनधिकृत या गैरकानूनी गतिविधियों के लिए दूरसंचार नेटवर्क के उपयोग का निरोध

प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि दूरसंचार नेटवर्क का उपयोग केवल वास्तविक प्रयोक्ताओं को प्राधिकृत दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करने के लिए किया जाए और इसका उपयोग ऐसी किसी भी गतिविधि या कार्रवाई के लिए न किया जाए जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 या राज्य के विरुद्ध अपराधों पर प्रतिबंध लगाने वाले कानूनों सहित वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपराध हो।

39. विश्वसनीय स्रोत और विश्वसनीय उत्पाद

(1) इस नियम के प्रयोजन के लिए, नामित प्राधिकरणी केन्द्रीय सरकार का राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक होगा, जो उन दूरसंचार उपकरणों की श्रेणियों का निर्धारण करेगा जिनके लिए विश्वसनीय स्रोतों से संबंधित सुरक्षा अपेक्षिताएँ लागू होती हैं, और इस प्रयोजन के लिए अपनी वेबसाइट पर उन्हें विनिर्दिष्ट करेगा।

(2) नामित प्राधिकरणी उप-नियम (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दूरसंचार उपकरणों की श्रेणियों के लिए संबंधित विश्वसनीय उत्पादों सहित विश्वसनीय स्रोतों को विनिर्दिष्ट करेगा।

(3) नामित प्राधिकरणी विश्वसनीय स्रोतों और विश्वसनीय उत्पादों की सूची में दूरसंचार उपकरणों को शामिल करने की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट कर सकता है।

(4) विनिर्दिष्ट प्राधिकरणी उन व्यक्तियों की सूची भी विनिर्दिष्ट कर सकता है जिनसे दूरसंचार उपकरण या संबद्ध उत्पादों का प्रापण नहीं किया जा सकता।

(5) प्राधिकृत इकाई, उप-नियम (2) के तहत विनिर्दिष्ट प्राधिकरणी द्वारा विनिर्धारित विश्वसनीय स्रोतों से विश्वसनीय उत्पादों का प्रापण करेगी और अपने दूरसंचार नेटवर्क में केवल ऐसे उत्पादों का उपयोग या कनेक्शन करेगी।

(6) प्राधिकृत इकाई, अपने दूरसंचार नेटवर्क को शुरू करने से पहले, इस उद्देश्य के लिए विनिर्दिष्ट प्राधिकरणी द्वारा विनिर्दिष्ट वेबसाइट पर खुद को पंजीकृत करेगी और दूरसंचार नेटवर्क या दूरसंचार उपकरण से संबंधित प्रासंगिक विवरण प्रदान करेगी, जैसा कि ऐसे प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित हो सकता है।

(7) प्राधिकृत इकाई, दूरसंचार नेटवर्क को स्थापित करने से पहले, विनिर्दिष्ट प्राधिकरणी द्वारा विनिर्दिष्ट दूरसंचार उपकरण और संबंधित उत्पादों, या उनकी श्रेणियों के प्रापण के लिए शर्तों का पालन करेगी।

(8) प्राधिकृत इकाई अपने दूरसंचार नेटवर्क के लिए दूरसंचार उपकरण और संबंधित उत्पादों, या उनकी श्रेणियों के प्रापण या उसके किसी अद्यतन या विस्तार से पहले निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करेगी:

(क) यदि विनिर्दिष्ट प्राधिकरणी ने उप-नियम (2) के अंतर्गत दूरसंचार उपकरण और संबंधित उत्पादों को विश्वसनीय उत्पादों और उनके संगत विश्वसनीय स्रोतों के रूप में पहले ही निर्धारित कर लिया है, तो प्राधिकृत इकाई इसका अनुपालन सुनिश्चित करेगी और इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप और तरीके से विनिर्दिष्ट प्राधिकरणी और केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगी: (i) दूरसंचार उपकरणों की सूची और वे स्रोत जिनके प्रापण की योजना बना रही है; और (ii) दूरसंचार उपकरण, संबंधित उत्पादों और उनके स्रोतों के प्रापण और उनको स्थापित करने के स्थानों की आवधिक रिपोर्ट;

(ख) यदि खंड (क) लागू नहीं होता है, तो प्राधिकृत इकाई उप-नियम (3) के अंतर्गत इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट प्राधिकरणी द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, विनिर्दिष्ट प्राधिकरणी को दूरसंचार उपकरण और संबंधित उत्पादों और उनके स्रोतों का विवरण प्रस्तुत करेगी, जिनसे वह उनके प्रापण की मंशा रखती है;

(ग) यदि विनिर्दिष्ट प्राधिकरणी उपरोक्त खंड (ख) के अंतर्गत प्रस्तुत दूरसंचार उपकरणों और संबंधित उत्पादों तथा उनके स्रोतों को मंजूरी देता है, तो प्राधिकृत इकाई उनके प्रापण और स्थापित करने के लिए आगे बढ़ेगी; और

(घ) प्राधिकृत इकाई, विनिर्दिष्ट प्राधिकरणी या केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले किसी भी अधिसूचना, आदेश, निदेश या दिशानिर्देश, जिसमें दूरसंचार नेटवर्क के संवर्धित पर्यवेक्षण और प्रभावी नियंत्रण हेतु मार्गदर्शन शामिल है, का पालन करेगी।

(9) प्राधिकृत इकाई, केन्द्रीय सरकार या विनिर्दिष्ट प्राधिकरणी द्वारा मांगे जाने पर, अपने दूरसंचार नेटवर्क में लगाए गए या लगाए जा रहे दूरसंचार उपकरणों से संबंधित कोई भी जानकारी प्रदान करेगी।

(10) प्राधिकृत इकाई, केन्द्रीय सरकार या संबंधित प्राधिकृत एजेंसी को इस नियम के अनुपालन से संबंधित अनुपालन रिपोर्ट अर्ध-वार्षिक आधार पर, प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को, पोर्टल के माध्यम से, इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप और तरीके से प्रस्तुत करेगी।

(11) ये नियम केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 21 के अधीन राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक या समीचीन समझे जाने वाले किसी अन्य उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे, जो प्राधिकृत इकाईयों पर बाध्यकारी होगा।

(12) किसी लाइसेंसधारी के संबंध में, यह नियम उसके लाइसेंस के अंतर्गत विश्वसनीय स्रोतों से विश्वसनीय उत्पादों के प्रापण से संबंधित दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है और न ही उसे रद्द करता है, जो तब तक लागू रहेगा जब तक लाइसेंस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन नियमों के अंतर्गत प्राधिकरण में परिवर्तित नहीं हो जाता।

परंतु यह कि, प्राधिकृत इकाई बनने के लिए इस तरह का माइग्रेशन, चल रहे वार्षिक अनुरक्षण अनुबंधों (एएमसी) या दूरसंचार उपकरणों के उनके अद्यतनों को प्रभावित नहीं करेगा, जो 15 जून 2021 से पहले ही उसके दूरसंचार नेटवर्क में शामिल किए जा चुके हों।

इसके अलावा, लाइसेंसधारी, प्राधिकृत इकाई बनने के लिए अपने लाइसेंस के माइग्रेशन पर, 15 जून 2021 से पहले स्थापित दूरसंचार नेटवर्क के अद्यतन या विस्तार के लिए नामित प्राधिकरणी से अनुज्ञा लेगा, जिसमें विश्वसनीय उत्पाद के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं किए गए दूरसंचार उपकरणों का उपयोग किया जाएगा।

40. कुछ क्रियाकलापों का निषेध

(1) इन नियमों के तहत किसी प्राधिकृत इकाई के दूरसंचार नेटवर्क का उपयोग निम्नलिखित के प्रसारण के लिए नहीं किया जाएगा:

- (क) लागू कानून के अनुसार आपत्तिजनक या अश्वील या अनधिकृत संदेश; और
- (ख) किसी भी रूप में कॉपीराइट और बौद्धिक संपदा अधिकार का उल्लंघन करने वाली कोई अन्य सामग्री या संचार या संदेश।

(2) प्राधिकृत इकाई, केन्द्रीय सरकार से कोई रिपोर्ट, आदेश या निदेश, या न्यायालय का आदेश प्राप्त होने पर, अपने दूरसंचार नेटवर्क में उप-नियम (1) का उल्लंघन करने वाली सामग्री या संचार या संदेश के प्रसारण को रोकने के लिए तुरंत आवश्यक उपाय करेगी।

(3) प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि उसका दूरसंचार नेटवर्क या उसकी संस्थापना, सुरक्षा या स्वास्थ्य के लिए खतरा न बने और किसी कानून या नीति का उल्लंघन न करे।

41. सामान्य सुरक्षा शर्तें

(1) प्राधिकृत इकाई अपने दूरसंचार नेटवर्क की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगी और इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की जाने वाली किसी भी अधिसूचना, आदेश, निदेश या दिशानिर्देशों का पालन करेगी।

(2) प्राधिकृत इकाई जासूसी, विध्वंसक कृत्यों, तोड़फोड़ या किसी अन्य गैर-कानूनी गतिविधि की किसी भी स्थिति का जवाब देने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अपेक्षित आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करेगी और इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचनाओं, आदेशों, निदेशों या दिशानिर्देशों का पालन करेगी।

(3) प्राधिकृत इकाई केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान को निलंबित करने की क्षमता सुनिश्चित करेगी, परंतु यह कि केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट क्षेत्र की सीमा के संबंध में विनिर्दिष्ट सटीकता हो।

(4) अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर प्राधिकरण के सेवा क्षेत्र को परिभाषित करने के उद्देश्य से किसी प्राधिकृत इकाई द्वारा ली गई भौगोलिक सीमाओं का सटीक चित्रण, यदि कोई हो, भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए, मानचित्रों में दर्शाई गई सीमाओं के अनुरूप होगा, और उसमें कोई भी संशोधन इस संबंध में केन्द्रीय सरकार के विशिष्ट पूर्व लिखित मंजूरी के अध्यधीन होगा।

अध्याय 6: दूरसंचार सेवाओं के प्रकारों के लिए विशिष्ट शर्तें

42. अध्याय 6 की प्रयोज्यता

(1) अध्याय 1 से अध्याय 5 में उल्लिखित नियमों के अतिरिक्त, इस अध्याय के विभिन्न भागों में उल्लिखित नियम इस अध्याय के संबंधित भाग के कार्यक्षेत्र में विनिर्दिष्ट विशिष्ट दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करने वाली प्राधिकृत इकाई पर भी लागू होंगे।

(2) अध्याय 1 से अध्याय 5 और अध्याय 6 के प्रावधानों के बीच किसी भी विरोध की स्थिति में, अध्याय 6 के उपबंध ही मान्य होंगे।

भाग क: सार्वजनिक मोबाइल रेडियो ट्रॅकिंग सेवा (पीएमआरटीएस) प्राधिकरण

43. सार्वजनिक मोबाइल रेडियो ट्रॅकिंग सेवा (पीएमआरटीएस) प्राधिकरण का कार्यक्षेत्र

(1) इस भाग के उपबंध सार्वजनिक मोबाइल रेडियो ट्रॅकिंग सेवा प्राधिकरण रखने वाली प्राधिकृत इकाइयों पर लागू होंगे।

(2) अध्याय 6 के भाग के प्रयोजन के लिए:

"सार्वजनिक मोबाइल रेडियो ट्रॅकिंग सेवा" या "पीएमआरटीएस" का अभिप्रेत एक प्रकार की दूरसंचार सेवा है जो प्रयोक्ताओं के बीच दो-तरफा भू मोबाइल संचार को सक्षम बनाती है, जिसमें कॉल की अवधि के लिए अस्थायी रूप से आवंटित रेडियो आवृत्तियों की एक जोड़ी का उपयोग किया जाता है, जो पीएमआरटीएस प्रणाली को सौंपे गए एक विनिर्दिष्ट स्पेक्ट्रम बैंड से, एक बेस स्टेशन के माध्यम से होती है।

(3) सार्वजनिक मोबाइल रेडियो ट्रॅकिंग सेवा प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र में पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रॅकिंग सेवा (पीएमआरटीएस) शामिल है।

(4) पीएमआरटीएस प्राधिकरण रखने वाली प्राधिकृत इकाई वायरलेस स्थलीय नेटवर्क के माध्यम से उप-नियम (3) के तहत निर्दिष्ट दूरसंचार सेवा प्रदान कर सकती है।

(5) पीएमआरटीएस प्राधिकरण रखने वाली एक प्राधिकृत इकाई केवल अपने प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र के तहत दूरसंचार सेवाएं प्रदान करेगी, न कि कोई अन्य दूरसंचार सेवा (सेवाएं) जिन्हें केन्द्रीय सरकार से अलग प्राधिकरण की आवश्यकता होती है।

44. शुल्क और प्रभार

(1) इस भाग में, सकल राजस्व, लागू सकल राजस्व (एपीजीआर), समायोजित सकल राजस्व (एजीआर), आईयूसी और प्रकल्पित एजीआर शब्दों के निम्न विनिर्दिष्ट संबंधित अर्थ होंगे:

(क) एक प्राधिकृत इकाई के "सकल राजस्व" में सभी प्रचालनों और गतिविधियों के माध्यम से एक प्राधिकृत इकाई को अर्जित राजस्व और ब्याज, लाभांश, किराया, अचल संपत्तियों की विक्री पर लाभ और विविध आय सहित किसी भी स्रोत से सभी आय शामिल होगी, जिसमें व्यय की संबंधित मदों के लिए कोई भी सेट-ऑफ शामिल नहीं होगा।

(ख) समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की गणना के प्रयोजनों के लिए "लागू सकल राजस्व" या "एपीजीआर", प्राधिकृत इकाई निम्न सूचीबद्ध मदों द्वारा कम किए गए सकल राजस्व के बराबर होगा:

- (i) दूरसंचार गतिविधियों या प्रचालन के अलावा अन्य प्रचालन से राजस्व;
- (ii) सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी प्राधिकरण, अनुमति या पंजीकरण के तहत गतिविधियों से राजस्व;
- (iii) डिजिटल भारत निधि से प्राप्तियां; और
- (iv) निम्नलिखित मदों के अंतर्गत आने वाला राजस्व:

(क) लाभांश से आय;

(ख) ब्याज से आय;

(ग) अचल संपत्तियों और प्रतिभूतियों की विक्री पर लाभ के कारण पूंजीगत लाभ;

(घ) विदेशी विनिमय दरों में उत्तर-चढ़ाव से लाभ;

- (ड.) संपत्ति के किराए से आय;
- (च) बीमा दावे;
- (छ) खराब ऋण वसूली; और
- (ज) अतिरिक्त प्रावधान को बट्टे खाते में डालना:

परंतु यह कि केन्द्रीय सरकार समय-समय पर इन राजस्व स्रोतों पर लागू विवरण और शर्तों और उनकी गणना के तरीके को विनिर्दिष्ट करे।

(ग) "समायोजित सकल राजस्व" या "एजीआर" एपीजीआर के बराबर होगा।

(2) एक प्राधिकृत इकाई प्राधिकरण की प्रभावी तारीख से वार्षिक प्राधिकरण शुल्क के रूप में एजीआर का आठ प्रतिशत का भुगतान करेगी:

परंतु यह कि प्राधिकरण की प्रभावी तारीख के दूसरे वर्ष से और प्रत्येक बाद के वर्ष के लिए, प्राधिकरण शुल्क निम्न में से अधिक होगा: (क) उप-नियम (2) के तहत विनिर्दिष्ट राशि, या (ख) अनुसूची क में विनिर्दिष्ट लागू प्रवेश शुल्क का तीस प्रतिशत होगा।

परंतु यह कि प्राधिकरण के नवीकरण के मामले में, प्राधिकरण शुल्क नवीकरण की प्रभावी तारीख से संबंधित प्राधिकरण के प्रवेश शुल्क के न्यूनतम तीस प्रतिशत के अधीन होगा।

परन्तु यह कि किसी मौजूदा लाइसेंस को पीएमआरटीएस प्राधिकरण में माइग्रेशन करने के मामले में प्राधिकरण शुल्क माइग्रेशन की प्रभावी तिथि से पीएमआरटीएस प्राधिकरण के प्रवेश शुल्क के न्यूनतम तीस प्रतिशत के अधीन होगा।

(3) उप-नियम (2) के तहत प्राधिकरण शुल्क में एजीआर के पांच प्रतिशत की दर से गणना की गई डिजिटल भारत निधि में अंकित राशि शामिल होगी।

(4) डिजिटल भारत निधि के लिए प्राधिकरण शुल्क या निर्दिष्ट राशि की मात्रा प्राधिकरण की अवधि के भीतर किसी भी समय इन नियमों में संशोधन के माध्यम से भिन्न हो सकती है।

45. भुगतान की अनुसूची

(1) इन नियमों के तहत निर्धारित प्राधिकरण शुल्क अप्रैल की पहली तारीख से शुरू होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान चार तिमाही किस्तों में देय होगा, और प्राधिकरण की किसी भी अवधि के लिए शुल्क जो एक तिमाही से कम है, की गणना संबंधित तिमाही में दिनों की वास्तविक संख्या के आधार पर यथानुपात आधार पर की जाएगी।

(2) एक प्राधिकृत इकाई निम्नलिखित तरीके से प्राधिकरण शुल्क की त्रैमासिक किस्तों का भुगतान करेगी:

(क) वित्तीय वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में से प्रत्येक के संबंध में तिमाही किस्त का भुगतान संबंधित तिमाही के पूरा होने के पंद्रह दिनों के भीतर किया जाएगा; और

(ख) अंतिम तिमाही के लिए त्रैमासिक किस्त का भुगतान पञ्चास मार्च तक अग्रिम रूप से किया जाएगा, जिसकी गणना उस तिमाही के लिए अपेक्षित राजस्व के आधार पर की जाएगी, जो पिछली तिमाही के लिए भुगतान किए गए प्राधिकरण शुल्क के बराबर न्यूनतम राशि के अधीन है:

परंतु यह कि एक प्राधिकृत इकाई अंतिम तिमाही के लिए किए गए अग्रिम भुगतान और अगले वित्तीय वर्ष के पंद्रह अप्रैल तक ऐसी तिमाही के लिए विधिवत देय वास्तविक राशि के बीच अंतर को समायोजित करेगी और भुगतान करेगी।

(3) उप-नियम (2) के अनुसार भुगतान की गणना संबंधित तिमाही के लिए वास्तविक आधार पर राजस्व के आधार पर की जाएगी, और पोर्टल पर विनिर्दिष्ट रूप और तरीके से: (क) प्राधिकृत इकाई के प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित और इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित, एक स्व-प्रमाण पत्र, जो बोर्ड के संकल्प और अटॉर्नी की सामान्य शक्ति द्वारा प्राधिकृत है, और (ख) एक प्राधिकृत इकाई के प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित और इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित प्रत्येक प्राधिकरण के लिए राजस्व का एक विवरण भी लगाया जाएगा।

(4) एक प्राधिकृत इकाई, प्रत्येक वर्ष जून की तीस तारीख पर या उससे पहले:

(क) इस उद्देश्य के लिए पोर्टल पर निर्दिष्ट रूप और तरीके में विधिवत लेखा परीक्षित और कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार नियुक्त अपने सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित पिछले वित्तीय वर्ष की सभी तिमाहियों के लिए राजस्व का विवरण प्रस्तुत करेगी; और

(ख) उप-नियम (2) के आधार पर, पिछले वित्तीय वर्ष के लिए उप-नियम (5) के अनुसार लागू ब्याज सहित प्राधिकरण शुल्क का अंतिम समायोजन करना।

(5) इस तरह के भुगतान के लिए विनिर्दिष्ट अवधि से परे किसी प्राधिकृत इकाई द्वारा देय प्राधिकरण शुल्क या किसी अन्य बकाया राशि के भुगतान में किसी भी विलंब की स्थिति में, प्राधिकृत इकाई भी भारतीय स्टेट बैंक की एक वर्ष की सीमातं लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) की दर से गणना किए गए ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी, जैसा कि संबंधित वित्तीय वर्ष की शुरुआत में मौजूद है, अर्थात् पहली अप्रैल, और दो प्रतिशत सालाना चक्रवृद्धि:

परंतु यह कि ब्याज की गणना के उद्देश्य से महीने के किसी भी हिस्से को पूर्ण माह माना जाएगा।

(6) एक प्राधिकृत इकाई उप-नियम (3) के तहत प्रस्तुत तिमाही विवरणों में प्रदर्शित आंकड़ों के बीच जो वार्षिक खातों में परिलक्षित हो रहे हैं, विधिवत लेखा परीक्षित और कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार नियुक्त अपने सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित, प्रकाशित वार्षिक खातों और लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति के साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तारीख के सात दिनों के भीतर या कंपनी अधिनियम के तहत प्रदान की गई समय-सीमा के भीतर वार्षिक वित्तीय विवरणों को दायर करने के लिए जो भी पहले हो, एक सामंजस्य विवरण प्रस्तुत करेगी

परंतु यह कि वार्षिक वित्तीय विवरण, राजस्व विवरण, और सुलह विवरण जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए विनिर्दिष्ट मानदंडों का पालन करते हुए तैयार किया जाएगा।

(7) इन नियमों के तहत देय और देय होने वाली सभी धनराशि का भुगतान एक प्राधिकृत इकाई द्वारा पोर्टल पर विनिर्दिष्ट तरीके से किया जाएगा।

46. प्राधिकरण के लिए गारंटी आवश्यकताएं

(1) एक प्राधिकृत इकाई, उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए, निम्नलिखित में से किसी भी प्रकार के रूप और तरीके से, जैसा कि पोर्टल पर विनिर्दिष्ट किया गया है, एक गारंटी प्रस्तुत करेगी:

- (क) किसी भी अनुसूचित बैंक या सार्वजनिक वित्तीय संस्थान से बैंक गारंटी;
- (ख) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी लागू नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार बीमा कंपनी द्वारा जारी बीमा ज़मानत बांड; नहीं तो
- (ग) केन्द्रीय सरकार के पास गैर-ब्याज-वहन प्रतिभूति जमा।

(2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट गारंटी का उद्देश्य प्राधिकरण के सभी निबंधन और शर्तों के उचित अनुपालन के लिए सुरक्षा प्रदान करना है, जो प्राधिकरण शुल्क के भुगतान तक सीमित नहीं है, उल्लंघन के लिए लगाया गया जुर्माना या प्राधिकरण के किसी भी निबंधन और शर्तों का उल्लंघन या अधिसूचनाओं, आदेशों का अनुपालन न करना, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देश, या दिशानिर्देश, और प्राधिकरण के तहत देय कोई अन्य बकाया।

(3) उप-नियम (1) के तहत प्रस्तुत गारंटी केन्द्रीय सरकार द्वारा आवधिक वार्षिक समीक्षा के अधीन होगी और एक प्राधिकृत इकाई प्राधिकरण की अवधि के लिए एक वैध गारंटी बनाए रखेगी, या जब तक प्राधिकरण के तहत सभी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, जो भी बाद में हो:

परंतु यह कि आशय पत्र के अनुसार प्रस्तुत प्रारंभिक गारंटी अनुसूची क में इस तरह के प्राधिकरण के संबंध में विनिर्दिष्ट राशि के लिए होगी, और प्राधिकरण के बाद के वर्षों के लिए, केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित राशि के लिए, उच्चतर राशि के आधार पर: (क) प्रारंभिक गारंटी की राशि, और (ख) संयुक्त अनुमानित राशि का बीस प्रतिशत, पोर्टल पर इस उद्देश्य के लिए विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार निम्नलिखित में से गणना की जाती है:

- (i) दो तिमाहियों के लिए प्राधिकरण शुल्क; और
- (ii) कोई अन्य बकाया जो अन्यथा सुरक्षित नहीं है।

(4) प्राधिकृत इकाई ऐसी गारंटी की वैधता अवधि को उसकी समाप्ति की तारीख से कम से कम एक महीने पहले केन्द्रीय सरकार से किसी भी मांग या नोटिस के बिना बढ़ाएगी।

(5) प्राधिकरण की अवधि के दौरान किसी भी समय वैध गारंटी बनाए रखने में कोई विफलता, या जब तक प्राधिकरण के तहत सभी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, जो भी बाद में हो, केन्द्रीय सरकार प्राधिकृत इकाई को किसी भी नोटिस के बिना बैंक गारंटी को भुनाने, बीमा ज़मानत बांड का दावा करने, या सुरक्षा जमा राशि को विनियोजित करने का हकदार होगा:

परंतु यह कि ऐसी गारंटी के नकदीकरण, दावे या विनियोग पर केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई ब्याज या मुआवजा देय नहीं होगा।

(6) जब गारंटी को पूरी तरह या आंशिक रूप से नकद, दावा या विनियोजित किया गया हो, तो ऐसे अवसरों पर एक प्राधिकृत इकाई ऐसी नकदीकरण, दावा या विनियोजित गारंटी, जैसा भी मामला हो, को ऐसे नकदीकरण, दावे या विनियोग के पंद्रह दिनों के भीतर पूरी राशि तक बहाल करेगी।

परंतु यह कि केन्द्रीय सरकार, उप-नियम (6) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले प्राधिकृत इकाई से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर, इस तरह की बहाली को दस दिन तक बढ़ाने की अनुमति दे सकती है, बर्तने कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जा रहा हो।

(7) दूरसंचार (अधिनिर्णय और अपील) नियम, 2025 के तहत अपने अधिकारों या किसी अन्य उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित मामलों में गारंटी को नकद, दावा या विनियोजित कर सकती है:

- (क) प्राधिकरण शुल्क का भुगतान न करना, या प्राधिकरण या असाइनमेंट के तहत देय कोई अन्य बकाया होना;
- (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाए गए दंड से उत्पन्न होने वाली बकाया राशि का भुगतान न करना; या
- (ग) प्राधिकरण या असाइनमेंट के किसी अन्य नियम या शर्त का उल्लंघन।

(8) प्राधिकरण के निरसन, सरेंडर या समाप्ति पर, सभी बकायों की निकासी सुनिश्चित करने के बाद ही किसी प्राधिकृत इकाई को संबंधित गारंटी जारी की जाएगी, जो एक प्राधिकृत इकाई केन्द्रीय सरकार को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है:

परंतु यह कि केन्द्रीय सरकार को देय राशियों का भुगतान करने में विफलता के मामले में, बकाया राशि की वसूली ऐसी प्राधिकृत इकाई को कोई अन्य सूचना दिए बिना केन्द्र सरकार को देय राशियों की वसूली के लिए किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना गारंटी के नकदीकरण, दावे या विनियोग के माध्यम से की जाएगी।

47. प्राधिकरण शुल्क का मूल्यांकन

(1) केन्द्रीय सरकार इस उद्देश्य के लिए विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, इन नियमों के तहत केन्द्रीय सरकार को देय प्राधिकरण शुल्क और किसी भी अन्य शुल्क का मूल्यांकन कर सकती है।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजनों के लिए, शब्द "मूल्यांकन" में पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गणना शामिल होगी।

(2) जहां एक प्राधिकृत इकाई किसी अन्य दूरसंचार सेवा या दूरसंचार नेटवर्क के लिए, या एक अलग सेवा क्षेत्र में एक ही दूरसंचार सेवा के लिए एक प्राधिकरण रखती है, वह प्रत्येक प्राधिकरण के लिए प्राधिकरण शुल्क की गणना का अलग विवरण बनाएगी और प्रस्तुत करेगी और केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं, आदेशों, निर्देशों या दिशानिर्देशों का पालन करेगी, इसके साथ ही इस उद्देश्य के लिए ट्राई द्वारा आदेश, निर्देशों, दिशा-निर्देशों या विनियमों को जारी किया जा सकेगा।

(3) प्राधिकृत इकाई इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार अथवा ट्राई द्वारा विनिर्दिष्ट लेखांकन मानदंडों और सिद्धांतों तथा निर्देशों के अनुसार वार्षिक लेखे भी तैयार और प्रस्तुत करेगी।

(4) एक प्राधिकृत इकाई, प्रत्येक प्राधिकरण के संबंध में, करेगी:

- (क) लेखांकन रिकॉर्ड संकलित और बनाए रखना, जो प्राधिकरण की अवधि के दौरान प्रत्येक पूर्ण तिमाही या ऐसी अल्प अवधि जो केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट कर सकती है, के संबंध में अपने लेनदेन को दिखाने और समझाने

के लिए पर्याप्त हैं जिसमें पूँजीगत लागत, राजस्व सहित लागतों को प्रस्तुत करना, और प्राधिकरण के तहत एक प्राधिकृत इकाई के कार्य की राजस्व की मात्रा या अन्य उद्देश्य के लिए इकाई के कार्य की वित्तीय स्थिति जिसमें नियोजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्यांकन और एक प्राधिकरण के कारण देनदारियां शामिल हैं।

(ख) किसी प्राधिकृत इकाई द्वारा अन्य प्राधिकृत इकाइयों से प्राप्त दूरसंचार नेटवर्क के लिए अलग से प्रभार का भुगतान करना, जो ऐसी इकाइयों के साथ आपसी करार और ट्राई के नियमों द्वारा जहां लागू हो शासित होगा, ;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि अन्य प्राधिकृत इकाइयों के साथ खातों का द्विपक्षीय निपटान पारदर्शी तरीके से सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से किया जाए; और

(घ) अन्य प्राधिकृत इकाइयों के साथ खातों के निपटान हेतु तंत्र के ब्यौरे, नेटवर्क और सुविधाओं के उपयोग के लिए प्रभारों के साथ-साथ वास्तविक निपटान के ब्यौरे केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगी।

(5) प्राधिकृत इकाई अपने विधिवत लेखापरीक्षित और अनुमोदित लेखाओं के प्रकाशन की तारीख से कम से कम छह वर्ष की अवधि के लिए किसी वित्तीय वर्ष के बिलिंग और अन्य लेखांकन अभिलेखों को इलेक्ट्रॉनिक और हार्ड कॉपी में बनाए रखेगी और संरक्षित करेगी:

बशर्ते, यदि किसी भी अवधि के लिए प्राधिकरण शुल्क या कोई अन्य शुल्क विवाद के अधीन है, तो उक्त रिकॉर्ड तब तक बनाए रखा जाएगा जब तक कि विवाद हल नहीं हो जाता, भले ही अवधि ऊपर विनिर्दिष्ट छह साल की अवधि से आगे बढ़ जाए।

(6) केन्द्रीय सरकार या ट्राई, किसी भी समय, किसी प्राधिकृत इकाई को सूचना की आपूर्ति करने या वार्षिक खाते उपलब्ध करने के लिए निर्देशित कर सकती है, जो ऐसी प्राधिकृत इकाई अपने प्राधिकरण की शर्तों के तहत दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के संबंध में इन खातों को रखती है, और ऐसी प्राधिकृत इकाई तुरंत इस तरह के निर्देश का पालन करेगी।

(7) प्राधिकृत इकाई के अभिलेख ऐसी संवीक्षा के अध्यधीन होंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जा सकती है ताकि प्राधिकरण शुल्क और अन्य प्रभारों सहित केन्द्रीय सरकार को देय राशियों के स्वतंत्र सत्यापन को सुकर बनाया जा सके।

(8) केन्द्रीय सरकार, यह राय बनाने पर कि किसी प्राधिकृत इकाई द्वारा प्रस्तुत राजस्व या वार्षिक लेखाओं के विवरण गलत या भ्रामक हैं, एक या अधिक लेखापरीक्षकों को नियुक्त करके किसी प्राधिकृत इकाई के लेखाओं की लेखा परीक्षा का आदेश दे सकती है, जिनके पास वही शक्तियां होंगी जो कंपनी अधिनियम की धारा 143 के तहत कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों को प्राप्त हैं, और केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा निर्धारित ऐसे लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक प्राधिकृत इकाई द्वारा देय होगा।

(9) उप-नियम (8) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार, किसी भी समय, एक प्राधिकार इकाई के खातों और अभिलेखों की विशेष लेखा परीक्षा करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के तहत कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के समान शक्तियों वाले एक लेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकती है, और ऐसे लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक, जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, ऐसी प्राधिकृत इकाई द्वारा देय होगा।

(10) यदि कोई प्राधिकृत इकाई संबद्ध वित्तीय वर्ष की समाप्ति से नौ माह के भीतर नियम 45 के उप-नियम (4) और (6) के अधीन वार्षिक लेखा, लेखापरीक्षा रिपोर्ट और अन्य अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहती है तो केन्द्रीय सरकार, सभी उपलब्ध दस्तावेजों, सूचना और संबद्ध सामग्रियों की समीक्षा करने के पश्चात् सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर प्राधिकरण शुल्क का निर्धारण कर सकती है।

परंतु यह कि, इस तरह के मूल्यांकन के साथ आगे बढ़ने से पहले, केन्द्रीय सरकार एक प्राधिकृत इकाई को नोटिस जारी करेगी जो इसे सुनवाई का अवसर प्रदान करती है।

(11) इस नियम के तहत कोई भी मूल्यांकन ऐसे वित्तीय वर्ष के अंत से चार साल की अवधि के बाद के संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि वह उप-नियम (12) के तहत प्रदान किया गया है।

(12) केन्द्रीय सरकार संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से चार वर्ष बीत जाने के बाद और ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह वर्ष तक मूल्यांकन कर सकती है, यदि उसकी यह राय हो कि जिस राशि का मूल्यांकन नहीं किया गया हो वह राशि ऐसे वित्तीय वर्ष के लिए पचास लाख रुपए या उससे अधिक की राशि के बराबर होगी।

(13) उप-नियम (11) और उप-नियम (12) के तहत विनिर्दिष्ट सीमा की अवधि की गणना करने के प्रयोजनों के लिए, किसी भी अदालत के आदेश या निषेधाज्ञा के अनुसार इस तरह के मूल्यांकन पर किसी भी रोक को बाहर रखा जाएगा।

(14) उप-नियम (11) और उप-नियम (12) में निहित किसी भी बात के बावजूद, सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा पारित आदेश में निहित किसी भी निष्कर्ष या निर्देश के अनुसरण में किसी भी समय प्राधिकरण शुल्क का मूल्यांकन किया जा सकता है।

(15) केन्द्रीय सरकार, प्राधिकृत इकाइयों के खातों और लेखा परीक्षा के संबंध में, सभी या किसी भी दूरसंचार सेवाओं के संदर्भ में प्राधिकृत इकाइयों को उचित और सटीक मूल्यांकन, सत्यापन और प्राधिकरण शुल्क और भुगतान किए गए अन्य प्रभारों का निपटान सुनिश्चित करने के लिए उचित निर्देश जारी करेगी और प्राधिकृत इकाई ऐसे निर्देशों का पालन करेगी।

48. तकनीकी और प्रचालनगत स्थिति

(1) एक प्राधिकृत इकाई अपने पीएमआरटीएस सिस्टम को किसी अन्य प्राधिकृत इकाई की पीएमआरटीएस प्रणाली के साथ इंटरकनेक्ट नहीं करेगी।

(2) एक प्राधिकृत इकाई सेवा क्षेत्र के भीतर अपने पीएमआरटीएस बेस स्टेशनों के बीच कनेक्टिविटी स्थापित कर सकती है।

(3) एक प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि एक बार जब किसी प्रयोक्ता को पीएमआरटीएस प्रणाली द्वारा दूरसंचार के उद्देश्य के लिए रेडियो फ्रीड्रेंसी का एक पेयर सौंपा जाता है, तो ऐसे दूरसंचार में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।

(4) एक प्राधिकृत इकाई निम्नलिखित शर्तों के अधीन पीएसटीएन या पीएलएमएन के साथ कनेक्टिविटी स्थापित कर सकती है:

(क) पीएसटीएन या पीएलएमएन कनेक्टिविटी (केवल आउटगोइंग) पांच रेडियो फ्रीड्रेंसी चैनलों, प्रत्येक 25 किलोहर्ट्ज की, के लिए एक पीएसटीएन या पीएलएमएन लाइन तक सीमित होगी, एनालॉग सिस्टम के लिए सेवा क्षेत्र में केवल एक प्राधिकृत इकाई से एक्सेस सेवा प्रदान करने के लिए प्राधिकरण रखने वाली है।

(ख) पीएसटीएन या पीएलएमएन कनेक्टिविटी (केवल आउटगोइंग) एक ई-1 लिंक (30 सर्किट) या डिजिटल सिस्टम के लिए एसआईपी लिंक तक सीमित होगी और उसके बाद, प्रत्येक अतिरिक्त 10,000 प्रयोक्ताओं या उसके हिस्से के लिए एक अतिरिक्त ई-1 लिंक (30 सर्किट) या एसआईपी, केवल एक प्राधिकृत इकाई के साथ जिसके पास एक्सेस सेवा प्रदान करने के लिए प्राधिकरण है।

(ग) आवक पीएसटीएन या पीएलएमएन कनेक्टिविटी निषिद्ध है।

(5) प्राधिकृत इकाई, केन्द्रीय सरकार का पूर्व लिखित अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, इस प्रयोजन के लिए यथा विनिर्दिष्ट रूप और तरीके से किए गए आवेदन के अनुसरण में, बेस स्टेशन के स्थान को उस भौगोलिक क्षेत्र के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर अंतरित कर सकती है जिसके लिए स्पेक्ट्रम सौंपा गया है:

परंतु यह कि बेस स्टेशन के स्थान के ऐसे अंतरण के परिणामस्वरूप रेडियो कवरेज, उस भौगोलिक क्षेत्र के भीतर रहेगा जिसके लिए स्पेक्ट्रम सौंपा गया है।

(6) प्राधिकृत इकाई निम्नलिखित के संबंध में इस प्रयोजन के लिए यथा विनिर्दिष्ट रूप और तरीके से आवेदन करके केन्द्रीय सरकार का पूर्व लिखित अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् उस भौगोलिक क्षेत्र के भीतर अतिरिक्त बेस स्टेशन स्थापित कर सकती है जिसके लिए स्पेक्ट्रम सौंपा गया है:

(क) नए बेस स्टेशन (स्टेशनों) के लिए फ्रीड्रेंसी के अतिरिक्त ब्लॉक; या

(ख) नियत फ्रीड्रेंसी के पूल से कुछ फ्रीड्रेंसी वाहकों के आंशिक अंतरण के माध्यम से नए बेस स्टेशन (स्टेशनों) पर ऐसे भौगोलिक क्षेत्र के भीतर विनिर्दिष्ट फ्रीड्रेंसियों का उपयोग;

परंतु यह कि अतिरिक्त बेस स्टेशन की स्थापना से उत्पन्न रेडियो कवरेज, उस भौगोलिक क्षेत्र के भीतर रहेगा जिसके लिए स्पेक्ट्रम सौंपा गया है।

(7) प्राधिकृत इकाई केन्द्रीय सरकार की पूर्व लिखित स्वीकृति प्राप्त करने के बाद, निर्धारित रूप और तरीके से किए गए आवेदन के अनुसरण में, इस उद्देश्य के लिए विनिर्दिष्ट प्रासंगिक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के साथ अपने रेडियो उपकरण और प्रयोक्ता टर्मिनलों को बदल सकती है।

(8) प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि प्रयोक्ता टर्मिनल प्राधिकरण के निबंधन और शर्तों, और प्रासंगिक अधिसूचनाओं, आदेशों, निर्देशों या दिशानिर्देशों के अनुसार संचालित किया जा रहा है, जैसा कि इस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

(9) एक प्राधिकृत इकाई प्रयोक्ता टर्मिनलों की बिक्री, किराया, खरीद, पट्टे या किराए का कार्य कर सकती है, और प्रयोक्ताओं को केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 19 के तहत अधिसूचित मानकों को पूरा करने वाले किसी भी स्रोत से प्रयोक्ता टर्मिनल प्राप्त करने का विकल्प दिया जाएगा।

49. रोल आउट शर्तें

(1) प्राधिकृत इकाई ऐसे असाइनमेंट की तारीख से बारह माह के भीतर किसी भी शहर या कस्बे में, जिसके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा स्पेक्ट्रम सौंपा गया है, दूरसंचार नेटवर्क का रोल आउट करेगी।

(2) दूरसंचार नेटवर्क के रोल आउट का मतलब पीएमआरटीएस प्रणाली की स्थापना और कमीशनिंग होगा, जिसमें शहर या कस्बे में कम से कम एक बेस स्टेशन की कमीशनिंग शामिल है, जिसके लिए स्पेक्ट्रम सौंपा गया है।

(3) प्राधिकृत इकाई पीएमआरटीएस प्रणाली की कमीशनिंग के सत्यापन के लिए विनिर्दिष्ट रूप और तरीके से केन्द्रीय सरकार के साथ पंजीकरण करेगी।

(4) उप-नियम (3) के तहत सफल सत्यापन पर, केन्द्रीय सरकार के साथ पंजीकरण की तारीख को रोलआउट दायित्वों के अनुपालन की तारीख माना जाएगा।

(5) उप-नियम (2) के अंतर्गत दूरसंचार नेटवर्क के रॉल आउट के सत्यापन में विफलता के मामले में, प्राधिकृत कंपनी आवश्यक सुधारों के बाद पुनः पंजीकरण करेगी और ऐसे मामलों में, सफल सत्यापन के बाद केन्द्रीय सरकार के पास पुनःपंजीकरण की तारीख को रॉल आउट दायित्व के अनुपालन की तारीख माना जाएगा।

(6) रोलआउट दायित्वों का पालन करने में किसी भी विफलता को प्राधिकरण के निबंधन और शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा और दूरसंचार (अधिनिर्णय और अपील) नियम, 2025 के अनुसार इसका निपटान किया जाएगा।

परंतु यह कि यदि ऐसे दायित्वों का अनुपालन करने के लिए नियत तारीख की समाप्ति के तीस दिनों के भीतर रॉल आउट दायित्वों का अनुपालन किया जाता है, तो केन्द्रीय सरकार इसे प्राधिकरण के निबंधन और शर्तों का उल्लंघन माने बिना रोलआउट दायित्व की पूर्ति के रूप में मानेगी।

(7) दूरसंचार (अधिनिर्णय और अपील) नियम, 2025 के अनुसार नागरिक दंड लगाने के अलावा, रोलआउट दायित्वों का पालन करने में विफलता के मामले में, पीएमआरटीएस के लिए स्पेक्ट्रम असाइनमेंट, अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (2) के अनुसार वापस लिया जा सकता है।

50. सुरक्षा शर्तें

(1) एक प्राधिकृत इकाई केन्द्रीय सरकार या प्राधिकृत एजेंसियों द्वारा इस उद्देश्य के लिए विनिर्दिष्ट अधिसूचना, आदेशों, निर्देशों या दिशानिर्देशों के अनुसार निगरानी सुविधाओं के प्रावधान की व्यवस्था करेगी।

(2) एक प्राधिकृत इकाई प्रयोक्ताओं को सूचित करेगी कि प्रयोक्ता दूरसंचार सेवा के उचित और वास्तविक उपयोग के लिए जिम्मेदार होंगे।

भाग ख: उद्यम संचार सेवा प्राधिकरण

51. उद्यम संचार सेवा प्राधिकरण का दायरा

(1) भाग ख के प्रावधान उद्यम संचार सेवा प्राधिकरण रखने वाली प्राधिकृत इकाइयों पर लागू होंगे।

(2) अध्याय 6 के भाग ख के प्रयोजन के लिए:

(क) "ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा" से एक दूरसंचार सेवा जो कई प्रयोक्ताओं को एक ही ऑडियो सम्मेलन में शामिल होने और ऐसे प्रयोक्ताओं के बीच आवाज का वास्तविक समय में प्रसारण प्रदान करके एक ही समय में बातचीत करने की अनुमति देती है, अभिप्रेत है;

(ख) "ऑडियोटेक्स सेवा" से एक दूरसंचार सेवा जो या तो एक इंटरैक्टिव या एक गैर-इंटरैक्टिव, गैर-वास्तविक समय, दूरसंचार सेवा है जो प्रयोक्ताओं को मानकीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से, दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से ऑडियोटेक्स डेटाबेस के साथ संवाद करने की क्षमता प्रदान करती है, अभिप्रेत है;

(ग) "क्लाउड आधारित ईपीएबीएक्स सेवा" का अर्थ प्रयोक्ताओं को सेवा के रूप में ईपीएबीएक्स या संचार प्लेटफॉर्म-एज-ए-सर्विस (सीपीएएएस) प्रदान करना है; और

(घ) "ध्वनि मेल सेवा" का अर्थ है एक दूरसंचार सेवा जो प्रयोक्ता को एक अद्वितीय दूरसंचार पहचानकर्ता से जुड़े वॉयस मेलबॉक्स तक पहुंच प्रदान करती है।

(3) उद्यम संचार सेवा प्राधिकरण के दायरे में वाणिज्यिक आधार पर प्रयोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली निम्नलिखित दूरसंचार सेवाएं शामिल हैं:

(क) ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा;;

(ख) ऑडियोटेक्स सेवा;

(ग) क्लाउड-आधारित ईपीएबीएक्स सेवा; और

(घ) ध्वनि मेल सेवा.

(4) उद्यम संचार सेवा प्राधिकरण रखने वाली एक प्राधिकृत इकाई, केवल अपने प्राधिकरण के दायरे के तहत प्राधिकृत दूरसंचार सेवाएं प्रदान करेगी, न कि कोई अन्य दूरसंचार सेवाएं जिन्हें केन्द्रीय सरकार से अलग प्राधिकरण की आवश्यकता हो सकती है।

52. शुल्क और प्रभार

(1) इस भाग में, सकल राजस्व, जिसमें लागू सकल राजस्व (एपीजीआर), समायोजित सकल राजस्व (एजीआर), आईयूसी और प्रकल्पित एजीआर शब्दों के निम्न विनिर्दिष्ट संबंधित अर्थ होंगे:

(क) एक प्राधिकृत इकाई के "सकल राजस्व" में सभी प्रचालनों और गतिविधियों के माध्यम से एक प्राधिकृत इकाई को अर्जित राजस्व और ब्याज, लाभांश, किराया, अचल संपत्तियों की विक्री पर लाभ और विविध आय सहित किसी भी स्रोत से सभी आय शामिल होगी, जिसमें व्यय की संबंधित मदों के लिए कोई भी सेट-ऑफ शामिल नहीं होगा।

(ख) प्राधिकृत इकाई के समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की गणना के प्रयोजनों के लिए "लागू सकल राजस्व" या "एपीजीआर", निम्न सूचीबद्ध मदों द्वारा कम किए गए सकल राजस्व के बराबर होगा:

(i) दूरसंचार गतिविधियों या प्रचालन के अलावा अन्य प्रचालन से राजस्व;

(ii) सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी प्राधिकरण, अनुमति या पंजीकरण के तहत गतिविधियों से राजस्व;

(iii) डिजिटल भारत निधि से प्राप्तियां; और

(iv) निम्नलिखित मदों के अंतर्गत आने वाला राजस्व:

(क) लाभांश से आय;

(ख) ब्याज से आय;

(ग) अचल संपत्तियों और प्रतिभूतियों की विक्री पर लाभ के कारण पूंजीगत लाभ;

- (घ) विदेशी विनिमय दरों में उत्तार-चढ़ाव से लाभ;
- (ड.) संपत्ति के किराए से आय;
- (च) बीमा दावे;
- (छ) खराब ऋण वसूली; और
- (ज) अतिरिक्त प्रावधान को बट्टे खाते में डालना:

परंतु यह कि केन्द्रीय सरकार समय-समय पर इन राजस्व स्रोतों पर लागू विवरण और शर्तों और उनकी गणना के तरीके को विनिर्दिष्ट करे।

(ग) "समायोजित सकल राजस्व" या "एजीआर" की गणना एपीजीआर, पीएसटीएन, पीएलएमएन या जीएमपीसीएस संबंधी कॉल प्रभारों, जिनका वास्तविक भुगतान अन्य प्राधिकृत इकाइयों या लाइसेंसधारकों को किया गया हो, उनको छोड़कर की जाएगी।

(2) एक प्राधिकृत इकाई प्राधिकरण की प्रभावी तारीख से वार्षिक प्राधिकरण शुल्क के रूप में एजीआर का आठ प्रतिशत भुगतान करेगी:

परंतु यह कि प्राधिकरण की प्रभावी तारीख के दूसरे वर्ष से, और प्रत्येक बाद के वर्ष के लिए, प्राधिकरण शुल्क निम्न में से जो अधिक होगा: (क) उप-नियम (2) के तहत विनिर्दिष्ट राशि, या (ख) एक लाख रूपये।

परंतु यह कि प्राधिकरण के नवीकरण के मामले में, प्राधिकरण शुल्क नवीकरण की प्रभावी तारीख से परन्तु यह कि किसी मौजूदा लाइसेंस को उद्यम संचार सेवा प्राधिकरण में माइग्रेशन करने के मामले में प्राधिकरण शुल्क माइग्रेशन की प्रभावी तिथि से न्यूनतम एक लाख रूपये होगा।

(3) उप-नियम (2) के तहत प्राधिकरण शुल्क में एजीआर के पांच प्रतिशत की दर से गणना की गई डिजिटल भारत निधि में अंकित राशि शामिल होगी।

(4) प्राधिकरण शुल्क या डिजिटल भारत निधि के लिए विनिर्दिष्ट राशि की मात्रा प्राधिकरण की अवधि के भीतर किसी भी समय इन नियमों में संशोधन के माध्यम से बदल सकती है।

53. भुगतान की अनुसूची

(1) इन नियमों के तहत निर्धारित प्राधिकरण शुल्क अप्रैल की पहली तारीख से शुरू होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान चार तिमाही किस्तों में देय होगा, और प्राधिकरण की किसी भी अवधि के लिए शुल्क जो एक तिमाही से कम है, की गणना संबंधित तिमाही में दिनों की वास्तविक संख्या के आधार पर यथानुपात आधार पर की जाएगी।

(2) एक प्राधिकृत इकाई निम्नलिखित तरीके से प्राधिकरण शुल्क की त्रैमासिक किस्तों का भुगतान करेगी:

(क) वित्तीय वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में से प्रत्येक के संबंध में तिमाही किस्त का भुगतान संबंधित तिमाही के पूरा होने के पंद्रह दिनों के भीतर किया जाएगा; और

(ख) अंतिम तिमाही के लिए त्रैमासिक किस्त का भुगतान पञ्चीस मार्च तक अग्रिम रूप से किया जाएगा, जिसकी गणना उस तिमाही के लिए अपेक्षित राजस्व के आधार पर की जाएगी, जो पिछली तिमाही के लिए भुगतान किए गए प्राधिकरण शुल्क के बराबर न्यूनतम राशि के अधीन है:

परंतु यह कि एक प्राधिकृत इकाई अंतिम तिमाही के लिए किए गए अग्रिम भुगतान और अगले वित्तीय वर्ष के पंद्रह अप्रैल तक ऐसी तिमाही के लिए विधिवत देय वास्तविक राशि के बीच अंतर को समायोजित करेगी और भुगतान करेगी।

(3) उप-नियम (2) के अनुसार भुगतान की गणना संबंधित तिमाही के लिए वास्तविक आधार पर राजस्व के आधार पर की जाएगी, और पोर्टल पर विनिर्दिष्ट रूप और तरीके से: (क) प्राधिकृत इकाई के प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित और इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित, एक स्व-प्रमाण पत्र, जो बोर्ड के संकल्प और अटॉर्नी की सामान्य शक्ति द्वारा प्राधिकृत है,

और (ख) प्राधिकृत इकाई के प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित और इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित प्रत्येक प्राधिकरण के लिए राजस्व को विवरण के द्वारा।

(4) एक प्राधिकृत इकाई, प्रत्येक वर्ष जून की तीस तारीख पर या उससे पहले:

(क) पिछले वित्तीय वर्ष की सभी तिमाहियों के लिए राजस्व का विवरण प्रस्तुत करेगी, विधिवत लेखा परीक्षित और कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार नियुक्त अपने सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित, इस तरह के रूप और तरीके से जैसा कि इस उद्देश्य के लिए पोर्टल पर विनिर्दिष्ट किया गया है; और

(ख) उप-नियम (2) के आधार पर, पिछले वित्तीय वर्ष के लिए उप-नियम (5) के अनुसार लागू ब्याज सहित प्राधिकरण शुल्क का अंतिम समायोजन करेगी।

(5) इस तरह के भुगतान के लिए विनिर्दिष्ट अवधि से परे किसी प्राधिकृत इकाई द्वारा देय प्राधिकरण शुल्क या किसी अन्य बकाया राशि के भुगतान में किसी भी विलंब की स्थिति में, प्राधिकृत इकाई भारतीय स्टेट बैंक की एक वर्ष की सीमांत लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) की दर से 2 प्रतिशत ज्यादा गणना किए गए सालाना चक्रवृद्धि ब्याज का भी भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी, जो दर संबंधित वित्तीय वर्ष की शुरुआत में मौजूद है, अर्थात् पहली अप्रैल;

परंतु यह कि ब्याज की गणना के उद्देश्य से महीने के किसी भी हिस्से को पूर्ण माह माना जाएगा।

(6) एक प्राधिकृत इकाई उप-नियम (3) के तहत प्रस्तुत तिमाही विवरणों में प्रदर्शित आंकड़ों के बीच जो वार्षिक खातों में परिलक्षित हो रहे हों, विधिवत लेखा परीक्षित और कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार नियुक्त अपने सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित, प्रकाशित वार्षिक खातों और लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति के साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तारीख के सात दिनों के भीतर या कंपनी अधिनियम के तहत प्रदान की गई समय-सीमा के भीतर वार्षिक वित्तीय विवरणों को दायर करने के लिए जो भी पहले हो, एक सामंजस्य विवरण प्रस्तुत करेगी;

परंतु यह कि वार्षिक वित्तीय विवरण, राजस्व विवरण, और सुलह विवरण जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट मानदंडों का पालन करते हुए तैयार किया जाएगा।

(7) इन नियमों के तहत देय और देय होने वाली सभी धनराशि का भुगतान एक प्राधिकृत इकाई द्वारा पोर्टल पर विनिर्दिष्ट तरीके से किया जाएगा।

54. प्राधिकरण के लिए गारंटी आवश्यकताएं

(1) एक प्राधिकृत इकाई उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए, निम्नलिखित में से किसी भी प्रकार के रूप और तरीके से गारंटी प्रस्तुत करेगी, जैसा कि पोर्टल पर विनिर्दिष्ट किया जा सकता है:

(क) किसी भी अनुसूचित बैंक या सार्वजनिक वित्तीय संस्थान से बैंक गारंटी,

(ख) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी लागू नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार बीमा कंपनी द्वारा जारी बीमा ज़मानत बांड, या

(ग) केन्द्रीय सरकार के पास गैर-ब्याज-वहन प्रतिभूति जमा।

(2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट ऐसी गारंटी का उद्देश्य प्राधिकरण के सभी निबंधन और शर्तों के उचित अनुपालन के लिए सुरक्षा प्रदान करना है, जिनमें शामिल हैं पर इन तक सीमित नहीं हैं प्राधिकरण शुल्क के भुगतान है, उल्लंघन या प्राधिकरण के किसी भी निबंधन और शर्तों का उल्लंघन या अधिसूचनाओं, आदेशों का अनुपालन न करने, केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देश, या दिशानिर्देश, और प्राधिकरण के तहत देय कोई अन्य बकाया।

(3) गारंटी केन्द्रीय सरकार द्वारा आवधिक वार्षिक समीक्षा के अधीन होगी और प्राधिकृत इकाई प्राधिकरण की अवधि तक या प्राधिकरण के अंतर्गत सभी बकाया राशि का भुगतान होने तक, जो भी बाद में हो, वैध गारंटी बनाए रखेगी।

परंतु यह कि आशय पत्र के अनुसरण में प्रस्तुत प्राधिकरण की गारंटी अनुसूची के में ऐसे प्राधिकरण के संबंध में विनिर्दिष्ट राशि के लिए होगी, और प्राधिकरण के बाद के वर्षों के लिए, केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित राशि के लिए, इनमें से उच्चतर के आधार पर: (क) प्राधिकरण की गारंटी की राशि, और (ख) संयुक्त अनुमानित राशि का बीस प्रतिशत, पोर्टल पर इस उद्देश्य के लिए विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार गणना की गई, निम्नलिखित में से:

- (i) दो तिमाहियों के लिए प्राधिकरण शुल्क; और
- (ii) कोई अन्य बकाया जो अन्यथा सुरक्षित न हो।

(4) प्राधिकृत इकाई ऐसी गारंटी की वैधता अवधि को, केन्द्रीय सरकार से किसी मांग या नोटिस के बिना, इसकी समाप्ति की तिथि से कम से कम एक माह पूर्व बढ़ाएगी।

(5) प्राधिकरण की अवधि के दौरान या प्राधिकरण के तहत सभी बकाया राशि का भुगतान होने तक, जो भी बाद में हो, किसी भी समय वैध गारंटी बनाए रखने में विफलता होने पर केन्द्रीय सरकार को बैंक गारंटी को भुनाने, बीमा जमानत बांड का दावा करने, या सुरक्षा जमा को विनियोजित करने का अधिकार होगा, जैसा भी मामला हो, किसी प्राधिकृत इकाई को कोई नोटिस दिए बिना:

परंतु यह कि ऐसी गारंटी के नकदीकरण, दावे या विनियोग पर केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई व्याज या प्रतिकर देय नहीं होगा।

(6) जब गारंटी को पूर्णतः या आंशिक रूप से भुनाया, दावा या विनियोजित किया गया हो, तो ऐसे अवसरों पर प्राधिकृत इकाई, यथास्थिति, ऐसी भुनाई, दावा की गई या विनियोजित गारंटी को ऐसे भुनाने, दावे या विनियोजन के पंद्रह दिनों के भीतर पूरी राशि पर वापस कर देगी:

परंतु यह कि केन्द्रीय सरकार उप-नियम (6) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले प्राधिकृत इकाई से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर, लिखित रूप में कारणों को दर्ज किए जाने के अधीन, ऐसी बहाली के लिए दस दिनों से अनधिक की एकमुश्त अवधि बढ़ाने की अनुमति दे सकती है।

(7) दूरसंचार (न्यायनिर्णय और अपील) नियम, 2025 के अंतर्गत अपने अधिकारों या किसी अन्य उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित मामलों में गारंटी को भुना सकती है, दावा कर सकती है या विनियोजित कर सकती है:

- (क) प्राधिकरण शुल्क, या प्राधिकरण या असाइनमेंट के तहत देय किसी अन्य बकाया का भुगतान न करना ;
- (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाए गए जुर्माने से उत्पन्न बकाया राशि का भुगतान न करना; या
- (ग) प्राधिकरण या असाइनमेंट के किसी अन्य नियम या शर्त का उल्लंघन।

(8) प्राधिकरण के निरस्तीकरण, सरेंडर या समाप्ति पर, प्रासंगिक गारंटी प्राधिकृत इकाई को केवल सभी बकाया राशि के भुगतान के बाद ही जारी की जाएगी, जिसे प्राधिकृत इकाई केन्द्रीय सरकार को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है:

परंतु यह कि केन्द्रीय सरकार को देय राशि का भुगतान करने में विफल होने की स्थिति में, बकाया राशि की वसूली नकदीकरण, दावे या गारंटी के विनियोजन के माध्यम से की जाएगी, तथा केन्द्रीय सरकार को देय राशि की वसूली के लिए किसी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, तथा ऐसी प्राधिकृत इकाई को कोई और सूचना नहीं दी जाएगी।

55. प्राधिकरण शुल्क का आकलन

(1) केन्द्रीय सरकार इन नियमों के अंतर्गत इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार प्राधिकरण शुल्क तथा केन्द्रीय सरकार को देय किसी अन्य प्रभार का आकलन कर सकती है।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजनों के लिए, “मूल्यांकन” शब्द में पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गणना शामिल होगी।

(2) एक प्राधिकृत इकाई को पोर्टल पर विनिर्दिष्ट रूप और तरीके से एजीआर निर्धारित करने के लिए एपीजीआर से बाहर रखी गई राशि के समर्थन में प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

(3) जहां कोई प्राधिकृत इकाई किसी अन्य दूरसंचार सेवा या दूरसंचार नेटवर्क के लिए, या किसी भिन्न सेवा क्षेत्र में समान दूरसंचार सेवा के लिए प्राधिकरण रखती है, तो उसे प्रत्येक प्राधिकरण के लिए अलग-अलग वार्षिक खाते बनाए रखने होंगे और प्रस्तुत करने होंगे तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी अधिसूचनाओं, आदेशों, निर्देशों या दिशानिर्देशों के साथ-साथ ट्राई द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश, निर्देश, दिशानिर्देश या विनियमन का अनुपालन करना होगा।

(4) प्राधिकृत इकाई, इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार या ट्राई द्वारा विनिर्दिष्ट लेखा मानदंडों और सिद्धांतों तथा निर्देशों के अनुसार वार्षिक लेखे तैयार करेगी और प्रस्तुत करेगी।

(5) प्राधिकरण के संबंध में, एक प्राधिकृत इकाईः

(क) लेखा अभिलेखों को संकलित और अनुरक्षित करना, जो प्राधिकरण की अवधि के दौरान या केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट ऐसी छोटी अवधि के दौरान प्रत्येक पूर्ण तिमाही के संबंध में अपने लेन-देन को दर्शाने और स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त हों, तथा प्राधिकरण के तहत प्राधिकृत इकाई के व्यवसाय की पूंजीगत लागत, राजस्व और वित्तीय स्थिति सहित लागतों को उचित रूप से प्रस्तुत करेगा, जिसमें राजस्व के परिमाणीकरण या किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्राधिकृत इकाई के व्यवसाय में नियोजित परिसंपत्तियों और उससे संबंधित देनदारियों का उचित मूल्यांकन शामिल हो;

(ख) अन्य प्राधिकृत इकाइयों या लाइसेंसधारियों को वास्तविक पीएसटीएन, पीएलएमएन या जीएमपीसीएस संबंधित कॉल शुल्क का भुगतान करेगा;

(ग) प्राधिकृत इकाई द्वारा अन्य प्राधिकृत इकाइयों से प्राप्त दूरसंचार नेटवर्क के लिए अलग से शुल्क का भुगतान किया जाएगा, जो ऐसी इकाइयों के साथ आपसी करार और जहां लागू हो, ट्राई के विनियमों द्वारा शासित होगा;

(घ) अन्य प्राधिकृत इकाइयों के साथ खातों का द्विपक्षीय निपटान पारदर्शी तरीके से सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से किया जाएगा; और

(ङ) अन्य प्राधिकृत इकाइयों के साथ खातों के सेटलमेंट के लिए प्रक्रिया का विवरण और नेटवर्क तथा सुविधाओं के उपयोग के लिए शुल्क के साथ-साथ वास्तविक सेटलमेंट का विवरण केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(6) एक प्राधिकृत इकाई को, किसी प्राधिकृत इकाई के विधिवत लेखापरीक्षित और अनुमोदित खातों के प्रकाशन की तारीख से कम से कम छह वर्ष की अवधि तक की इलेक्ट्रॉनिक और हार्ड कॉपी में एक वित्तीय वर्ष के बिलिंग और अन्य लेखा रिकॉर्ड को अनुरक्षित और संरक्षित करना होगा।

परंतु यह कि, यदि किसी अवधि के लिए प्राधिकरण शुल्क या कोई अन्य प्रभार विवादाधीन है तो उक्त अभिलेख विवाद के समाधान होने तक बनाए रखे जाएंगे, भले ही वह अवधि ऊपर निर्दिष्ट छह वर्ष की अवधि से अधिक हो जाए।

(7) केन्द्रीय सरकार या ट्राई किसी भी समय किसी प्राधिकृत इकाई को सूचना उपलब्ध कराने या वार्षिक लेखा पुस्तकों तक पहुंच उपलब्ध कराने का निर्देश दे सकता है, जिसे ऐसी प्राधिकृत इकाई अपने प्राधिकरण की शर्तों के तहत दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के संबंध में रखती है, और ऐसी प्राधिकृत इकाई को ऐसे निर्देश का तत्काल अनुपालन करना होगा।

(8) केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से प्राधिकृत इकाई के अभिलेखों की जांच की सकेगी ताकि प्राधिकरण शुल्क और अन्य प्रभारों सहित केन्द्रीय सरकार को देय राशियों का स्वतंत्र सत्यापन किया जा सके।

(9) प्राधिकृत इकाई द्वारा प्रस्तुत राजस्व या वार्षिक खातों के विवरण गलत या भ्रामक पाए जाने पर, एक या अधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करके प्राधिकृत इकाई के खातों की लेखा परीक्षा का आदेश दे सकती है, जिनके पास वही शक्तियां होंगी जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के तहत कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों के पास हैं, और ऐसे लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथानिर्धारित, एक प्राधिकृत इकाई द्वारा देय होगा।

(10) उप-नियम (9) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार किसी भी समय, किसी प्राधिकृत इकाई के खातों और अभिलेखों की विशेष लेखा परीक्षा करने के लिए एक लेखा परीक्षक को नियुक्त कर सकती है, जिसके पास वही शक्तियां होंगी जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के तहत कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों के पास हैं, और ऐसे लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथानिर्धारित, प्राधिकृत इकाई द्वारा देय होगा।

(11) यदि कोई प्राधिकृत इकाई संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से नौ महीने के भीतर नियम 53 के उप-नियम (4) और (6) के तहत वार्षिक लेखा, लेखा परीक्षा रिपोर्ट और अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहती है, तो केन्द्रीय सरकार, सभी उपलब्ध दस्तावेजों और सूचनाओं और संबंधित सामग्रियों की समीक्षा करने के बाद, प्राधिकरण शुल्क का आकलन कर सकती है, सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर।

परंतु यह कि, ऐसे मूल्यांकन के साथ आगे बढ़ने से पहले, केन्द्रीय सरकार किसी प्राधिकृत इकाई को नोटिस जारी करेगी और उसे सुनवाई का अवसर प्रदान करेगी।

(12) इस नियम के अधीन कोई भी आकलन किसी संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति से चार वर्ष की अवधि के पश्चात नहीं किया जाएगा, उपनियम (13) के अधीन उपबंधित को छोड़कर।

(13) केन्द्रीय सरकार, संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से चार वर्ष की अवधि बीत जाने के पश्चात् तथा ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह वर्ष की अवधि तक कर निर्धारण कर सकेगी, यदि उसकी यह राय हो कि निर्धारण से छूटी राशि ऐसे वित्तीय वर्ष के लिए पचास लाख रुपए या उससे अधिक की राशि के समतुल्य होने की संभावना है।

(14) उप-नियम (12) और उप-नियम (13) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट परिसीमा अवधि की गणना के प्रयोजनों के लिए, किसी न्यायालय के आदेश या निषेधाज्ञा के अनुसरण में ऐसे मूल्यांकन पर लगाई गई रोक को अपवर्जित किया जाएगा।

(15) उप-नियम (12) और उप-नियम (13) में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेश में निहित किसी भी निष्कर्ष या निर्देश के अनुसरण में किसी भी समय प्राधिकरण शुल्क का निर्धारण किया जा सकता है।

(16) केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण शुल्क और भुगतान किए गए किसी भी अन्य शुल्क का उचित और सटीक निर्धारण, सत्यापन और निपटान सुनिश्चित करने के लिए, प्राधिकृत इकाइयों को सभी या किसी भी दूरसंचार सेवाओं के संबंध में, प्राधिकृत इकाइयों के खातों और लेखा परीक्षा के संबंध में उचित निर्देश जारी कर सकती है और प्राधिकृत इकाई ऐसे निर्देशों का पालन करेगी।

56. तकनीकी और परिचालन शर्तें :

(1) क्लाउड-आधारित ईपीएबीएक्स सेवा प्रदान करने वाली प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि विभिन्न प्रयोक्ताओं के दूरसंचार संसाधनों को संभालने वाले प्लेटफॉर्म के घटकों के बीच लॉजिकल पार्टीशन हैं।

(2) क्लाउड-आधारित ईपीएबीएक्स सेवा प्रदान करने वाली प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि प्रयोक्ता और क्लाउड-आधारित ईपीएबीएक्स के बीच कनेक्टिविटी प्राधिकृत इंटरनेट कनेक्टिविटी के माध्यम से स्थापित है।

(3) कोई प्राधिकृत इकाई किसी अन्य प्राधिकृत इकाई से, जो ऐसे दूरसंचार संसाधन प्रदान करने के लिए पात्र हो, कोई भी दूरसंचार संसाधन प्राप्त करने के लिए पारस्परिक करार कर सकती है।

(4) ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा प्रदान करने वाली प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली, अधिनियम की धारा 19 के तहत अधिसूचित मानकों सहित, संबंधित मानकों के अनुसार उपयुक्त इंटरफ़ेस के संयोजन का उपयोग करके, पीएसटीएन, आईएसडीएन, पीएलएमएन, जीएमपीसीएस या इंटरनेट टेलीफोनी नेटवर्क जैसी एक्सेस सेवाएं प्रदान करने वाली प्राधिकृत इकाइयों के दूरसंचार नेटवर्क से जुड़ी हैं।

(5) कोई प्राधिकृत इकाई राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी के ट्रैफ़िक सहित दूरसंचार ट्रैफ़िक के किसी भी अवैध बाईपास की अनुमति नहीं देगी।

उदाहरण: ऑडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सेवा के मामले में, एक्सेस सेवा प्रदान करने वाली एक से अधिक प्राधिकृत इकाइयों के दूरसंचार संसाधनों का उपयोग करके डायल-आउट सुविधा का उपयोग इस शर्त के साथ किया जा सकता है कि एसटीडी या आईएसडी ट्रैफ़िक को बायपास न किया जाए।

(6) प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि पीएसटीएन, पीएलएमएन, जीएमपीसीएस, या इंटरनेट टेलीफोनी नेटवर्क से आने वाली कॉलें ऐसी प्राधिकृत इकाई की ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली द्वारा निजी नेटवर्क से आने वाली कॉलों से इंटरकनेक्ट नहीं है।

(7) प्राधिकृत इकाई:

(क) प्रयोक्ता को अपने फ़ोन के माध्यम से ऑडियोटेक्स सेवा प्रणाली से संपर्क करके किसी भी समय जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी; और

(ख) यह सुनिश्चित करेगी कि ऑडियोटेक्स उपकरण में संग्रहित सूचना प्रयोक्ता को उसके प्रयोक्ता टर्मिनल पर प्रसारित की जा सके।

(8) ऑडियोटेक्स सेवा प्रदान करने वाली एक प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि डायल-आउट की अनुमति केवल तभी दी जाए जब कॉलर ने ऑडियोटेक्स सेवा प्रणाली पर इनकमिंग कॉल की है।

(9) प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि वॉइस मेल सेवा प्रयोक्ता वॉइस मेल बॉक्स नंबर डायल करके वॉइस मेलबॉक्स में अपना वॉइस संदेश छोड़ सकता है या स्टोर और रिट्रीव तकनीकों के संयोजन का उपयोग करके किसी प्राधिकृत दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से अपने वॉयस मेलबॉक्स से वॉयस संदेश प्राप्त कर सकता है।

(10) ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा प्रदान करने वाली एक प्राधिकृत इकाई पॉइंट-टू-पॉइंट कॉन्फ्रेंसिंग सेवाएँ प्रदान नहीं करेगी: परंतु यह कि पॉइंट-टू-पॉइंट कॉन्फ्रेंसिंग सेवाएँ भारत में पंजीकृत उद्यमों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जा सकती हैं:

- (क) कॉल भारत के भीतर शुरू और समाप्त होंगी;
- (ख) ऑडियो-कॉन्फ्रेंसिंग कॉलों का पूर्ण रूटिंग और स्विचिंग भारत के भीतर ही रहेगा; और
- (ग) उपयोग किए जाने वाले टेलीफोन नंबर संसाधन भारत में दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करने वाली प्राधिकृत इकाइयों से आएंगे।

57. सुरक्षा शर्तें

(1) क्लाउड-आधारित ईपीएबीएक्स सेवा प्रदान करने वाली प्राधिकृत इकाई कम से कम दो वर्षों की अवधि के लिए लॉजिकल पार्टीशन का एक पूर्ण लॉग और रिकॉर्ड बनाए रखेगी और इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्देश जारी होने पर, केन्द्रीय सरकार या प्राधिकृत एजेंसियों को ऐसे रिकॉर्ड उपलब्ध कराएगी।

(2) प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि:

- (क) वॉयस मेल संदेशों का अन्य स्थानों पर भेजना और प्रयोक्ता द्वारा बाद में पुनर्प्राप्ति नॉन-रियल टाइम आधार पर हो; और
- (ख) प्रासकर्ता तक संदेश पहुँचाने के लिए कोई डायल आउट न हो।

(3) प्राधिकृत इकाई प्रत्येक उद्यम संचार सेवा के प्रयोक्ताओं के नाम, पते और दूरसंचार आइडेंटिफायर सहित जानकारी का रिकॉर्ड कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए रखेगी।

(4) ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा प्रदान करने वाली प्राधिकृत इकाई, इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश पर, केन्द्रीय सरकार या प्राधिकृत एजेंसियों को कॉन्फ्रेंस कॉल के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएगी, जिसमें कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले पक्षकारों, तिथि, समय, कॉन्फ्रेंस की अवधि आदि शामिल होगी।

भाग ग: मशीन टू मशीन (एम2एम) सेवा प्राधिकरण

58. मशीन टू मशीन (एम2एम) सेवा प्राधिकरण का कार्यक्षेत्र

(1) इस भाग ग के प्रावधान मशीन से मशीन (एम2एम) सेवा प्राधिकरण रखने वाली प्राधिकृत इकाइयों पर लागू होंगे।

(2) मशीन से मशीन (एम2एम) सेवा प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- (क) मशीन से मशीन (एम2एम) सेवा;
- (ख) अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (6) या उप-धारा (7) के अंतर्गत असाइनमेंट की आवश्यकता से छूट प्राप्त स्पेक्ट्रम का उपयोग करके वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूपीएएन) या वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएलएएन) की स्थापना, संचालन, रखरखाव या विस्तार करना; और
- (ग) एम2एम ई-सिम के सब्सक्रिप्शन प्रोफाइल प्रबंधन के लिए एक प्लेटफॉर्म का स्वामित्व और प्रबंधन करना।

(3) एम2एम सेवा प्राधिकरण रखने वाली प्राधिकृत इकाई केवल अपने प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत प्राधिकृत दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करेगी, न कि कोई अन्य दूरसंचार सेवा (सेवाएँ) जिसके लिए केन्द्रीय सरकार से अलग प्राधिकरण की आवश्यकता हो।

59. शुल्क एवं प्रभार

प्राधिकृत इकाई द्वारा कोई प्राधिकरण शुल्क देय नहीं होगा।

60. तकनीकी एवं परिचालन शर्तें

(1) प्राधिकृत इकाई, जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निगमित कंपनी है और एम2एम ई-सिम के सब्सक्रिप्शन प्रोफ़ाइल प्रबंधन हेतु प्लेटफ़ॉर्म का स्वामित्व एवं प्रबंधन करना चाहती है, पोर्टल पर निर्दिष्ट रूप एवं तरीके से, तथा ऐसे शुल्कों के भुगतान के अधीन, पूर्व अनुमोदन के लिए केन्द्रीय सरकार से आवेदन करेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार, जहां तक युक्तिसंगत रूप से व्यावहारिक हो, उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पर ऐसे आवेदन की प्राप्ति के साठ दिन की अवधि के भीतर निर्णय लेने का प्रयास करेगी।

परंतु यह कि आवेदन को अस्वीकार करने के किसी भी निर्णय के कारणों को लिखित रूप में निर्दिष्ट किए जाएँगे।

(3) प्राधिकृत इकाई किसी अन्य प्राधिकृत इकाई से प्राप्त दूरसंचार संसाधनों का उपयोग करके मशीन टू मशीन (एम2एम) सेवा प्रदान कर सकती है।

(4) प्राधिकृत इकाई, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूपीएएन) या वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएलएएन) का उपयोग करते हुए एम2एम सेवा प्रदान करते समय, ऐसे नेटवर्क को बैकहॉल कनेक्टिविटी के लिए प्राधिकृत इकाई के दूरसंचार नेटवर्क से जोड़ेगी।

(5) प्राधिकृत इकाई, भारत में विदेशी एम2एम सिम की रोमिंग सहित एम2एम सेवाओं के प्रावधान के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचनाओं, आदेशों, निर्देशों या दिशानिर्देशों का अनुपालन करेगी।

(6) प्राधिकृत इकाई केन्द्रीय सरकार द्वारा एसएम-डीपी, एसएम-एसआर भूमिकाओं से संबंधित सहित एम2एम ई-सिम के उपयोग और प्रबंधन के संबंध में समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं, आदेशों, निर्देशों या दिशानिर्देशों का पालन करेगी।

(7) प्राधिकृत इकाई केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 19 के तहत अधिसूचित एम2एम ई-सिम के सब्सक्रिप्शन प्रोफ़ाइल प्रबंधन के लिए, एसएम-डीपी और एसएम-एसआर की सुरक्षा के मानकों सहित मानकों और अनुरूपता आकलन उपायों का अनुपालन करेगी।

(8) प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि जिन उपकरणों में एम2एम सिम है, उनकी पैकेजिंग, निर्देशों और सहायक पत्रक में यह निर्देश शामिल हो कि "इस उपकरण में एम2एम सब्सक्रिप्शन है"।

61. सुरक्षा शर्तें

(1) प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि डेटा लॉग, इवेंट लॉग और सिस्टम लॉग के साथ छेड़छाड़ न की जाए और उन्हें कम से कम एक वर्ष की अवधि तक संरक्षित रखा जाए, और केन्द्रीय सरकार या संबंधित प्राधिकृत एजेंसी द्वारा आवश्यकतानुसार निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाए।

(2) प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि एम2एम उपकरण ऐसे उपकरणों की पहचान के लिए केवल वास्तविक दूरसंचार आइडेंटीफायर का ही उपयोग करें, और वह अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (8) और उपधारा (9) के तहत अधिसूचित नियमों और पोर्टल पर निर्दिष्ट केन्द्रीय सरकार के निर्देशों का पालन करेगी।

(3) प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि एम2एम उपकरण विभिन्न प्रकार के दूरसंचार आइडेंटीफायर के आधार पर पहचान करने योग्य और पता लगाए जाने योग्य हों, जैसा कि प्राधिकृत इकाई के दूरसंचार नेटवर्क में केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(4) प्राधिकृत इकाई एम2एम सिम पर प्रतिबंधात्मक सुविधाओं के कार्यान्वयन के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट अधिसूचनाओं, आदेशों, निर्देशों या दिशानिर्देशों का पालन करेगी।

(5) प्राधिकृत इकाई केन्द्रीय सरकार द्वारा एम2एम सक्षम उपकरणों की सुरक्षा के संबंध में निर्दिष्ट अधिसूचनाओं, आदेशों, निर्देशों या दिशानिर्देशों का पालन करेगी।

भाग घ: पीएम-वाणी सेवा प्राधिकरण

62. पीएम-वाणी सेवा प्राधिकरण का कार्यक्षेत्र

(1) अध्याय 6 के भाग घ के प्रयोजन के लिए:

- (क) "ऐप प्रदाता" से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो प्रयोक्ता(ओं) को पंजीकृत करने, आस-पास के क्षेत्र में पीएम-वाणी कम्प्लायंट वाई-फाई हॉटस्पॉट खोजने और इंटरनेट सेवा तक पहुँचने के लिए उसे एप्लिकेशन में प्रदर्शित करने हेतु एक एप्लिकेशन विकसित करता है;
- (ख) "केन्द्रीय रजिस्ट्री" से तात्पर्य केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी व्यक्ति द्वारा अनुरक्षित रजिस्ट्री से है, जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट मानकों और विनिर्देशों के अनुसार पीडीओ, पीडीओए और ऐप प्रदाताओं के बारे में जानकारी होती है;
- (ग) "सार्वजनिक डेटा कार्यालय" या "पीडीओ" से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो पीएम-वाणी कम्प्लायंट वाई-फाई एक्सेस पॉइंट स्थापित, अनुरक्षित और संचालित करता है और प्रयोक्ता(ओं) को इंटरनेट सेवाएँ प्रदान करता है; और
- (घ) "पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर" या "पीडीओए" से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो पीडीओ के एग्रीगेटर के रूप में कार्य करता है और प्राधिकरण एवं लेखांकन से संबंधित कार्य करता है।

(2) इस भाग घ के प्रावधान पीएम-वाणी सेवा प्राधिकरण रखने वाली प्राधिकृत इकाइयों पर लागू होंगे।

(3) पीएम-वाणी सेवा प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित शामिल हैं:

- (क) पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर (पीडीओए) के रूप में:

- (i) केन्द्रीय रजिस्ट्री के साथ पंजीकृत व्यक्तिगत पीडीओ द्वारा संचालित कई वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (वानी) सक्षम वाई-फाई एक्सेस पॉइंट्स को एग्रीगेट करना, जिनके साथ उसने एग्रीगेशन, लेखांकन और संबंधित कार्यों के लिए विशिष्ट करार किए हैं; और
- (ii) ऐप प्रदाताओं द्वारा प्रमाणित प्रयोक्ताओं को व्यक्तिगत पीडीओ के माध्यम से इंटरनेट सेवा का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत करना।

- (ख) ऐप प्रदाता के रूप में, एक ऐप विकसित करना:

- (i) प्रयोक्ताओं को पंजीकृत और प्रमाणित करना; और
- (ii) आस-पास के क्षेत्र में वाणी कम्प्लायंट वाई-फाई हॉटस्पॉट का पता लगाना और इंटरनेट सेवा का उपयोग करने के लिए ऐप के भीतर उन्हें प्रदर्शित करना।

(4) पीएम-वाणी सेवा प्रदान करने वाली एक प्राधिकृत इकाई पीडीओए या ऐप प्रदाता, या दोनों के कार्य कर सकती है।

(5) कोई प्राधिकृत इकाई केवल अपने प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र में प्राधिकृत दूरसंचार सेवाएं ही प्रदान करेगी, न कि कोई अन्य दूरसंचार सेवा (सेवाएं) जिसके लिए केन्द्रीय सरकार से अलग से प्राधिकरण की आवश्यकता हो।

63. शुल्क एवं प्रभार

प्राधिकृत इकाई द्वारा कोई प्राधिकरण शुल्क देय नहीं होगा।

64. तकनीकी एवं परिचालन शर्तें

(1) प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (वाणी) पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर (पीडीओए), पब्लिक डेटा ऑफिस (पीडीओ), ऐप प्रदाता और केन्द्रीय रजिस्ट्री द्वारा उपयोग किए जाने वाले सिस्टम और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के मध्य परस्पर क्रिया की अनुमति देता है।

(2) पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर (पीडीओए) के कार्य करने वाली प्राधिकृत इकाई निम्नलिखित कार्य करेगी:

(क) पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर द्वारा संचालित किए जा रहे अनेक वाणी सक्षम वाई-फाई एक्सेस पॉइंट्स को एग्रीगेट करेगी और ऐप प्रदाता द्वारा प्रमाणित प्रयोक्ताओं को इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्राधिकृत करेगी;

(ख) यह सुनिश्चित करेगी कि जिस पीडीओ के साथ वह एग्रीगेशन, लेखांकन और अन्य संबंधित कार्यों के लिए करार करती है, वह निम्नलिखित का अनुपालन करता है:

(i) केवल वाणी कम्प्लायंट वाई-फाई एक्सेस पॉइंट्स की स्थापना, अनुरक्षण और संचालन;

(ii) इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किसी प्राधिकृत इकाई या लाइसेंसधारी से इंटरनेट कनेक्टिविटी और सिंगल वाई-फाई हॉटस्पॉट बनाने के लिए अधिकतम एक सौ एक्सेस पॉइंट्स को नेटवर्क करना है; और

(iii) केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की जाने वाली अधिसूचनाएँ, आदेश, निर्देश या दिशानिर्देश का पालन करना है;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि जिस पीडीओ के साथ वह एग्रीगेशन, लेखांकन और अन्य संबंधित कार्यों के लिए करार करता है, वह भारत में निर्मित वाई-फाई हॉटस्पॉट एक्सेस पॉइंट उपकरण लगाने का प्रयास करेगा जिसके माध्यम से इंटरनेट सेवाएँ प्रदान की जाएँगी;

(घ) हस्ताक्षर सत्यापन के लिए अपने सार्वजनिक प्रमाणपत्र का उपयोग करके केन्द्रीय रजिस्ट्री में पंजीकरण कराएगा, और अपने संबद्ध पीडीओ के एसएसआईडी और स्थानों के साथ वाई-फाई एक्सेस पॉइंट भी पंजीकृत कराएगा;

(ङ) प्रयोक्ताओं द्वारा भुगतान लेनदेन को सक्षम करने के लिए यूपीआई, ई-वॉलेट, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग सहित विभिन्न प्रकार के डिजिटल भुगतान सेवा प्रदाताओं के साथ अपने कैप्टिव पोर्टल को एकीकृत करेगा;

(च) प्रयोक्ताओं के लिए टैरिफ घोषित करे और प्रत्येक प्रयोक्ता के उपयोग का लेखा-जोखा रखेगा;

(छ) किसी निश्चित समय पर प्रत्येक प्रयोक्ता के उपयोग का विवरण रखे और इंटरनेट ट्रैफिक सीधे पीडीओ के वाई-फाई एक्सेस पॉइंट से इंटरनेटेकिंग प्राधिकृत इकाई के नेटवर्क तक रूट होगी;

(ज) भारत में डिज़ाइन और विकसित तकनीक और भारत में निर्मित वाई-फाई एक्सेस पॉइंट उपकरण लगाने का प्रयास करेगी, जिसके माध्यम से इंटरनेट सेवाएँ प्रदान की जाएँगी;

(झ) केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की जाने वाली अधिसूचनाओं, आदेशों, निर्देशों या दिशानिर्देशों के अनुसार प्रयोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करेगी; और

(ज) यह सुनिश्चित करेगी कि उसका कैप्टिव पोर्टल केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की जाने वाली अधिसूचनाओं, आदेशों, निर्देशों या दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है।

(3) पीडीओए के रूप में कार्य करने वाली प्राधिकृत इकाई:

(क) पीडीओए के रूप में कार्य करने वाली किसी अन्य प्राधिकृत इकाई के साथ रोमिंग सुविधाओं के लिए आपसी करार कर सकती है जिससे उनके प्रयोक्ताओं को उनमें से किसी एक से संबद्ध वाई-फाई एक्सेस पॉइंट से, सीधे या पीडीओए द्वारा स्थापित केन्द्रीकृत प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इंटरनेट सेवा का उपयोग करने की अनुमति दे सकती है; और

(ख) पीएम-वाणी सेवा के प्रयोक्ताओं को, सीधे या उनके स्वामित्व वाले केन्द्रीकृत प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ऐसे प्रयोक्ताओं की सहमति से विज्ञापन दिखा सकती है।

(4) ऐप प्रदाता के रूप में कार्य करने वाली प्राधिकृत इकाई:

(क) प्रयोक्ताओं के लिए साइन अप करने, वाणी कम्प्लायंट वाई-फाई हॉटस्पॉट खोजने और ऐप के भीतर से सिंगल-क्लिक कनेक्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन और बैकएंड प्रमाणीकरण अवसंरचना विकसित और अनुरक्षित करेगा;

- (ख) हस्ताक्षर सत्यापन के लिए अपने सार्वजनिक प्रमाणपत्र का उपयोग करके केंद्रीय रजिस्ट्री में पंजीकरण करेगा;
 - (ग) यह सुनिश्चित करेगी कि ऐप प्रयोक्ताओं को प्रोफ़ाइल बनाने और ओटीपी का उपयोग करके अपना मोबाइल सत्यापन करने की अनुमति देगा;
 - (घ) एक एल्लोरिथम विकसित करेगा और पूर्वनिर्धारित एल्लोरिथम के आधार पर प्रत्येक प्रयोक्ता को समय-समय पर पुनः प्रमाणित करेगा;
 - (ङ) किसी ऐप प्रदाता द्वारा प्रमाणित किसी भी प्रयोक्ता को इंटरनेट सेवा का एक्सेस प्रदान करने के लिए किसी भी पीडीओ द्वारा संचालित किसी भी वाणी कम्प्लायांट वाई-फाई एक्सेस पॉइंट का उपयोग करने में सक्षम बनाएगा; और
 - (च) केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट रूप और तरीके से, ऐप प्रदाता के सिस्टम और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के प्रमाणन के लिए केंद्रीय रजिस्ट्री प्रदाता को एक आवेदन प्रस्तुत करेगा:
- परंतु यह कि, प्राधिकृत इकाई, ऐप प्रदाता के किसी भी सिस्टम और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को प्रमाणित करने से पहले, प्रमाणन के लिए केंद्रीय रजिस्ट्री प्रदाता द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण या अतिरिक्त दस्तावेज, यदि कोई हों, ऐसे स्पष्टीकरण या मांगे गए अतिरिक्त दस्तावेजों के बीस दिनों के भीतर प्रदान करेगी और केंद्रीय रजिस्ट्री प्रदाता को पुनः आवेदन प्रस्तुत करेगी।

65. सुरक्षा शर्तें

- (1) प्राधिकृत इकाई दो वर्षों तक प्रयोक्ता की जानकारी रखेगी और प्रयोक्ता की सूचना की डेटा निजता और गोपनीयता की रक्षा के लिए सभी लागू कानूनों और नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम उठाएगी।
- (2) प्राधिकृत इकाई, प्राधिकरण के नियमों और शर्तों के अधीन, प्रयोक्ता और उसके कार्यों, जिसे वह दूरसंचार सेवा प्रदान करती है, की किसी भी सूचना की निजता और गोपनीयता की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी।

भाग डः : उड़ान और समुद्री संपर्क (आईएफएमसी) सेवा प्राधिकरण

66. आईएफएमसी सेवा प्राधिकरण का कार्यक्षेत्र

- (1) इस भाग डः के प्रावधान आईएफएमसी सेवा प्राधिकरण धारक प्राधिकृत इकाइयों पर लागू होंगे।
- (2) आईएफएमसी सेवा वायरलेस मीडिया का उपयोग करने वाले जहाजों या विमानों पर प्रदान की जा सकती है, और इसके कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित शामिल होंगे:
 - (क) वीडियो संदेशों सहित वायस या नॉन-वायस संदेशों का ट्रांसमिशन, एमिशन या रिसेप्शन; या
 - (ख) इंटरनेट सेवा।
- (3) आईएफएमसी सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्राधिकृत इकाई को यह भी आवश्यक होगा:
 - (क) उप-नियम (2) के खंड (क) के अंतर्गत निर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में, एक्सेस सेवा प्राधिकरण और लंबी दूरी की सेवा प्राधिकरण रखना, या एक्सेस सेवा और लंबी दूरी की सेवा प्रदान करने वाली किसी अन्य प्राधिकृत इकाई के साथ पारस्परिक करार करना;
 - (ख) उप-नियम (2) के खंड (ख) के अंतर्गत निर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में, एक्सेस सेवा प्राधिकरण या इंटरनेट सेवा प्राधिकरण और लंबी दूरी की सेवा प्राधिकरण रखना, या एक्सेस सेवा या इंटरनेट सेवा और लंबी दूरी की सेवा प्रदान करने वाली किसी अन्य प्राधिकृत इकाई के साथ पारस्परिक समझौता करना।
- (4) प्राधिकृत इकाई, यथास्थिति, किसी जहाज या वायुयान के भीतर बेस स्टेशन या वाई-फाई सक्षम लोकल एरिया नेटवर्क स्थापित कर सकती है और ऐसे बेस स्टेशन या वाई-फाई सक्षम लोकल एरिया नेटवर्क को ऐसी अन्य प्राधिकृत इकाई के दूरसंचार नेटवर्क से कनेक्ट कर सकती है जिसके साथ आईएफएमसी सेवा प्रदान करने के लिए उप-नियम (3) के अंतर्गत करार किया गया है।

(5) आईएफएमसी सेवा प्राधिकरण वाली प्राधिकृत इकाई केवल अपने प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करेगी, न कि कोई अन्य दूरसंचार सेवा जिसके लिए केन्द्रीय सरकार से अलग से प्राधिकरण की आवश्यकता हो सकती है।

67. शुल्क एवं प्रभार

(1) प्राधिकृत इकाई, प्राधिकरण की प्रभावी तिथि से केन्द्रीय सरकार को देय एक रूपये का वार्षिक प्राधिकरण शुल्क अदा करेगी:

परंतु यह कि प्राधिकृत इकाई, प्राधिकरण प्रदान करते समय, प्राधिकरण की संपूर्ण अवधि के लिए प्राधिकरण शुल्क का अग्रिम भुगतान करेगी।

(2) नियम 66 के उप-नियम (3) के अंतर्गत अनुबंधित अन्य प्राधिकृत इकाई द्वारा, आईएफएमसी सेवा प्रदान करने के लिए प्राधिकृत इकाई से अर्जित राजस्व, ऐसी अन्य प्राधिकृत इकाई के एजीआर में शामिल किया जाएगा।

68. तकनीकी एवं परिचालन शर्तें

(1) आईएफएमसी सेवा प्राधिकरण वाली प्राधिकृत इकाई को इस नियम के अंतर्गत निर्धारित तकनीकी एवं परिचालन शर्तों का पालन करना होगा।

(2) कोई प्राधिकृत इकाई, यथास्थिति, किसी जहाज या विमान के भीतर स्थापित अपने बेस स्टेशन या वाई-फाई संधर्म लोकल एरिया नेटवर्क को, किसी अन्य प्राधिकृत इकाई के दूरसंचार नेटवर्क से, जिसके साथ नियम 66 के उप-नियम (3) के अंतर्गत समझौता किया गया है, सैटेलाईट नेटवर्क या डायरेक्ट-एयर-टू-ग्राउंड संचार (डीए2जीसी) प्रणालियों का उपयोग करके कनेक्ट कर सकती है, और ऐसे बेस स्टेशन के परिचालन के लिए, ऐसी अन्य प्राधिकृत इकाई के एक्सेस स्पेक्ट्रम का उपयोग किया जाएगा;

(3) प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि उप-नियम (2) के अंतर्गत आईएफएमसी सेवाएँ प्रदान करने के लिए सैटेलाईट नेटवर्क का उपयोग करते समय, संदेश भारत में स्थित सैटेलाईट गेटवे अर्थ स्टेशन से होकर जाए।

(4) कोई प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि अपेक्षित सैटेलाईट-आधारित कनेक्टिविटी उन इकाइयों से प्राप्त की जाए जो सैटेलाईट-आधारित कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्राधिकृत हैं और जिनके पास भारत में सैटेलाईट अर्थ स्टेशन गेटवे हैं।

(5) प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि अपेक्षित डायरेक्ट-एयर-टू-ग्राउंड कम्युनिकेशन (डीए2जीसी) प्रणाली ऐसी प्रणालियां प्रदान करने के लिए प्राधिकृत इकाइयों से प्राप्त की जाए।

(6) ध्वनि या गैर-ध्वनि संदेश दूरसंचार सेवा प्रदान करने वाली प्राधिकृत इकाई को स्थलीय वायरलेस दूरसंचार नेटवर्क में हस्तक्षेप से बचने के लिए सेवा क्षेत्र के भीतर न्यूनतम तीन हजार मीटर की ऊँचाई पर ऐसा करना होगा।

(7) उप-नियम (6) में न्यूनतम ऊँचाई की आवश्यकता के होते हुए भी, कोई प्राधिकृत इकाई किसी विमान में वाई-फाई इनेबल्ड लोकल एरिया नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध करा सकती है, जब ऐसे विमान में प्रयोक्ता टर्मिनलों का उपयोग करने की अनुमति हो:

परंतु यह कि प्राधिकृत इकाई विमान में ऐसी इंटरनेट सेवाएं तभी उपलब्ध कराएंगी जब प्रयोक्ता टर्मिनलों का उपयोग एयरप्लेन मोड में किया जाता हो।

(8) प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि आईएफएमसी सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत में पंजीकृत किसी विमान में कोई भी संशोधन नागर विमानन महानिदेशालय की पूर्व स्वीकृति और वायुयान अधिनियम, 2024 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(9) हस्तक्षेप से बचने के लिए, किसी प्राधिकृत इकाई को विमानों या जहाजों में आईएफएमसी सेवा और नेविगेशन प्रणाली के लिए अलग दूरसंचार नेटवर्क सुनिश्चित करना होगा।

(10) किसी वायुयान या जहाज में आईएफएमसी सेवा का उपबंध, यथास्थिति, ऐसे वायुयान या जहाज के पायलट या कैप्टन के अनन्य नियंत्रण में होगा, ताकि वह किसी कठिनाई के दौरान आईएफएमसी सेवा के उपबंध को बंद कर सके।

69. सुरक्षा शर्तें

(1) केन्द्रीय सरकार या संबंधित प्राधिकृत इंजेंसी आवश्यकतानुसार आईएफएमसी सेवाओं की निगरानी कर सकती है या उन्हें रोक सकती है।

(2) कोई प्राधिकृत इकाई, किसी अन्य प्राधिकृत इकाई के माध्यम से, जिसके साथ नियम 66 के उप-नियम (3) के अंतर्गत समझौता किया गया है, यह सुनिश्चित करेगी कि आईएफएमसी सेवाओं के वाणिज्यिक शुभारंभ से पहले, अपेक्षित वैध इंटरसेप्शन प्रणालियां और वैध इंटरसेप्शन एवं निगरानी सुविधाएं, जैसा भी लागू हो, सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम (सीएमएस) या इंटरनेट मॉनिटरिंग सिस्टम (आईएमएस) के साथ एकीकृत कर दी गई हैं।

(3) कोई प्राधिकृत इकाई दूरसंचार (संदेशों के विधिपूर्ण अवरोधन के लिए प्रक्रिया और रक्षोपाय) नियम, 2024 और ऐसे नियमों के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं, आदेशों, निदेशों या दिशानिर्देशों का पालन करेगी।

भाग च: वैमानिकी डेटा संचार सेवा प्राधिकरण

70. वैमानिकी डेटा संचार सेवा प्राधिकरण का दायरा

(1) इस भाग च के उपबंध वैमानिकी डेटा संचार सेवा प्राधिकरण रखने वाली प्राधिकृत इकाइयों पर लागू होंगे।

(2) अध्याय 6 के भाग च के प्रयोजन के लिए:

(क) "वैमानिक डेटा संचार सेवा" का अर्थ एनएफएपी में वैमानिक मोबाइल (रूट) सेवा के लिए आवंटित स्पेक्ट्रम का प्रयोग करके एयरलाइन ऑपरेशनल कम्युनिकेशन (एओसी) या एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट (एटीएम) के प्रयोजन के लिए विमान और ग्राउंड स्टेशन के बीच डेटा का आदान-प्रदान है; और

(ख) "वैमानिक मोबाइल (रूट) सेवा" से तात्पर्य वैमानिक मोबाइल सेवा से है जो मुख्य रूप से राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय नागरिक हवाई मार्गों पर उड़ान की सुरक्षा और नियमिता से संबंधित संचार के लिए आरक्षित है।

(3) वैमानिकी डेटा संचार सेवा प्राधिकरण के दायरे में विमान और ग्राउंड स्टेशनों के बीच डेटा संचार सेवा शामिल होगी।

(4) कोई प्राधिकृत इकाई उप-नियम (2) के तहत एयरलाइन ऑपरेटरों या एयर नेविगेशन सेवा प्रदाताओं को वैमानिकी डेटा संचार सेवा प्रदान करने के लिए अपने सेवा क्षेत्र में एक या एक से अधिक ग्राउंड स्टेशन स्थापित कर सकती है।

(5) कोई प्राधिकृत इकाई केवल अपने प्राधिकरण के दायरे के अंतर्गत प्राधिकृत दूरसंचार सेवाएं ही प्रदान करेगी, न कि कोई अन्य दूरसंचार सेवा जिसके लिए केन्द्रीय सरकार से अलग प्राधिकरण की आवश्यकता हो।

71. शुल्क और प्रभार

किसी प्राधिकृत इकाई को एक रूपये का वार्षिक प्राधिकरण शुल्क अदा करना होगा, जो प्राधिकरण की प्रभावी तिथि से केन्द्रीय सरकार को देय होगा:

परंतु यह कि प्राधिकृत इकाई को प्राधिकरण प्रदान करते समय, प्राधिकरण की सम्पूर्ण अवधि के लिए प्राधिकरण शुल्क का अग्रिम भुगतान करना होगा।

72. तकनीकी और परिचालन स्थितियां

(1) वैमानिकी डेटा संचार सेवा प्राधिकरण रखने वाली प्राधिकृत इकाई को इस नियम के तहत निर्धारित तकनीकी और परिचालन शर्तों का अनुपालन करना होगा।

(2) कोई प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि उसका दूरसंचार नेटवर्क, सार्वजनिक दूरसंचार सेवाओं जैसे कि पीएसटीएन, पीएलएमएन, इंटरनेट या जीएमपीसीएस नेटवर्क से संबंधित दूरसंचार नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ नहीं है।

(3) कोई प्राधिकृत इकाई, प्रयोक्ताओं को वैमानिकी डेटा संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए अपेक्षित किसी भी ग्राउंड स्टेशन के लिए ऐसे स्पेक्ट्रम के आवंटन की तिथि से बाहर माह के भीतर, आवंटित स्पेक्ट्रम का प्रयोग करते हुए दूरसंचार नेटवर्क शुरू करेगी।

(4) किसी भी ग्राउंड स्टेशन पर दूरसंचार नेटवर्क की शुरुआत, जिसके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा स्पेक्ट्रम आवंटित किया गया है, का अर्थ ग्राउंड स्टेशन की स्थापना और कमीशनिंग होगा।

(5) कोई प्राधिकृत इकाई केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट परीक्षण अनुसूची और परीक्षण प्रक्रिया (टीएसटीपी) के अनुसार, रोलआउट दायित्वों के अनुपालन के सत्यापन के लिए, यथा निर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से, केन्द्रीय सरकार के साथ पंजीकरण करेगी।

(6) उप-नियम (5) के तहत सफल सत्यापन के उपरांत, केन्द्रीय सरकार के साथ पंजीकरण की तिथि को रोलआउट दायित्वों के अनुपालन की तिथि माना जाएगा।

(7) उप-नियम (5) के तहत सत्यापन में विफलता के मामले में, किसी प्राधिकृत इकाई को आवश्यक सुधारों के बाद पुनः पंजीकरण करना होगा, और ऐसे मामलों में, सफल सत्यापन के उपरांत केन्द्रीय सरकार के साथ पुनः पंजीकरण की तिथि को रोलआउट दायित्व के अनुपालन की तिथि के रूप में माना जाएगा।

(8) रोलआउट दायित्वों का पालन करने में किसी भी प्रकार की विफलता को प्राधिकरण के नियमों और शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा और उक्त के मामले में दूरसंचार (न्यायनिर्णय और अपील) नियम, 2025 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

परंतु यह कि यदि रोलआउट दायित्वों का अनुपालन ऐसे दायित्वों के अनुपालन हेतु नियत तिथि की समाप्ति के तीस दिन के भीतर कर दिया जाता है, तो केन्द्रीय सरकार इसे प्राधिकरण के निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन माने बिना, रोलआउट दायित्व की पूर्ति मानेगी।

(9) रोलआउट दायित्वों का पालन करने में विफलता के मामले में, दूरसंचार (न्यायनिर्णय और अपील) नियम, 2025 के अनुसार सिविल शास्ति लगाने के साथ ही, ग्राउंड स्टेशन के लिए स्पेक्ट्रम असाइनमेंट को अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के अनुसार वापस लिया जा सकता है।

73. सुरक्षा शर्तें

प्राधिकृत इकाई अपने दूरसंचार नेटवर्क की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी तथा इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं, आदेशों, निदेशों या दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेगी।

भाग छ: अंतर्राष्ट्रीय सिम सेवा प्राधिकरण

74. अंतर्राष्ट्रीय सिम सेवा प्राधिकरण का दायरा

(1) इस भाग छ के उपबंध अंतर्राष्ट्रीय सिम सेवा प्राधिकरण रखने वाली प्राधिकृत इकाइयों पर लागू होंगे।

(2) अंतर्राष्ट्रीय सिम सेवा प्राधिकरण, निर्दिष्ट अवधि के लिए विदेश यात्रा करने के इच्छुक किसी भारतीय प्रयोक्ता को अंतर्राष्ट्रीय सिम सेवा के संबंध में होगा, जिसके दायरे में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (क) विदेशी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के सिम को बेचना या किराये पर देना; या
- (ख) वैश्विक कॉलिंग कार्डों की विक्री।

(3) कोई प्राधिकृत इकाई केवल अपने प्राधिकरण के दायरे के अंतर्गत प्राधिकृत दूरसंचार सेवाएं ही प्रदान करेगी, न कि कोई अन्य दूरसंचार सेवा जिसके लिए केन्द्रीय सरकार से अलग प्राधिकरण की आवश्यकता हो।

75. शुल्क और प्रभार

प्राधिकृत इकाई द्वारा कोई प्राधिकरण शुल्क नहीं दिया जाएगा।

76. तकनीकी और परिचालन स्थितियां

(1) अंतर्राष्ट्रीय सिम सेवा प्राधिकरण रखने वाली प्राधिकृत इकाई को इस नियम के तहत निर्धारित तकनीकी और परिचालन शर्तों का पालन करना होगा।

(2) प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि विदेशी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं या वैश्विक कॉलिंग कार्ड के सिम की बिक्री या किराये पर दिया जाना केवल भारत के बाहर उसके प्रयोक्ताओं के प्रयोग के प्रयोजन से हो:

परंतु यह कि प्रयोक्ता के प्रस्थान से पहले अड़तालीस घंटे या प्रयोक्ता के आगमन के बाद चौबीस घंटे के भीतर कॉल की अनुमति दी जा सकती है;

परंतु यह कि विदेशी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के ऐसे सिम या वैश्विक कॉलिंग कार्ड के माध्यम से भारत से की गई ऐसी कॉलों को अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग कॉल के रूप में गिना जाएगा।

(3) कोई प्राधिकृत इकाई, अपने प्रयोक्ताओं को विदेशी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के वैश्विक कॉलिंग कार्ड या सिम की बिक्री या किराये पर देने से पहले, नीचे निर्दिष्ट तरीके से ऐसे प्रयोक्ताओं की पहचान प्रमाणित करेगी:

(क) ऐसे प्रयोक्ता के वैध पासपोर्ट की एक प्रति प्राप्त करना;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा निर्दिष्ट पहचान का अतिरिक्त प्रमाण और पते का प्रमाण;

(ग) विधिमान्य वीजा की एक प्रति; और

(घ) उन देशों के लिए जहां भारतीय नागरिकों के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं है, या जहां भारतीय नागरिकों को आगमन पर वीजा जारी किया जाता है, प्रयोक्ता से एक अंडरटेकिंग के साथ विधिमान्य यात्रा टिकट की एक प्रति प्राप्त करना, जिसमें उस देश या स्थान का नाम निर्दिष्ट हो जहां प्रयोक्ता जाना चाहता है।

(4) कोई प्राधिकृत इकाई मासिक आधार पर इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट प्रासंगिक प्राधिकृत ऐंजेंसी को निम्नलिखित प्रस्तुत करेगी:

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा निर्दिष्ट रूप और तरीके से पूर्ण विवरण, जिसमें उस प्रयोक्ता का पता भी शामिल है जिसे विदेशी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के वैश्विक कॉलिंग कार्ड या सिम बिक्री या किराये पर उपलब्ध कराए गए हैं और आवंटन की अवधि; या

(ख) संबंधित माह के दौरान विदेशी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के वैश्विक कॉलिंग कार्ड या सिम की बिक्री या किराये पर न दिए जाने की स्थिति में 'शून्य' रिपोर्ट दी जाएगी।

(5) प्राधिकृत इकाई, किसी प्रयोक्ता को नामांकित करने से पहले, ऐसे प्रयोक्ता को, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा निर्दिष्ट तरीके से, प्रदान की जाने वाली दूरसंचार सेवाओं के प्रकार, दूरसंचार नेटवर्क कवरेज, संबंधित टैरिफ योजनाएं, इलेक्ट्रॉनिक रूप में मदवार बिल, शिकायत निवारण प्रणाली, अपने ग्राहक सेवा और भारत के बाहर दूरसंचार सेवा प्रदाता के संपर्क विवरण तथा अन्य कोई जानकारी प्रदान करेगी।

अनुसूची क: दूरसंचार सेवाओं के लिए प्राधिकरण हेतु प्रोसेसिंग शुल्क, प्रवेश शुल्क और प्रारंभिक गारंटी

क्र.सं.	सेवा प्राधिकरण	प्रोसेसिंग शुल्क (रु. में)	प्रवेश शुल्क (रु. में)	प्रारंभिक गारंटी (रु. में)
1	पीएमआरटीएस प्राधिकरण	10,000	20,000	20,000
2	उद्यम संचार सेवा प्राधिकरण	10,000	शून्य	2 लाख
3	एम2एम सेवा प्राधिकरण	10,000	शून्य	शून्य
4	पीएम वाणी सेवा प्राधिकरण	शून्य	शून्य	शून्य
5	आईएफएमसी सेवा प्राधिकरण	10,000	शून्य	शून्य
6	वैमानिकी डेटा संचार सेवा प्राधिकरण	10,000	1 लाख	शून्य
7	अंतर्राष्ट्रीय सिम सेवा प्राधिकरण	10,000	शून्य	शून्य

अनुसूची ख: सेवा क्षेत्र

क्र. सं.	सेवा क्षेत्र	शामिल क्षेत्र
1	पश्चिम बंगाल सेवा क्षेत्र	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र तथा पश्चिम बंगाल राज्य और सिक्किम राज्य के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र (कोलकाता सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर)
2	आंध्र प्रदेश सेवा क्षेत्र	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र
3	असम सेवा क्षेत्र	असम राज्य के तहत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
4	बिहार सेवा क्षेत्र	बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 की संख्या 30) दिनांक 25 अगस्त, 2000 के अनुसार पुनर्गठित बिहार राज्य और नव निर्मित झारखण्ड राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र
5	गुजरात सेवा क्षेत्र	गुजरात राज्य और दमन और दीव, सिलवासा (दादरा और नगर हवेली) संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र
6	हरियाणा सेवा क्षेत्र	पंचकुला शहर और फरीदाबाद तथा गुडगांव टेलीफोन एक्सचेंजों द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले स्थानीय क्षेत्रों को छोड़कर हरियाणा राज्य में आने वाला संपूर्ण क्षेत्र
7	हिमाचल प्रदेश सेवा क्षेत्र	हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र
8	जम्मू और कश्मीर सेवा क्षेत्र	जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
9	कर्नाटक सेवा क्षेत्र	कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र
10	केरल सेवा क्षेत्र	केरल राज्य और लक्ष्मीपुर संघ राज्य क्षेत्र और मिनिकॉर्प के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र
11	मध्य प्रदेश सेवा क्षेत्र	मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (संख्या 28, 2000) दिनांक 25 अगस्त, 2000 के अनुसार पुनर्गठित मध्य प्रदेश राज्य के साथ-साथ नव निर्मित छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
12	महाराष्ट्र सेवा क्षेत्र	मुंबई सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर, महाराष्ट्र राज्य और गोवा राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
13	उत्तर पूर्व सेवा क्षेत्र	अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
14	ओडिशा सेवा क्षेत्र	ओडिशा राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
15	पंजाब सेवा क्षेत्र	पंजाब राज्य और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र तथा हरियाणा के पंचकुला शहर के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
16	राजस्थान सेवा क्षेत्र	राजस्थान राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
17	तमिलनाडु सेवा क्षेत्र (चेन्नई सेवा क्षेत्र सहित)	तमिलनाडु राज्य और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।

18	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) सेवा क्षेत्र	पश्चिमी उत्तर प्रदेश द्वारा आच्छादित संपूर्ण क्षेत्र, जिसके पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर निम्नलिखित सीमावर्ती जिले हैं: पीलीभीत, बरेली, बदायूँ, कासगंज (कांशीराम नगर), एटा, मैनपुरी, इटावा और औरैया। इसमें गाजियाबाद और नोएडा का स्थानीय टेलीफोन क्षेत्र शामिल नहीं होगा। तथापि, इसमें उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का संख्या 29) दिनांक 25 अगस्त, 2000 के अनुसार नव निर्मित उत्तरांचल राज्य भी शामिल होगा।
19	उत्तर प्रदेश (पूर्व) सेवा क्षेत्र	पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीमा वाले निम्नलिखित जिले शामिल हैं: शाहजहाँपुर, कन्नौज, फरुखाबाद, लखीमपुर, कानपुर ग्रामीण और जालौन (उरई)।
20	दिल्ली सेवा क्षेत्र	दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा और गुडगांव टेलीफोन एक्सचेंजों द्वारा सेवित स्थानीय क्षेत्र
21	कोलकाता सेवा क्षेत्र	कलकत्ता टेलीफोन्स द्वारा सेवित स्थानीय क्षेत्र
22	मुंबई सेवा क्षेत्र	मुंबई, न्यू मुंबई और कल्याण टेलीफोन एक्सचेंजों द्वारा सेवित स्थानीय क्षेत्र

अनुसूची ग: दूरसंचार सेवाओं के लिए प्राधिकरण का प्रारूप

दूरसंचार विभाग

दूरसंचार अधिनियम 2023 की धारा 3 (1) (क)

1. दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3(1)(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राष्ट्रपति की ओर से कार्यरत, मैं _____ (नाम और पदनाम), दूरसंचार विभाग, (पता), दिनांक _____ के आवेदन संख्या पर विचार करते हुए, (आवेदक का नाम), (पता) (जिसे इस दस्तावेज में इसके बाद 'प्राधिकृत इकाई' कहा गया है) को एक (प्राधिकरण का नाम) प्रदान करता हूँ।

2. यह सेवा प्राधिकरण दूरसंचार अधिनियम, 2023 और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997, समय-समय पर यथा संशोधित या प्रतिस्थापित, या किसी अन्य प्रासंगिक अधिनियम; और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों द्वारा शासित होगा।

3. इस प्राधिकरण की मुख्य निबंधनें नीचे दी गई हैं:

(क) प्राधिकरण की प्रभावी तिथि: (निर्दिष्ट की जाएगी)

(ख) प्राधिकरण की विधिमान्यता अवधि: प्रभावी तिथि से _____ वर्ष, जब तक कि दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत बनाए गए लागू नियमों के अनुसार निर्दिष्ट कारणों से पहले रद्द नहीं किया जाता है।

(ग) प्राधिकरण का दायरा: जैसा कि दूरसंचार (विविध दूरसंचार सेवाओं के उपबंध के लिए प्राधिकरण) नियम, 2025 के अध्याय 6 के भाग " _____ " में निर्दिष्ट है।

(घ) प्राधिकरण का सेवा क्षेत्र: (निर्दिष्ट किया जाएगा)

(ड.) प्राधिकृत इकाई, दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत बनाए गए लागू नियमों के प्रावधान के अनुसार केन्द्रीय सरकार को प्राधिकरण शुल्क, एजीआर से जुड़े स्पेक्ट्रम शुल्क और अन्य शुल्क का भुगतान करेगी।

(च) यह प्राधिकरण गैर-अनन्य आधार पर प्रदान किया जा रहा है। भविष्य में समय-समय पर, समान सेवा क्षेत्र में समान या अन्य प्रकार की दूरसंचार सेवाओं के लिए, समान या भिन्न प्रवेश शर्तों के साथ, प्राधिकृत इकाइयों की संख्या पर कोई प्रतिबंध लगाए बिना, अतिरिक्त प्राधिकरण जारी किए जा सकते हैं।

(छ) यह प्राधिकरण स्पेक्ट्रम के आवंटन का कोई अधिकार नहीं देता है। प्राधिकृत दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करने के लिए स्पेक्ट्रम के प्रयोग हेतु, दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचित नियमों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार से एक अलग विशिष्ट प्रीफ़ेंसी आवंटन की आवश्यकता होगी।

(ज) प्राधिकरण की विधिमान्यता अवधि के दौरान किसी भी स्तर पर किसी प्राधिकृत इकाई द्वारा कोई अयर्थार्थ कथन या दुर्व्यपदेशन पाए जाने पर प्राधिकरण को रद्द किया जा सकता है या केन्द्रीय सरकार द्वारा जो भी उचित समझा जाए वैसी शास्ति लगाई जा सकती है।

तिथि:

केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर
(भारत के राष्ट्रपति की ओर से)

सेवा में,

(इकाई का नाम और पता)

[फा. सं. 24-06/2025-यूबीबी]

देवेन्द्र कुमार राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS (Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th September, 2025

G.S.R. 611(E).—The following draft rules, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub section (1) of section 3 read with clause (a) of sub-section (2) of section 56 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023) are hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public,

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Joint Secretary (Telecom), Department of Telecommunications, Ministry of Communications, Government of India, Sanchar Bhawan, 20, Ashoka Road, New Delhi- 110001,

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period shall be taken into consideration by the Central Government.

CHAPTER 1: PRELIMINARY

1. Short title and commencement

- (1) These rules may be called the Telecommunications (Authorisation for Provision of Miscellaneous Telecommunication Services) Rules, 2025.
- (2) They shall come into force from _____.
- (3) These rules shall not override the terms and conditions of actions taken under the Indian Telegraph Act, 1885

(13 of 1885), including issuance of licenses, registrations or permissions, by whatever name called, undertaken pursuant to the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), which shall continue in accordance with sub-section (6) of section 3 of the Act.

2. Definitions

- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,
- (a) “access service” means the telecommunication service provided by an authorised entity to users for conveyance of voice or non-voice messages through wireline or wireless telecommunication network and the words “wireline access service” and “wireless access service” shall be construed accordingly;
 - (b) “access spectrum” means the spectrum assigned to an authorised entity for conveyance of voice or non-voice messages between user terminal (UT) and base station;
 - (c) “Act” means the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023);
 - (d) “authorisation fee” means a fee payable by an authorised entity at rates and intervals for the duration of the authorisation as specified in these rules;
 - (e) “authorised agency” means: (i) for interception of messages, the authorised agency as defined under Telecommunications (Procedures and Safeguards for Lawful Interception of Messages) Rules, 2024; and (ii) for any other purpose, the agency designated by the Central Government;
 - (f) “base station” means a fixed radio transmitter and receiver station, which provides a link between the user terminal and core telecommunication network;
 - (g) “broadcasting services” means the dissemination of any programme(s) through terrestrial or satellite communication medium or a combination of both, intended to be received by the users either directly or indirectly and all its grammatical variations and cognate expressions shall be construed accordingly;
 - (h) “call” means a connection established by means of telecommunication that enables voice communication;
 - (i) “captive telecommunication services” means captive telecommunication services as identified and authorised under the Telecommunications (Authorisation For Provision of Captive Telecommunication Services) Rules, 2025;
 - (j) “Chief Telecommunication Security Officer” means the Chief Telecommunication Security Officer appointed under rule 6 of the Telecommunications (Telecom Cyber Security) Rules, 2024;
 - (k) “cloud-hosted telecommunication network (CTN) provider” shall have the same meaning as provided in the Telecommunications (Authorisation for Telecommunication Network) Rules, 2025.
 - (l) “Companies Act” means the Companies Act, 1956 or the Companies Act, 2013, as the case may be;
 - (m) “core telecommunication network” means a system or series of systems of telecommunication equipment that is responsible for routing and controlling flow of telecommunication traffic among different parts of the telecommunication network and handles a range of essential functions including connectivity, routing, mobility management, authentication, authorisation, user management, policy management, management of exposure of the telecommunication network and servicing of Application Program Interfaces (APIs);
 - (n) “effective date” means the date as specified in the authorisation as being the effective date of the authorisation;
 - (o) “entry fee” means non-refundable amount of fee to be paid for grant of authorisation to provide telecommunication services in a service area of authorisation;
 - (p) “force majeure event” means any cause or event, other than the unavailability of funds, which causes non-performance or delay in performance by the authorised entity claiming to be affected by such event, which are:
 - (i) beyond the reasonable control of, and could not have been anticipated or foreseeable by such entity, and not brought about at the instance of such entity; or
 - (ii) which, if anticipated or foreseeable, could not have been avoided by such entity.

Illustrative list of “force majeure events” natural phenomena or calamities or any act of God, earthquakes, typhoons, floods, fires, explosions, wars declared or undeclared, hostilities, invasions, blockades, acts of public enemy, sabotage, riots, strikes, insurrection, civil disturbances, Act of State or direction from Statutory Authority, quarantine restriction, strikes and lockouts (as are not limited to the establishments

- and facilities of the authorised entity).
- (q) “foreign direct investment” or “FDI” means foreign direct investment as defined under paragraph (r) of rule 2 of the Foreign Exchange Management (Non-debt Instrument) Rules, 2019;
- (r) “form” means a form specified by the Central Government from time to time;
- (s) “global mobile personal communications by satellite (GMPCS) system” means any satellite system which is fixed or mobile, broad-band or narrow-band, global or regional, geo-stationary or non-geo-stationery, existing or planned, providing telecommunication services directly to end users from a single or constellation of satellites, and the phrase ‘GMPCS network’ and ‘GMPCS service’ shall be construed accordingly;
- (t) “home network” means the telecommunication network established by an authorised entity in its service area of authorisation;
- (u) “internet” is a global system that:
- is logically linked together by a globally unique address, based on Internet Protocol (IP) or its subsequent enhancements or upgradations; and
 - is able to support communications using the Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) suite or its subsequent enhancements/upgradations, and all other IP compatible protocols;
- (v) “Internet of Things” or “IoT” means M2M communications over the internet;
- (w) “internet service” is a type of telecommunication service accessing the internet;
- (x) “letter of intent” or “LOI” means the letter issued under sub-rule (2) of rule 9 of these rules;
- (y) “license” means a license, registration, or permission, by whatever name called, granted under the Indian Telegraph Act, 1885 for provision of telecommunication services or telecommunication network and the word “licensee” shall be construed accordingly;
- (z) “Low Power Wide Area Network” or “LPWAN” is a type of wide area network which provide wireless connectivity to low-power devices over large distances that is suited for M2M communication;
- (aa) “Machine to Machine (M2M) communication” is a type of telecommunication between two or more devices that do not necessarily need any direct human intervention;
- (bb) “Machine to Machine (M2M) service” means a type of telecommunication service using Machine to Machine (M2M) communication;
- (cc) “main telecommunication services rules” means the Telecommunication (Authorisation for Provision of Main Telecommunication Services) Rules, 2025;
- (dd) “merger rules” means the Telecommunications (Regulation of Restructuring or Acquisition of Authorised Entities) Rules, 2025;
- (ee) “migration rules” means the Telecommunications (Migration from License to Authorisation) Rules, 2025;
- (ff) “miscellaneous telecommunication services” means the telecommunication services listed in sub-rule (2) of rule 4 of these rules;
- (gg) “portal” means the portal notified by the Central Government under sub-rule (3) of rule 2 of these rules;
- (hh) “prohibited investor” means a person who falls within any of the following categories:
- person debarred from accessing the capital market by SEBI;
 - a person as may be determined by the Central Government when it considers it necessary or expedient so to do in the interest of national security;
 - a person whose authorisation or license, as the case may be, was cancelled on account of default in compliance of the terms and conditions of its authorisation or license;
 - a person who was in control of the person specified under clause (iii) at the time of default or of the cancellation; and
 - a person or class of persons as may be identified by the Central Government, from time to time that are prohibited from holding any equity shares in, or controlling, directly or indirectly, an authorised entity or licensee, as the case may be;
- (ii) “public land mobile network” or “PLMN” means a land based public mobile network;
- (jj) “public switched telephone network” or “PSTN” means a fixed public telephone network providing a two-way switched telecommunication service;
- (kk) “roaming” means a telecommunication service that allows mobile terminal users to continue to use the

- telecommunication services subscribed in its home network, while travelling outside the geographical coverage area of the home network, by means of using a visited network;
- (ll) “satellite system” or “satellite network” means a telecommunication network comprising satellites, system control centers, gateways, together with associated telecommunication networks and terminals that enable direct communication channels between satellites and terminals, as well as connections to land networks through feeder links;
- (mm) “service area” means the geographical area for which the authorisation for provision of telecommunication service is granted, which can be of two types:
- (i) National Service Area which refers to the territory of India, territorial waters of India, and the Continental Shelf and Exclusive Economic Zone of India, in accordance with Section 55 of the Act; and
 - (ii) Telecom circle or metro service area which refers to service areas listed in Schedule B to these rules;
- (nn) “SIM” means Subscriber Identity Module (SIM), by whatever name called and it includes embedded SIM (e-SIM), Integrated SIM (iSIM), soft SIM, or any other equivalent SIM, available in any form factor, used for securely storing a unique telecommunication identifier and its related authentication keys to identify and authenticate user on the telecommunication network of the authorised entity;
- (oo) “Subscriber Data Record” or “SDR” means a comprehensive repository of user information maintained by each authorised entity, in the format as may be specified by the Central Government;
- (pp) “tariff” shall have the same meaning as provided in the Telecommunication Tariff Orders issued under the TRAI Act;
- (qq) “TRAI” means Telecom Regulatory Authority of India constituted under the TRAI Act;
- (rr) “TRAI Act” means Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997); and
- (ss) “user terminal (UT)” or “user equipment (UE)” means a type of telecommunication equipment used by a user to avail telecommunication service provided by an authorised entity.
- (2) Words and expressions used in these rules and not defined herein but defined in the Act, or in the main telecommunication services rules, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or in such rules.
- (3) The Central Government may establish and notify one or more portals for the purpose of implementation of rules under the Act.

3. Applicability

These rules shall apply to any person, intending to provide or providing the telecommunication services specified in sub-rule (2) of rule 4, within the service area of authorisation.

CHAPTER 2: AUTHORISATION FOR MISCELLANEOUS TELECOMMUNICATION SERVICES

4. Categories of authorisations

- (1) Telecommunication service authorisations are classified into the following four broad categories: (a) main telecommunication services, (b) miscellaneous telecommunication services, (c) captive telecommunication service, and (d) broadcasting services.
- (2) Miscellaneous telecommunication services authorisation shall comprise of the following sub-categories:
 - (a) public mobile radio trunking service (PMRTS) authorisation, which shall comprise the telecommunication services as detailed in Part A (PMRTS authorisation) of Chapter 6 of these rules;
 - (b) enterprise communication service authorisation, which shall comprise the telecommunication services as detailed in Part B (enterprise communication service authorisation) of Chapter 6 of these rules;
 - (c) Machine to Machine (M2M) service authorisation, which shall comprise the telecommunication services as detailed in Part C (Machine to Machine (M2M) Service Authorisation) of Chapter 6 of these rules;
 - (d) PM-WANI service authorisation, which shall comprise the telecommunication services as detailed in Part D (PM-WANI Service Authorisation) of Chapter 6 of these rules;

- (e) In-Flight and Maritime Connectivity (IFMC) service authorisation, which shall comprise the telecommunication services as detailed in Part E (In-Flight and Maritime Connectivity Service Authorisation) of Chapter 6 of these rules;
 - (f) Aeronautical data communication service authorisation, which shall comprise the telecommunication services as detailed in Part F (Aeronautical data communication service authorisation) of Chapter 6 of these rules; and
 - (g) International SIM service authorisation, which shall comprise the telecommunication services as detailed in Part G (International SIM service authorisation) of Chapter 6 of these rules.
- (3) The scope of these rules relates to miscellaneous telecommunication services and reference to telecommunication services in the provisions set forth below shall mean miscellaneous telecommunication services.

5. Service area of authorisation

The service area of authorisation for each category of miscellaneous telecommunication service, shall be as follows:

- (a) The service area of authorisation for public mobile radio trunking service (PMRTS) shall be the telecom circle or metro service area;
- (b) The service area of authorisation for enterprise communication service shall be the national service area;
- (c) The service area of authorisation for machine to machine (M2M) service shall be the national service area;
- (d) The service area of authorisation for PM-WANI service shall be the national service area;
- (e) The service area of authorisation for In-Flight and Maritime Connectivity (IFMC) service shall be the national service area;
- (f) The service area of authorisation for aeronautical data communication service shall be the national service area; and
- (g) The service area of authorisation for International SIM service shall be the national service area.

6. Duration of Authorisation

- (1) The initial validity period of an authorisation for provision of telecommunication services shall be twenty years from the effective date unless curtailed or revoked earlier for reasons specified in these rules.
- (2) The duration of an authorisation may be renewed as provided under rule 16.

7. Eligibility criteria for grant of an authorisation

- (1) An applicant seeking authorisation under these rules shall be a company incorporated under the Companies Act:
Provided that for M2M Service Authorisation, the applicant may be any business entity, including a company incorporated under the Companies Act, partnership firms, LLPs, institutions, undertakings, proprietorship firms, societies or trusts, or a Ministry or Department of the Central or State Government, the Parliament of India, Legislative Assembly of a State of India, any Court of law, or any agency or autonomous organisation of the Central or State Government;
- (2) The foreign direct investment in any applicant shall be in compliance with the laws and policies of India as applicable at the time of making of the application for authorisation under rule 8:
Provided that the direct or indirect investors in the applicant shall also be in compliance with the laws and policies of India as applicable.
- (3) The applicant shall not have any direct or indirect investment from a prohibited investor or control of a prohibited investor.
- (4) In the event the applicant is an entity that had held a license under the Indian Telegraph Act 1885, and which license had been terminated or surrendered or expired, then such applicant shall have to make payment of all amounts, as may be determined by the Central Government, as being payable under the earlier terminated or surrendered or expired license, including applicable interest calculated based on the rate stipulated for delayed payment, under the relevant license that had been held by such applicant.
- (5) In the event the applicant is an entity that had been granted any authorisation under the Act and the following circumstances apply:
 - (a) it had surrendered such authorisation but has pending dues payable in respect thereof under rule

22; or

- (b) it had been subject to revocation under rule 19 and is submitting an application for authorisation under these rules after adjudication thereof, but during such period when it could have submitted an application for authorisation, but has pending dues payable thereof;
- (c) its authorisation had expired due to efflux of time, and it has pending dues payable; then such applicant shall make payment of all amounts, as may be determined by the Central Government, to be considered as eligible to apply for an authorisation under these rules.

8. Application for obtaining an authorisation

- (1) Any person intending to provide telecommunication services shall submit an application on the portal, in the form and manner, and accompanied by such documents as specified on the portal for this purpose.
- (2) If the applicant for authorisation under these rules is an existing licensee, it shall, along with its application for authorisation:
 - (a) apply for migration of all its existing licenses for all categories of telecommunication services to the corresponding authorisation for telecommunication service, in accordance with the migration rules, and submit proof of such application; or
 - (b) submit proof of its application for migration if such application has already been made:

Provided that this sub-rule shall not apply in respect of situations specified under sub-rule (5).
- (3) Every application under sub-rule (1) shall be accompanied with a non-refundable processing fee as stipulated in Schedule A to these rules.
- (4) An applicant under these rules may simultaneously apply for one or more authorisations in different service areas.
- (5) An authorised entity shall not be permitted to hold more than one authorisation for a specific telecommunication service in the same service area:

Provided that in the event an authorised entity or a licensee holding an authorisation or license in a service area, as the case may be, makes an application for obtaining an authorisation for a telecommunication service or obtains an authorisation for a telecommunication service in accordance with the merger rules, the scope and service area of which includes in its entirety, the scope and service area for which it already holds an authorisation or license, then such existing authorisation or license shall be deemed to be subsumed into the new authorisation upon its grant or acquisition or restructuring as per the merger rules, and the authorisation or license so subsumed shall be deemed to be cancelled.

Provided further that, the subsumption and cancellation of the prior authorisation or license shall not extinguish or waive any dues, penalties, liabilities or obligations incurred under such earlier authorisation or license, as the case may be, and such dues, penalties, liabilities, or obligations shall remain enforceable and shall be recoverable by the Central Government, and shall stand transferred to and be deemed to be carried forward under the new authorisation.

9. Grant of Authorisation

- (1) Upon examination of the application submitted under sub-rule (1) of rule 8, the Central Government may seek clarifications or further documents, as may be required.
 - (2) In the event an applicant is found to be eligible for grant of an authorisation, a letter of intent shall be issued to the applicant through the portal:
- Provided that* authorisations for: (a) machine to machine (M2M) service, (b) PM-WANI service, (c) In-Flight and Maritime Connectivity (IFMC) service, and (d) International SIM service authorisations, shall be granted to the eligible applicants without any prior issuance of a letter of intent, in accordance with sub-rule (5).
- (3) An applicant who has been issued a letter of intent pursuant to sub-rule (2), shall comply with the terms and conditions as specified in the letter of intent within the time period specified therein, including, payment of the entry fee, as specified for such authorisation in Schedule A and shall guarantee, by submitting, in the form and manner as specified on the portal, an initial guarantee of the amount as specified for such authorisation in Schedule A, of any of the following:
 - (a) a bank guarantee from any scheduled bank or public financial institution,

- (b) an insurance surety bond, issued by an insurance company, in accordance with the applicable rules and guidelines issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India, with a minimum validity period of one year, or
- (c) non-interest-bearing security deposit with the Central Government, and submit evidence of the same on the portal.
- (4) If the requirements stipulated in the letter of intent are not fulfilled within the time period stipulated in the letter of intent, such letter shall be deemed to have lapsed, and the application for authorisation shall stand rejected.
- Provided that* the Central Government may, based on consideration of a request for extension of time made by an applicant prior to the expiry of the time specified in the letter of intent, in the form and manner as may be specified on the portal, grant a one-time extension not exceeding thirty days from the date specified in the letter of intent.
- (5) Upon compliance with the terms and conditions of the letter of intent by an applicant, or in respect of an authorisation as specified in the proviso to sub-rule (2), a unique authorisation number shall be generated on the portal and an authorisation shall be granted to the applicant in the format specified in Schedule C to these rules.
- (6) Each application for authorisation shall be processed on the basis of the statements, averments, representations and submissions made by the applicant and on the basis of the supporting documents so provided and if at any time, such information is found to be incorrect, the provisions of rules 19 shall apply.
- (7) The Central Government shall endeavour, to the extent reasonably practicable, to decide on an application received under rule 8 within a period of sixty days of the applicant providing clarifications or additional documents as may be required under sub-rule (1):
- Provided that* any decision rejecting the application, other than as a consequence of sub-rule (4), shall be accompanied by reasons to be specified in writing.
- (8) Any applicant who has been issued a letter of intent for grant of a license under the Indian Telegraph Act 1885, prior to notification of these rules, shall be considered for grant of corresponding authorisation under the Act, subject to acceptance by the applicant, and in such cases, the processing fee and entry fee, if already paid, shall be adjusted towards the processing fee and entry fee, as specified, for grant of such authorisation:
- Provided that* the applicant shall also be required to pay the difference of entry fee, if required, in respect of grant of authorisation under the Act.

10. Non-Exclusive authorisation

Each authorisation granted pursuant to these rules shall be on a non-exclusive basis and additional authorisations with same or different terms and conditions for the same or different telecommunication services may be granted by the Central Government within the same or other service areas without any restriction on the number of authorised entities:

Provided that the Central Government may, on its own or through any public entity, provide telecommunication services anywhere in India.

CHAPTER 3: GENERAL CONDITIONS

11. Compliance with the Act

- (1) An authorised entity shall comply with the provisions of the Act and the rules thereunder, including all notifications, orders, directions, or guidelines, issued by the Central Government under the provisions of the Act or rules, which shall be deemed to be incorporated into each authorisation issued under the Act.
- (2) An authorised entity shall also comply with notifications, orders, directions, or guidelines not inconsistent with these rules, issued by the Central Government for the purpose of giving effect to these rules.

12. Compliance with the TRAI Act

An authorised entity shall be bound by the provisions of the TRAI Act, and any non-compliance thereof shall be addressed under the TRAI Act.

13. Continuing Compliance with Eligibility Conditions

- (1) An authorised entity as well as its investors shall continue to comply with all applicable laws and policies of India, including laws relating to foreign investment, at all times during the duration of authorisation.
- (2) An authorised entity shall ensure that no prohibited investor has any direct or indirect investment, or control in such entity, at all times during the duration of authorisation.

14. Reporting and Disclosure Obligations

- (1) An authorised entity shall:
 - (a) report any change in its shareholding, in the form and manner as may be specified on the portal, within fifteen days from the date of such change in shareholding and shall also ensure compliance with all statutory requirements, including obtaining relevant permissions, under applicable laws;
 - (b) report any change in the name under which it has been incorporated under the Companies Act, in the form and manner as may be specified on the portal, along with the certified copy of the certificate issued by the Registrar of Companies for the same, within thirty days from the date of issue of such certificate;
 - (c) submit to the Central Government any change in details, relating to ownership, control, address and contact details, or any other such material details, in the form and manner as may be specified on the portal, within fifteen days of such change;
 - (d) furnish to the Central Government, on demand, such documents, accounts, estimates, returns, reports or other information as directed within specified timelines, in the form and manner, as may be specified on the portal.
- (2) An authorised entity shall nominate and communicate to the Central Government and the relevant authorised agency, in the form and manner specified for this purpose, the details of a nodal person, who shall be responsible for providing any report or information or extending the necessary support, as may be required under these rules.

15. Restrictions on transfer of authorisation

- (1) An authorised entity shall not:
 - (a) assign or transfer its authorisation, whether directly or indirectly, or in any manner whatsoever, without the prior written approval of the Central Government;
 - (b) enter into any partnership or agreement for sub-leasing or sub-authorisation; or
 - (c) create any interest in favour of a third party in such authorisation.
- (2) An authorisation may be assigned or transferred only pursuant to any restructuring or acquisition of an authorised entity in accordance with the merger rules.

16. Renewal of Authorisation

- (1) An authorised entity may submit an application for renewal of authorisation, in the form and manner as specified on the portal for this purpose, at least twelve months prior to the expiry of the authorisation, along with processing fee for such renewal, as specified in Schedule A of these rules:
Provided that an application for renewal may be submitted up to four months prior to the expiry of the authorisation, subject to payment of late fees as may be specified by the Central Government for this purpose.
- (2) The Central Government shall, on receipt of an application under sub-rule (1), consider renewal of duration of authorisation by a term of twenty years, subject to such terms and conditions as may be specified by the Central Government, as well as compliance with law and policy applicable at the time of such renewal:
Provided that any decision rejecting the application shall be accompanied by reasons to be specified in writing.
- (3) Where an application has been rejected in terms of sub-rule (2), or no application for renewal of authorisation is received within the timelines specified under sub-rule (1), then such authorisation shall expire at the end of the validity period of an existing authorisation, and the authorised entity shall notify all its users, clearly stating the options available to such users by issuing a notice of at least thirty days, as regards the effective date of expiry of its authorisation by efflux of time and ensure quality of telecommunication network and telecommunication service, till the effective date of expiry.

17. Assignment and Use of Spectrum

- (1) The grant of an authorisation under the Act does not confer any right to assignment and use of spectrum.
- (2) An authorised entity may apply for assignment of the spectrum under the rules prescribed under sub-section (3) of section 4 of the Act.
- (3) Where an authorised entity holds spectrum, or applies for assignment of spectrum under the relevant rules, the terms and conditions of such assignment, shall be deemed to be incorporated into the terms and conditions of the authorisation, and an authorised entity shall use the spectrum for provision of telecommunication services in conformity with the terms and conditions of assignment, as well as the terms and conditions of authorisation.

18. Force Majeure event

- (1) If the performance of any obligation under an authorisation by an authorised entity is prevented or delayed, in whole or in part, by reason of a force majeure event, and such entity has complied with its notification obligations under sub-rule (2), the Central Government shall, neither revoke the authorisation, nor claim any damages against such authorised entity, in respect of such non-performance or delay in performance for the duration of such event.
- (2) An authorised entity shall notify to the Central Government, in the form and manner as may be specified for this purpose, the occurrence of a force majeure event within twenty-one days from the date of occurrence of such event.
- (3) An authorised entity shall not be entitled for extension of the duration of the authorisation, or to claim any compensation for the force majeure event, or any damages against the Central Government for non-performance or delay in performance of the Central Government's obligations by reason of the force majeure event.

19. Default by an authorised entity

- (1) The adjudication and appeal of any contravention or breach of the terms and conditions of authorisation shall be governed by the Telecommunications (Adjudication and Appeal) Rules, 2025.
- (2) Any order of suspension, revocation or curtailment of an authorisation shall be published by the Central Government on the portal and be effective from the sixty-first day from the date of such order.
- (3) Pursuant to the order under sub-rule (2) published on the portal, an authorised entity shall also give notice of at least thirty days to all its users within thirty days from the date of such order, clearly stating the options available to such users.
- (4) An authorised entity whose authorisation is revoked as well as its promoters shall not be eligible to apply for authorisation for any of the telecommunication services under the Act for a period, as may be determined by the Central Government, which shall not exceed three years.

20. Set Off

- (1) Any sum of money or claim payable by an authorised entity to the Central Government, under the terms of authorisation or assignment, may be deducted or adjusted by the Central Government against any amount or sum of money then due, or which may become due to an authorised entity under the authorisation or assignment at any time thereafter, including any guarantee, which can be converted into money.
- (2) The Central Government shall, subsequent to any action taken under sub-rule (1), inform an authorised entity of such set-off.

21. Recovery of dues

Without prejudice to other modes of recovery, any amount due to the Central Government by an authorised entity under these rules, if not paid, shall be recovered as an arrear of land revenue.

22. Surrender of authorisation

- (1) An authorised entity seeking to surrender an authorisation granted under these rules, shall submit an application, in the form and manner as specified on the portal, at least sixty days prior to the proposed date of surrender, along with an undertaking, and other information as specified by the Central Government on the portal.

- (2) The Central Government shall either accept or reject an application under sub-rule (1), within thirty days of receipt of such application, and if accepted, the effective date of surrender shall be the sixty-first day from the date of receipt of such application by the Central Government.
Provided that, any decision rejecting the application, shall be accompanied by reasons to be specified in writing.
- (3) If an application under sub-rule (1) is neither accepted nor rejected within thirty days of receipt of the application by the Central Government, such application shall be deemed to be accepted.
- (4) The details relating to surrender of an authorisation by an authorised entity shall be made available on the portal by the Central Government.
- (5) Pursuant to the acceptance under sub-rule (2) or deemed acceptance under sub-rule (3), an authorised entity shall notify all its users, clearly stating the options available to such users, by issuing a notice of at least thirty days, as regards the effective date of surrender of its authorisation.

23. Suspension or Revocation on grounds of National Security or Public interest

- (1) Notwithstanding any other provision of these rules, the Central Government may suspend or revoke the operation of the authorisation, without any notice period, in whole or in part, at any time, if, in the opinion of the Central Government, it is necessary or expedient to do so in public interest, or in the interest of national security, or for the proper conduct of the telecommunication, or in the event of national emergency, or in the event of war or low intensity conflict or other similar situations:
Provided that the Central Government shall not be responsible for any damage or loss caused or arising out of such actions.
- (2) An authorised entity shall comply with any measures as specified by the Central Government under such directions for suspension or revocation.

24. Actions pursuant to revocation, surrender or expiry of authorisation

- (1) On revocation, surrender, or expiry of the authorisation held by an authorised entity, the spectrum assigned, if any, to such entity shall stand withdrawn from the effective date of such revocation, surrender or expiry.
- (2) On revocation, surrender, or expiry of the authorisation or license, the relevant authorised entity shall manage its radio equipment in the manner as prescribed under the Telecommunications (Radio Equipment Possession Authorisation) Rules, 2025.

CHAPTER 4: TECHNICAL AND OPERATING CONDITIONS

25. Telecommunication Network

- (1) An authorised entity having an authorisation to provide miscellaneous telecommunication service may establish, operate, maintain or expand telecommunication network and may also possess radio equipment, conforming to the scope of the authorisation, without requiring any separate authorisation under clause (b) of sub-section (1) of section 3 or under clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Act respectively:
Provided that in respect of right to assignment and use of spectrum, rule 17 of these rules shall apply.
- (2) An authorised entity shall design, engineer, establish, operate, maintain or expand the telecommunication network for provision of miscellaneous telecommunication services pursuant to its authorisation in accordance with the Act, and rules thereunder, and shall ensure that such telecommunication equipment, telecommunication network and telecommunication services are in conformity with applicable standards and conformity assessment measures, including those notified under section 19 of the Act and TRAI regulations relating to standards of Quality of Service (QoS).
- (3) An authorised entity shall furnish all technical details of telecommunication services and the associated telecommunication network including the details of technology, to the Central Government or the relevant authorised agency, in such manner and at such times as may be required pursuant to any direction issued by the Central Government in this regard.
- (4) An authorised entity shall make its own arrangements, including in respect of Right of Way (RoW), for establishing telecommunication network and shall be solely responsible for the establishment, maintenance,

operation, expansion and commissioning of necessary infrastructure, telecommunication equipment and systems, and all aspects of its telecommunication network:

Provided that, an authorised entity may take telecommunication network, telecommunication infrastructure, or telecommunication resources, as the case may be, on mutually agreed terms from other authorised entities, holding the relevant authorisations under sub-section (1) of section 3 of the Act:

Provided further that, an authorised entity may share the telecommunication infrastructure and telecommunication network, as permitted under these rules.

Provided also that, non-availability of RoW or delays in obtaining RoW permission by an authorised entity, shall not be a cause or ground for non-fulfilment of the roll-out obligations, or non-compliance with any other obligations under these rules.

- (5) An authorised entity shall adhere to the applicable notifications, orders, directions, or guidelines issued by the Central Government in respect of the following:
 - (a) adoption of Renewable Energy Technologies (RETs) for powering the telecommunication network;
 - (b) deployment of energy efficient telecommunication equipment;
 - (c) preferential market access (PMA) for procurement of indigenously manufactured telecommunication equipment; and
 - (d) IPv6 implementation.

26. Location of Telecommunication Network Elements

- (1) Any installation of telecommunication equipment or establishment of telecommunication network, in security sensitive areas as may be specified by the Central Government, shall be undertaken only with the prior written approval of the Central Government, obtained by the authorised entity pursuant to an application made in the form and manner as may be specified on the portal.
- (2) An authorised entity shall ensure that:
 - (a) all systems of its telecommunication network,
 - (i) either owned, or taken as a service from an entity authorised under clause (b) of sub-section (1) of section 3 of the Act, or
 - (ii) on lease or hire or sharing basis from an entity authorised under clause (a) of sub-section (1) of section 3 of the Act,

are located within its service areas of authorisation for the purpose of provisioning of telecommunication service permitted under the scope of the authorisation:

Provided that in cases where telecommunication network is taken as a service from a cloud-hosted telecommunication network (CTN) provider authorised under clause (b) of sub-section (1) section 3 of the Act, the systems of such telecommunication network may be located anywhere in India; and

- (b) all data and information associated with its telecommunication network specified in clause (a), shall be stored within India.

27. Sharing of telecommunication network and infrastructure

An authorised entity having different authorisations under section 3 of the Act may share its telecommunication infrastructure, telecommunication equipment, or any other system of its telecommunication network for providing telecommunication services under such authorisations subject to the prior approval requirement, as applicable, under these rules.

28. Commercial launch of telecommunication services

- (1) An authorised entity shall charge the tariff for the telecommunication service in accordance with the tariff orders, directions, guidelines or decisions issued by TRAI for this purpose and shall fulfil requirements including publication of tariff, notification of tariff to TRAI and provision of information to users, as directed by TRAI.
- (2) An authorised entity shall intimate to the Central Government and TRAI the date of commencement of provision of telecommunication service within fifteen days of such commencement.

29. Provisioning of Telecommunication Service

- (1) An authorised entity shall:

- (a) not discriminate between users registered for its telecommunication services with regard to commercial principles for provision of telecommunication services; and
- (b) issue or cause to be issued, in its own name, bills to its users for use of the telecommunication service with adequate details to ensure satisfaction of the users about the genuineness of the bill, collection of revenue, ensure timely treatment of user complaints, and attending to claims.
- (2) The Central Government may specify restrictions on the use of miscellaneous telecommunication services in areas falling near the international borders of the territory of India, the Line of Control, the Line of Actual Control of India, or any other areas as may be specified by the Central Government:
Provided that in such restricted areas, the Central Government may allow the use of miscellaneous telecommunication services to specified users and the authorised entity shall facilitate the same based on directions from the Central Government.
- (3) An authorised entity shall ensure continuity of the telecommunication services that it is offering to its users unless the authorisation is expired, revoked, suspended or curtailed, to the extent of such curtailment, by the Central Government.
- (4) Any dispute with regard to the provision of telecommunication service shall be a matter only between the user and an authorised entity and an authorised entity shall duly notify this to the user before providing the telecommunication service, and the Central Government shall not bear any liability or responsibility in the matter.
- (5) An authorised entity shall indemnify the Central Government against all claims, costs, charges or damages arising from any claims from users for any reason whatsoever.
- (6) An authorised entity shall, while obtaining any telecommunication resource from another authorised entity, satisfy itself that such authorised entity is eligible to provide such telecommunication resource.

30. Relaxations and exemptions

- (1) Where an authorised entity provides some, but not all, telecommunication services within the scope of its authorisation, it may apply to the Central Government, with justification, for appropriate exemptions or relaxations from the applicability of specified rules.
- (2) The Central Government may, after consideration of the application received under sub-rule (1), communicate to the authorised entity such exemptions or relaxations from such rules as it may determine are not applicable to the relevant telecommunication services specified in such application.

31. Right to inspect and undertake assessments

- (1) The Central Government may, for the purposes of monitoring compliance with these rules, after issuing a reasonable notice to an authorised entity in this regard:
 - (a) access and inspect the sites where telecommunication equipment and telecommunication network are established for provision of telecommunication service, including within a user's premises;
 - (b) audit processes or systems established by the authorised entity for compliance of these rules:
Provided that, no notice shall be required to be provided to an authorised entity if the Central Government considers that immediate action is necessary or expedient in public interest.
Provided further that the Central Government, may appoint an external agency to audit processes or systems established by the authorised entity for compliance of these rules.
- (2) An authorised entity shall provide the necessary facilities and support to facilitate the audit and inspection as required under sub-rule (1).

32. Confidentiality of information

- (1) An authorised entity shall, prior to commencement of telecommunication service, confirm in writing to the Central Government that the authorised entity has taken all necessary steps to ensure compliance with all applicable laws and policy to protect data privacy and confidentiality of user information, including by its employees and consultants.
- (2) An authorised entity shall not share any information relating to its telecommunication network with any other person except with the prior written approval of the Central Government:
Provided that no such approval shall be required for providing such details of the telecommunication network, as may be required by its telecommunication equipment suppliers.

CHAPTER 5: SECURITY CONDITIONS

33. Management of an authorised entity

- (1) An authorised entity shall ensure the following:
 - (a) Majority of directors on the board of such authorised entity shall be Indian citizens;
 - (b) The chief officer in charge of telecommunication network and system administrators shall be resident Indian citizens.
 - (c) The Chief Telecommunication Security Officer shall, consistent with the Telecommunications (Telecom Cyber Security) Rules, 2024, be a resident Indian citizen.
- (2) An authorised entity shall ensure security vetting by the Ministry of Home Affairs prior to the appointment of any foreign nationals to the positions of the Chairman, Managing Director, Chief Executive Officer (CEO) or Chief Financial Officer (CFO), and such security vetting shall be continued on an annual basis for the duration of such appointment.
- (3) An authorised entity shall ensure security vetting by the Ministry of Home Affairs of the foreign nationals prior to the deployment of such persons for the establishment operation, maintenance or expansion of its telecommunication network.
- (4) An authorised entity shall apply in the form and manner as specified on the portal, for the security vetting provided in sub-rule (2) and sub-rule (3), and the decision of the Ministry of Home Affairs shall be binding on such authorised entity.

34. Enrolment of users and activation of telecommunication services

- (1) An authorised entity shall verify the identity of users before enrolling such users for provisioning of telecommunication services in compliance with notifications, orders, directions, or guidelines as may be specified by the Central Government for user identity verification.
- (2) An authorised entity shall, at the time of enrolment of a user, collect and maintain the details of information of the user in the form and manner as may be specified by the Central Government for each type of telecommunication service.
- (3) An authorised entity shall maintain an updated database of its users in the form and manner as may be specified for this purpose, and provide access to such database to the Central Government or the relevant authorised agency.
- (4) An authorised entity shall provide, the traceable identity of each user pursuant to directions in this regard, to the Central Government or the relevant authorised agency.

35. Data to be located in India

An authorised entity shall not transfer the user information to any person or place outside India:

Provided that this shall not restrict any financial disclosure relating to accounting information of a user, as may be required under these rules or under applicable law.

36. Maintenance of records

An authorised entity shall maintain and provide all commercial records, Subscriber Data Record (SDR), Call Data Record (CDR) by any name referred, including Call Detail Record, Exchange Detail Record (EDR), IP Detail Record or IP Data Record (IPDR) and any other similar records for all types of telecommunication services, in the manner as may be specified by the Central Government.

37. Securing information transacted through telecommunication network

- (1) An authorised entity shall take adequate and timely measures to ensure that the information communicated through the telecommunication network by the users is secure and protected.
- (2) An authorised entity shall ensure privacy of messages communicated through its telecommunication network and that unauthorised interception of messages does not take place:

Provided that, when an authorised entity provides records of messages and other data from its telecommunication network to the Central Government or authorised agencies, upon receipt of a direction in exercise of powers under the applicable law, then such records shall be provided in an intelligible format and not in an encrypted manner.

38. Prevention of use of telecommunication network for unauthorised or unlawful activities

An authorised entity shall ensure that the telecommunication network be used for providing authorised telecommunication services to bona fide users only and is not used for undertaking any activities, or commissioning any action, that is an offence under the Act, Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 or any other law for the time being in force, including laws prohibiting crimes against the State.

39. Trusted Sources and Trusted Products

- (1) For the purpose of this rule, the designated authority shall be the National Cyber Security Coordinator of the Central Government, who shall determine the categories of telecommunication equipment for which the security requirements related to trusted sources are applicable, and specify the same on its website for this purpose.
- (2) The designated authority shall specify the trusted sources along with the associated trusted products for the categories of telecommunication equipment as specified under sub-rule (1).
- (3) The designated authority may specify the procedure for inclusion of telecommunication equipment in the list of trusted sources and trusted products.
- (4) The designated authority may also specify a list of persons from whom no procurement of telecommunication equipment or associated products can be undertaken.
- (5) An authorised entity shall procure trusted products from trusted sources, as determined by the designated authority under sub-rule (2), and use or connect only such products, in its telecommunication network.
- (6) An authorised entity shall, prior to rolling out its telecommunication network, register itself on the website specified by the designated authority for this purpose, and provide relevant details relating to the telecommunication network or telecommunication equipment, as may be required by such authority.
- (7) An authorised entity shall, prior to deployment in the telecommunication network, comply with the conditions for procurement of telecommunication equipment and related products, or categories thereof, as specified by the designated authority.
- (8) An authorised entity shall, prior to the procurement of telecommunication equipment and related products, or categories thereof, for its telecommunication network or any upgradation or expansion thereof, adhere to the following process:
 - (a) If the designated authority has already determined telecommunication equipment and related products as trusted products and their corresponding trusted sources under sub-rule (2), the authorised entity shall ensure compliance with the same and submit to the designated authority and the Central Government, in the form and manner as specified for this purpose: (i) the list of telecommunication equipment and the sources from which it is planning to procure; and (ii) periodic reports of procurement of telecommunication equipment, related products and sources thereof, and the locations of deployment of the same;
 - (b) In the event clause (a) is not applicable, the authorised entity shall submit to the designated authority, the details of the telecommunication equipment and related products and their sources from which it is intending to procure the same, as per the procedure specified by the designated authority for this purpose under sub-rule (3);
 - (c) In the event the designated authority approves the telecommunication equipment and related products and their sources as submitted under clause (b) above, the authorised entity shall proceed to procure and establish the same; and
 - (d) An authorised entity shall comply with any notifications, orders, directions, or guidelines, including the guidance for enhanced supervision and effective control of telecommunication networks, as may be issued by the designated authority or the Central Government.
- (9) An authorised entity shall provide any information relating to the telecommunication equipment deployed or being deployed in its telecommunication network, as and when sought by the Central Government or the designated authority.

- (10) An authorised entity shall submit to the Central Government or the relevant authorised agency a compliance reports relating to compliance with this rule on a half-yearly basis, as on 1st January and 1st July of each year, through the portal, in the form and manner as may be specified for this purpose.
- (11) These rules shall be without prejudice to any other measure taken by the Central Government, that it may consider necessary or expedient for the purpose of national security under section 21 of the Act, which shall be binding on authorised entities.
- (12) In respect of a licensee, this rule is without prejudice to and does not override nor negate the obligation under its license relating to procurement of trusted products from trusted sources, which shall continue to apply till such time as the license migrates to an authorisation under the rules under sub-section (6) of section 3 of the Act.

Provided that, such migration to being an authorised entity shall not affect ongoing Annual Maintenance Contracts (AMC) or their updates to telecommunication equipment as may have already been inducted into its telecommunication network prior to 15th June 2021.

Provided further that, the licensee shall, on migration of its license to being an authorised entity, seek permission from the designated authority for upgradation or expansion of telecommunication network deployed prior to 15th June 2021, utilising the telecommunication equipment not specified as a trusted product.

40. Prohibition of certain activities

- (1) A telecommunication network of an authorised entity under these rules shall not be used for transmission of:
 - (a) objectionable or obscene or unauthorised message as per applicable law; and
 - (b) any other content or communication or message infringing copyright and intellectual property right in any form.
- (2) An authorised entity shall take necessary measures to prevent transmission of content or communication or message in violation of sub-rule (1), in its telecommunication network immediately upon receipt of any report, order, or direction from the Central Government, or a court order.
- (3) An authorised entity shall ensure that its telecommunication network or installation thereof, shall not become a safety or health hazard and is not in contravention of any law or policy.

41. General Security Conditions

- (1) An authorised entity shall be responsible for security of its telecommunications network and comply with any notifications, orders, directions or guidelines as may be issued by the Central Government in this regard.
- (2) An authorised entity shall provide necessary facilities as may be required by the Central Government to respond to any situations of espionage, subversive acts, sabotage or any other unlawful activity, and shall comply with notifications, orders, directions, or guidelines as may be issued by the Central Government in this regard.
- (3) An authorised entity shall ensure capability to suspend provision of telecommunication services in areas specified by the Central Government, subject to an accuracy as may be specified by the Central Government in respect of the boundary of the area so specified.
- (4) The precise delineation of geographical borders taken by an authorised entity for the purpose of defining service area of authorisation along international borders, if any, shall comply with the borders in maps provided by the Survey of India, and any modification thereof shall be subject to specific prior written approval of the Central Government in this regard.

-CHAPTER 6: SPECIFIC CONDITIONS FOR TYPES OF TELECOMMUNICATION SERVICES

42. Applicability of Chapter 6

- (1) In addition to the rules mentioned in Chapter 1 to Chapter 5, the rules mentioned in different Parts of this Chapter shall also apply to an authorised entity providing specific telecommunication services specified in the scope of the relevant Part of this Chapter.

- (2) In the event of any conflict between the provisions of Chapter 1 to Chapter 5 and Chapter 6, the provisions of Chapter 6 shall prevail.

Part A: Public Mobile Radio Trunking Service (PMRTS) Authorisation

43. Scope of Public Mobile Radio Trunking Service (PMRTS) Authorisation

- (1) The provisions of this Part A shall apply for authorised entities holding public mobile radio trunking service authorisations.
- (2) For the purpose of Part A of Chapter 6:
“Public Mobile Radio Trunking Service” or “PMRTS” means a type of telecommunication service that enables two-way land mobile communication amongst users, using a pair of radio frequencies, allocated temporarily for the duration of the call, from a designated spectrum band assigned to the PMRTS system, through a base station.
- (3) The scope of public mobile radio trunking service authorisation comprises of Public Mobile Radio Trunking Service (PMRTS).
- (4) An authorised entity holding a PMRTS authorisation may provide the telecommunication service specified under sub-rule (3) through wireless terrestrial networks.
- (5) An authorised entity holding a PMRTS authorisation, shall only provide telecommunication services under the scope of its authorisation, and not any other telecommunication service(s) which require a separate authorisation from the Central Government.

44. Fee and charges:

- (1) In this part, the terms Gross Revenue, Applicable Gross Revenue (ApGR), and Adjusted Gross Revenue (AGR) shall have the respective meanings specified below:
 - (a) “Gross Revenue” of an authorised entity shall include revenues accrued to an authorised entity by way of all operations and activities and all income from any source including on account of interest, dividend, rent, profit on sale of fixed assets and miscellaneous income, without any set-off for related items of expenses.
 - (b) “Applicable Gross Revenue” or “ApGR” for the purposes of calculating Adjusted Gross Revenue (AGR), shall be equal to Gross Revenue of an authorised entity as reduced by the items listed below:
 - (i) revenue from operations other than telecom activities or operations;
 - (ii) revenue from activities under an authorisation, permission or registration issued by Ministry of Information and Broadcasting;
 - (iii) receipts from the Digital Bharat Nidhi; and
 - (iv) revenue falling under the following items:
 - (a) income from dividend;
 - (b) income from interest;
 - (c) capital gains on account of profit on sale of fixed assets and securities;
 - (d) gains from foreign exchange rates fluctuations;
 - (e) income from property rent;
 - (f) insurance claims;
 - (g) bad debts recovered; and
 - (h) excess provisions written back.

Provided that the Central Government shall from time to time specify the description and conditions applicable to these revenue sources and the manner of their computation.

- (c) “Adjusted Gross Revenue” or “AGR” shall be equivalent to ApGr.
- (2) An authorised entity shall pay eight per cent of the AGR as an annual authorisation fee from the effective date of the authorisation:
Provided that from the second year of the effective date of the authorisation, and for each subsequent year, the authorisation fee shall be the higher of: (a) the amount specified under sub-rule (2), or (b) thirty percent of the applicable entry fee as specified in Schedule A.

Provided further that in case of renewal of an authorisation, the authorisation fee shall be subject to a minimum of thirty percent of the entry fee of the respective authorisation from the effective date of renewal.

Provided also that in case of migration of an existing license to PMRTS authorisation, the authorisation fee shall be subject to a minimum of thirty percent of the entry fee of the PMRTS authorisation from the effective date of migration.

- (3) The authorisation fee under sub-rule (2) shall be inclusive of the amount attributable to the Digital Bharat Nidhi calculated at the rate of five per cent of the AGR.
- (4) The quantum of authorisation fee or amount attributable to Digital Bharat Nidhi as specified may be varied through amendment of these rules at any time within the duration of the authorisation.

45. Schedule of Payment

- (1) The authorisation fee determined under these rules shall be payable in four quarterly instalments during each financial year commencing first of April, and fee for any duration of authorisation that is less than a quarter shall be calculated on a pro-rata basis based on actual number of days in the relevant quarter.
- (2) An authorised entity shall make payment of the quarterly instalments of the authorisation fee in the following manner:
 - (a) the quarterly instalment in respect of each of the first three quarters of a financial year shall be paid within fifteen days of completion of the relevant quarter; and
 - (b) the quarterly instalment for the last quarter shall be paid in advance by the twenty-fifth of March, calculated on the basis of expected revenue for that quarter, subject to a minimum amount equal to the authorisation fee paid for the previous quarter:

Provided that an authorised entity shall adjust and pay the difference between the advance payment made for the last quarter and the actual amount duly payable for such quarter by the fifteenth of April of the next financial year.
- (3) Payments pursuant to sub-rule (2) shall be calculated on the basis of revenue on accrual basis for the relevant quarter, and shall be accompanied, in the form and manner as may be specified on the portal, by:
 - (a) a self-certificate, signed and electronically verified by a representative of the authorised entity, who is authorised by a board resolution and general power of attorney, and (b) a statement of revenue for each authorisation signed and electronically verified by a representative of an authorised entity.
- (4) An authorised entity shall, on or before the thirtieth of June of each year:
 - (a) submit statement of revenue for all quarters of previous financial year, duly audited and signed by its statutory auditor appointed in accordance with Companies Act, 2013, in such form and manner as may be specified on the portal for this purpose; and
 - (b) make the final adjustment of the authorisation fee, including applicable interest as per sub-rule (5), for the previous financial year, based on sub-rule (2).
- (5) In the event of any delay in payment of authorisation fee or any other dues payable by an authorised entity beyond the period specified for such payment, the authorised entity shall also be liable to pay interest calculated at the rate of one-year marginal cost of funds based lending rate (MCLR) of State Bank of India as existing at the beginning of the relevant financial year, namely first of April, plus two per cent compounded annually:

Provided that any part of a month shall be construed as a full month for the purpose of calculation of interest.
- (6) An authorised entity shall submit a reconciliation statement between the figures appearing in the submitted quarterly statements under sub-rule (3) with those appearing in annual accounts, duly audited and signed by its statutory auditor appointed in accordance with Companies Act, 2013, along with a copy of the published annual accounts and audit report within seven days of the date of signing of the audit report or within the timeline provided under Companies Act, 2013 for filing of annual financial statements, whichever is earlier.

Provided that the annual financial statements, the statement of revenue, and the reconciliation statement as mentioned above shall be prepared following the norms as specified for this purpose by the Central Government.
- (7) All sums of money becoming due and payable under these rules shall be paid by an authorised entity, in the manner as may be specified, on the portal.

46. Guarantee requirements for authorisation

- (1) An authorised entity shall, for the purpose specified in sub-rule (2), submit a guarantee, in the form and manner, as may be specified on the portal, of any of the following types:
 - (a) a bank guarantee from any scheduled bank or public financial institution;
 - (b) an insurance surety bond, issued by an insurance company, in accordance with the applicable rules and guidelines issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India; or
 - (c) non-interest-bearing security deposit with the Central Government.
- (2) The purpose of the guarantee as specified in sub-rule (1) is to provide security for due compliance of all the terms and conditions of the authorisation including but not limited to payment of authorisation fee, penalty imposed for contravention or breach of any of the terms and conditions of the authorisation or non-compliance of notifications, orders, directions, or guidelines issued by the Central Government from time to time, and any other dues payable under the authorisation.
- (3) The guarantee submitted under sub-rule (1) shall be subject to periodic annual review by the Central Government and an authorised entity shall maintain a valid guarantee for the duration of authorisation, or until all dues under the authorisation are cleared, whichever is later:

Provided that the initial guarantee submitted pursuant to the letter of intent shall be for the amount as specified in respect of such authorisation in Schedule A, and for the subsequent years of authorisation, for an amount determined by the Central Government, based on the higher of: (a) the amount of initial guarantee, and (b) twenty per cent of combined estimated sum, calculated in accordance with the procedure specified for this purpose on the portal, of the following:

 - (i) authorisation fee for two quarters; and
 - (ii) any other dues that are not otherwise secured.
- (4) An authorised entity shall extend the validity period of such guarantee at least one month prior to the date of its expiry, without any demand or notice from the Central Government.
- (5) Any failure to maintain a valid guarantee at any time during the duration of the authorisation, or until all dues under the authorisation are cleared, whichever is later, shall entitle the Central Government to encash the bank guarantee, claim the insurance surety bond, or appropriate the security deposit, as the case may be, without any notice to the authorised entity:

Provided that no interest or compensation shall be payable by the Central Government on encashment, claim or appropriation of such guarantee.
- (6) When the guarantee has been encashed, claimed or appropriated, fully or partially, an authorised entity on such occasions shall restore such encashed, claimed or appropriated guarantee, as the case may be, to the full amount within fifteen days of such encashment, claim or appropriation.

Provided that the Central Government may, upon receipt of a written request from the authorised entity before the expiry of the period **specified in sub-rule (6)**, allow a one-time extension not exceeding ten days, for such restoration, subject to reasons being recorded in writing.
- (7) Without prejudice to its rights or any other remedy, including those under the Telecommunications (Adjudication and Appeal) Rules, 2025, the Central Government may encash, claim or appropriate the guarantee in the following cases:
 - (a) non-payment of authorisation fee, or any other dues payable under the authorisation or assignment;
 - (b) non-payment of dues arising out of penalties imposed by the Central Government; or
 - (c) breach of any other term or condition of authorisation or assignment.
- (8) On revocation, surrender, or expiry of the authorisation, the relevant guarantee shall be released to an authorised entity only after ensuring clearance of all dues, which an authorised entity is liable to pay to the Central Government:

Provided that in case of failure to pay the amounts due to the Central Government, the outstanding amounts shall be realized through encashment, claim or appropriation of the guarantee without prejudice to any other actions for recovery of the amounts due to the Central Government, without any further communication to such authorised entity.

47. Assessment of authorisation fee

- (1) The Central Government may carry out the assessment of authorisation fees, and any other charges due to the Central Government under these rules, in accordance with the procedure specified for this purpose.

Explanation: For the purposes of this rule, the term “assessment” shall include reassessment and recomputation.

- (2) Where an authorised entity holds an authorisation for any other telecommunication service or telecommunication network, or for the same telecommunication service in a different service area, it shall maintain and furnish separate statement of computation of authorisation fee for each authorisation and comply with notifications, orders, directions, or guidelines issued by the Central Government, as well as orders, directions, guidelines, or regulations as may be issued by the TRAI, for this purpose.
- (3) An authorised entity shall also prepare and furnish the annual accounts in accordance with the accounting norms and principles notified, and directions as may be specified by the Central Government or TRAI for this purpose.
- (4) An authorised entity, in respect of each authorisation, shall:
- (a) compile and maintain accounting records, that are sufficient to show and explain its transactions in respect of each completed quarter during the duration of the authorisation or of such lesser periods as the Central Government may specify, fairly presenting the costs, including capital costs, revenue, and financial position of an authorised entity's business under the authorisation including a reasonable evaluation of the assets employed in and the liabilities attributable to an authorised entity's business for the quantification of revenue or any other purpose;
 - (b) separately pay charges for telecommunication network obtained by an authorised entity from other authorised entities, which shall be governed by mutual agreements with such entities and regulations of TRAI, where applicable;
 - (c) ensure that bilateral settlement of accounts with other authorised entities shall be conducted through normal banking channels in a transparent manner; and
 - (d) furnish to the Central Government details of the mechanism for the settlement of accounts with other authorised entities, and charges for usage of network and facilities, as well as details of the actual settlements.
- (5) An authorised entity shall maintain and preserve billing and other accounting records of a financial year, in electronic as well as hard copy, for a period of at least six years from the date of publishing of duly audited and approved accounts of an authorised entity:
Provided that, if the authorisation fee or any other charges for any period are under dispute, the said records shall be retained until the dispute is resolved, even if the period extends beyond the six-year period specified above.
- (6) The Central Government or the TRAI may, at any time, direct an authorised entity to supply information or provide access to the books of annual accounts that such authorised entity maintains in respect of the provision of telecommunication services under the terms of its authorisation, and such authorised entity shall forthwith comply with such direction.
- (7) The records of an authorised entity shall be subject to such scrutiny as may be determined by the Central Government, with a view to facilitating independent verification of the amounts due to the Central Government, including authorisation fees, and any other charges.
- (8) The Central Government may, on forming an opinion that the statements of revenue or annual accounts submitted by an authorised entity are inaccurate or misleading, order audit of the accounts of an authorised entity by appointing one or more auditors, who shall have the same powers which the statutory auditors of the company have under section 143 of the Companies Act, 2013, and the remuneration of such auditors, as determined by the Central Government, shall be payable by an authorised entity.
- (9) Without prejudice to sub-rule (8), the Central Government may, at any time, appoint an auditor having the same powers which the statutory auditors of the company have under section 143 of the Companies Act, 2013, to undertake special audit of an authorised entity's accounts and records, and the remuneration of such auditors, as determined by the Central Government, shall be payable by such authorised entity.
- (10) If an authorised entity fails to submit the annual accounts, audit report and other required documents under sub-rule (4) and (6) of rule 45 within nine months from the end of relevant financial year, the Central Government, after reviewing all available documents and information and relevant materials, may carry out the assessment of authorisation fee, on best judgement basis.
Provided that, before proceeding with such an assessment, the Central Government shall issue a notice to an authorised entity providing it an opportunity of being heard.
- (11) No assessment under this rule shall be carried out for a relevant financial year after a period of four years from the end of such financial year except as provided under sub-rule (12).

- (12) The Central Government may carry out an assessment after the lapse of four years from the end of the relevant financial year, and up to six years from the end of such financial year, if it is of the opinion that the amount that has escaped assessment is likely to be equivalent to an amount of fifty lakh rupees or more for such financial year.
- (13) For the purposes of computing the period of limitation as specified under sub-rule (11) and sub-rule (12), any stay on such assessment pursuant to an order or injunction of any court, shall be excluded.
- (14) Notwithstanding anything contained in sub-rule (11) and sub-rule (12), assessment of authorisation fee may be carried out at any time pursuant to any finding or direction contained in an order passed by a court of competent jurisdiction.
- (15) The Central Government may, in order to ensure proper and accurate assessment, verification and settlement of authorisation fee and any other charges paid, issue appropriate directions to authorised entities, in respect of all or any telecommunication services, in relation to accounts and audit of authorised entities, and an authorised entity shall comply with such directions.

48. Technical and operating conditions

- (1) An authorised entity shall not interconnect its PMRTS system with the PMRTS system of any other authorised entity.
- (2) An authorised entity may establish connectivity amongst its PMRTS base stations within the service area.
- (3) An authorised entity shall ensure that once a user is assigned a pair of radio frequencies by the PMRTS system for the purpose telecommunication, there shall be no interference with such telecommunication.
- (4) An authorised entity may establish connectivity with PSTN or PLMN, subject to the following conditions:
 - (a) PSTN or PLMN connectivity (outgoing only) shall be limited to one PSTN or PLMN line for five radio frequency channels, of 25 KHz each, for analogue system from only one authorised entity having authorisation to provide access service in the service area.
 - (b) PSTN or PLMN connectivity (outgoing only) shall be limited to one E-1 link (30 circuits) or SIP link for digital system up to 10,000 users and thereafter, one additional E-1 link (30 circuits) or SIP for each additional 10,000 users or part thereof, only with one authorised entity having authorisation to provide access service.
 - (c) Incoming PSTN or PLMN connectivity is prohibited.
- (5) The authorised entity may, after obtaining the prior written approval of the Central Government, pursuant to an application made in the form and manner as specified for this purpose, shift the location of the base station from one location to another within the geographical area for which spectrum has been assigned:
Provided that the radio coverage resulting from such shifting of location of the base station, shall remain within the geographical area for which spectrum has been assigned.
- (6) The authorised entity may install additional base station(s) within the geographical area for which spectrum has been assigned, after obtaining the prior written approval of the Central Government, by making an application in the form and manner as specified for this purpose in respect of:
 - (a) additional block(s) of frequencies for the new base station(s); or
 - (b) use of assigned frequencies within such geographical area, at the new base station(s) by way of partial shifting of a few frequency carriers out of the pool of assigned frequencies:
Provided that the radio coverage resulting from the installation of the additional base station, shall remain within the geographical area for which spectrum has been assigned.
- (7) The authorised entity may replace its radio equipment and user terminals, after obtaining the prior written approval of the Central Government, pursuant to an application made in the form and manner, along with submission of relevant documents as may be specified for this purpose.
- (8) The authorised entity shall ensure that the user terminal is operated in accordance with the terms and conditions of the authorisation, and relevant notifications, orders, directions or guidelines, as may be specified by the Central Government for this purpose.
- (9) An authorised entity may undertake the sale, hire, purchase, lease or rent of user terminals, and the users shall be given the option to obtain the user terminal from any source that meets the standards notified under section 19 of the Act by the Central Government.

49. Roll Out Conditions

- (1) The authorised entity shall roll out the telecommunication network in any city or town for which spectrum has been assigned by the Central Government, within twelve months from the date of such assignment.
- (2) The roll out of the telecommunication network shall mean installation and commissioning of the PMRTS system, including commissioning of at least one base station in the city or town for which spectrum has been assigned.
- (3) The authorised entity shall register with the Central Government, in the form and manner as may be specified, for verification of the commissioning of the PMRTS system.
- (4) On successful verification under sub-rule (3), the date of registration with the Central Government shall be treated as the date of compliance of the rollout obligations.
- (5) In case of failure upon verification of the roll out of the telecommunication network under sub-rule (2), the authorised entity shall re-register, after necessary corrections, and in such cases, the date of re-registration with the Central Government, on successful verification, shall be treated as the date of compliance of the roll out obligation.
- (6) Any failure to comply with the rollout obligations shall be treated as breach of the terms and conditions of the authorisation and shall be dealt as per the Telecommunications (Adjudication and Appeal) Rules, 2025. *Provided that* if the rollout obligations are complied with within thirty days of the expiry of the due date for complying with such obligations, the Central Government shall consider the same as fulfilment of rollout obligation, without treating it as breach of terms and conditions of the authorisation.
- (7) In case of failure to comply with the rollout obligations, in addition to imposition of civil penalty as per the Telecommunications (Adjudication and Appeal) Rules, 2025, the spectrum assignment for PMRTS, may be withdrawn in accordance with sub-section (2) of section 7 of the Act.

50. Security conditions

- (1) An authorised entity shall make arrangements for provisioning of monitoring facilities in accordance with the notification, orders, directions, or guidelines specified for this purpose by the Central Government or authorised agencies.
- (2) An authorised entity shall inform the users that the users shall be responsible for proper and bona fide use of the telecommunication service.

Part B: Enterprise Communication Service Authorisation

51. Scope of Enterprise Communication Service Authorisation

- (1) The provisions of this Part B shall apply to authorised entities holding enterprise communication service authorisation.
- (2) For the purpose of Part B of Chapter 6:
 - (a) “audio conferencing service” means a telecommunication service that allows multiple users to join a single audio conference and interact at the same time by providing real-time transmission of voice amongst such users;
 - (b) “audiotex service” means a telecommunication service that is either an interactive or a non-interactive, non-real time, telecommunication service which provides to users, through standardized procedures, capability to communicate with an audiotex database via telecommunication network;
 - (c) “cloud based EPABX service” means providing EPABX-as-a-Service or Communications Platform-as-a-Service (CPaaS) to users; and
 - (d) “voice mail service” means a telecommunication service providing access of voice mailbox attached to a unique telecommunication identifier to a user.
- (3) The scope of enterprise communication service authorisation comprises of the following telecommunication services provided to users on commercial basis:
 - (a) audio conferencing service;
 - (b) audiotex service;
 - (c) cloud-based EPABX service; and
 - (d) voice mail service.

- (4) An authorised entity holding an enterprise communication service authorisation, shall only provide telecommunication services authorised under the scope of its authorisation, and not any other telecommunication services which may require a separate authorisation from the Central Government.

52. Fee and charges

- (1) In this part, the terms Gross Revenue, Applicable Gross Revenue (ApGR), and Adjusted Gross Revenue (AGR) shall have the respective meanings specified below:
- (a) “Gross Revenue” of an authorised entity shall include revenues accrued to an authorised entity by way of all operations and activities and all income from any source including on account of interest, dividend, rent, profit on sale of fixed assets and miscellaneous income, without any set-off for related items of expenses.
 - (b) “Applicable Gross Revenue” or “ApGR” for the purposes of calculating Adjusted Gross Revenue (AGR), shall be equal to Gross Revenue of an authorised entity as reduced by the items listed below:
 - (i) revenue from operations other than telecom activities or operations;
 - (ii) revenue from activities under an authorisation, permission or registration issued by Ministry of Information and Broadcasting;
 - (iii) receipts from the Digital Bharat Nidhi; and
 - (iv) revenue falling under the following items:
 - (a) income from dividend;
 - (b) income from interest;
 - (c) capital gains on account of profit on sale of fixed assets and securities;
 - (d) gains from foreign exchange rates fluctuations;
 - (e) income from property rent;
 - (f) insurance claims;
 - (g) bad debts recovered; and
 - (h) excess provisions written back.

Provided that the Central Government shall from time to time specify the description and conditions applicable to these revenue sources and the manner of their computation.

- (c) Adjusted Gross Revenue or “AGR” shall be calculated by excluding from the ApGR, PSTN, PLMN or GMPCS related call charges, actually paid to other authorised entities or licensees.
- (2) An authorised entity shall pay eight per cent of the AGR as an annual authorisation fee from the effective date of the authorisation:
Provided that from the second year of the effective date of the authorisation, and for each subsequent year, the authorisation fee shall be the higher of: (a) the amount specified under sub-rule (2), or (b) one lakh rupees.
Provided further that in case of renewal of an authorisation, the authorisation fee shall be subject to a minimum of one lakh rupees from the effective date of renewal.
Provided also that in case of migration of an existing license to Enterprise Communication Service authorisation, the authorisation fee shall be subject to a minimum of one lakh rupees from the effective date of migration.
- (3) The authorisation fee under sub-rule (2) shall be inclusive of the amount attributable to the Digital Bharat Nidhi calculated at the rate of five per cent of the AGR.
- (4) The quantum of authorisation fee or amount attributable to Digital Bharat Nidhi as specified may be varied through amendment of these rules at any time within the duration of the authorisation.

53. Schedule of Payment

- (1) The authorisation fee determined under these rules shall be payable in four quarterly instalments during each financial year commencing first of April and, and fee for any duration of authorisation that is less than a quarter shall be calculated on a pro-rata basis based on actual number of days in the relevant quarter.
- (2) An authorised entity shall make payment of the quarterly instalments of the authorisation fee in the following manner:
 - (a) the quarterly instalment in respect of each of the first three quarters of a financial year shall be paid within fifteen days of completion of the relevant quarter; and

- (b) the quarterly instalment for the last quarter shall be paid in advance by the twenty-fifth of March, calculated on the basis of expected revenue for that quarter, subject to a minimum amount equal to the authorisation fee paid for the previous quarter:
- Provided that* an authorised entity shall adjust and pay the difference between the advance payment made for the last quarter and the actual amount duly payable for such quarter by the fifteenth of April of next financial year.
- (3) Payments pursuant to sub-rule (2) shall be calculated on the basis of revenue on accrual basis for the relevant quarter, and shall be accompanied, in the form and manner as may be specified on the portal, by:
- (a) a self-certificate, signed and electronically verified by a representative of an authorised entity, who is authorised by a board resolution and general power of attorney, and (b) a statement of revenue for each authorisation signed and electronically verified by a representative of an authorised entity.
- (4) An authorised entity shall, on or before the thirtieth of June of each year:
- (a) submit statement of revenue for all quarters of previous financial year, duly audited and signed by its statutory auditor appointed in accordance with Companies Act, 2013, in such form and manner as may be specified on the portal for this purpose; and
 - (b) make the final adjustment of the authorisation fee, including applicable interest as per sub-rule (5), for the previous financial year, based on sub-rule (2), as applicable.
- (5) In the event of any delay in payment of authorisation fee or any other dues payable by an authorised entity beyond the period specified for such payment, the authorised entity shall also be liable to pay interest calculated at the rate of one-year marginal cost of funds based lending rate (MCLR) of State Bank of India as existing at the beginning of the relevant financial year, namely first of April, plus two per cent compounded annually:
- Provided that* any part of a month shall be construed as a full month for the purpose of calculation of interest.
- (6) An authorised entity shall submit a reconciliation statement between the figures appearing in the submitted quarterly statements under sub-rule (3) with those appearing in annual accounts, duly audited and signed by its statutory auditor appointed in accordance with Companies Act, 2013, along with a copy of the published annual accounts and audit report within seven days of the date of signing of the audit report or within the timeline provided under Companies Act, 2013 for filing of annual financial statements, whichever is earlier:
- Provided that* the annual financial statements, the statement of revenue, and the reconciliation statement as mentioned above shall be prepared following the norms as specified for this purpose by the Central Government.
- (7) All sums of money becoming due and payable under these rules shall be paid by an authorised entity, in the manner as may be specified, on the portal.

54. Guarantee requirements for authorisation

- (1) An authorised entity shall for the purpose specified in sub-rule (2), submit a guarantee in the form and manner, as may be specified on the portal, of any of the following types:
- (a) a bank guarantee from any scheduled bank or public financial institution,
 - (b) an insurance surety bond, issued by an insurance company, in accordance with the applicable rules and guidelines issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India, or
 - (c) non-interest-bearing security deposit with the Central Government.
- (2) The purpose of such guarantee as specified in sub-rule (1) is to provide security for due compliance of all the terms and conditions of the authorisation including but not limited to payment of authorisation fee, penalty imposed for contravention or breach of any of the terms and conditions of the authorisation or non-compliance of notifications, orders, directions, or guidelines issued by the Central Government from time to time, and any other dues payable under the authorisation.
- (3) The guarantee shall be subject to periodic annual review by the Central Government and an authorised entity shall maintain a valid guarantee for the duration of authorisation, or until all dues under the authorisation are cleared, whichever is later:
- Provided that* the initial guarantee submitted pursuant to the letter of intent shall be for the amount as specified in respect of such authorisation in Schedule A, and for the subsequent years of authorisation, for

an amount determined by the Central Government, based on the higher of: (a) the amount of initial guarantee, and (b) twenty per cent of combined estimated sum, calculated in accordance with the procedure specified for this purpose on the portal, of the following:

- (i) authorisation fee for two quarters; and
- (ii) any other dues that are not otherwise secured.

(4) An authorised entity shall extend the validity period of such guarantee at least one month prior to the date of its expiry, without any demand or notice from the Central Government.

(5) Any failure to maintain a valid guarantee at any time during the duration of the authorisation, or until all dues under the authorisation are cleared, whichever is later, shall entitle the Central Government to encash the bank guarantee, claim an insurance surety bond, or appropriate the security deposit, as the case may be, without any notice to an authorised entity:

Provided that no interest or compensation shall be payable by the Central Government on encashment, claim or appropriation of such guarantee.

(6) When the guarantee has been encashed, claimed or appropriated, fully or partially, an authorised entity on such occasions shall restore such encashed, claimed or appropriated guarantee, as the case may be, to the full amount within fifteen days of such encashment, claim or appropriation:

Provided that the Central Government may, upon receipt of a written request from the authorised entity before the expiry of the period **specified in sub-rule (6)**, allow a one-time extension not exceeding ten days, for such restoration, subject to reasons being recorded in writing.

(7) Without prejudice to its rights or any other remedy, including those under the Telecommunications (Adjudication and Appeal) Rules, 2025, the Central Government may encash, claim or appropriate the guarantee in the following cases:

- (a) non-payment of authorisation fee, or any other dues payable under the authorisation or assignment;
- (b) non-payment of dues arising out of penalties imposed by the Central Government; or
- (c) breach of any other term or condition of authorisation or assignment.

(8) On revocation, surrender, or expiry of the authorisation, the relevant guarantee shall be released to an authorised entity only after ensuring clearance of all dues, which an authorised entity is liable to pay to the Central Government:

Provided that in case of failure to pay the amounts due to the Central Government, the outstanding amounts shall be realized through encashment, claim or appropriation of the guarantee without prejudice to any other actions for recovery of the amounts due to the Central Government, without any further communication to such authorised entity.

55. Assessment of authorisation fee

(1) The Central Government may carry out the assessment of authorisation fees, and any other charges due to the Central Government under these rules, in accordance with the procedure specified for this purpose.

Explanation: For the purposes of this rule, the term “assessment” shall include reassessment and recomputation.

(2) An authorised entity shall submit relevant documents in support of the amount excluded from ApGR to arrive at AGR in the form and manner, as specified on the portal.

(3) Where an authorised entity holds an authorisation for any other telecommunication service or telecommunication network, or for the same telecommunication service in a different service area, it shall maintain and furnish separate annual accounts for each authorisation and comply with notifications, orders, directions or guidelines issued by the Central Government, as well as any order, direction, guidelines or regulation as may be issued by the TRAI, for this purpose.

(4) An authorised entity shall also prepare and furnish the annual accounts in accordance with the accounting norms and principles notified, and directions as may be specified by the Central Government or TRAI for this purpose.

(5) An authorised entity, in respect of each authorisation, shall:

- (a) compile and maintain accounting records, that are sufficient to show and explain its transactions in respect of each completed quarter during the duration of the authorisation or of such lesser periods as the Central Government may specify, fairly presenting the costs, including capital costs, revenue, and financial position of an authorised entity’s business under the authorisation including a reasonable

- evaluation of the assets employed in and the liabilities attributable to an authorised entity's business for the quantification of revenue or any other purpose;
- (b) pay the actual PSTN, PLMN or GMPCS related call charges to other authorised entities or licensees;
 - (c) separately pay charges for telecommunication network obtained by an authorised entity from other authorised entities, which shall be governed by mutual agreements with such entities and regulations of TRAI, where applicable;
 - (d) ensure that bilateral settlement of accounts with other authorised entities shall be conducted through normal banking channels in a transparent manner; and
 - (e) furnish to the Central Government details of the mechanism for the settlement of accounts with other authorised entities, and charges for usage of network and facilities as well as details of the actual settlements.
- (6) An authorised entity shall maintain and preserve billing and other accounting records of a financial year, in electronic as well as hard copy, for a period of at least six years from the date of publishing of duly audited and approved accounts of an authorised entity.
- Provided that*, if the authorisation fee, or any other charges for any period are under dispute, the said records shall be retained until the dispute is resolved, even if the period extends beyond the six-year period specified above.
- (7) The Central Government or the TRAI may, at any time, direct an authorised entity to supply information or provide access to the books of annual accounts that such authorised entity maintains in respect of the provision of telecommunication services under the terms of its authorisation, and such authorised entity shall forthwith comply with such direction.
- (8) The records of an authorised entity shall be subject to such scrutiny as may be determined by the Central Government, with a view to facilitating independent verification of the amounts due to the Central Government, including authorisation fees, and any other charges.
- (9) The Central Government may, on forming an opinion that the statements of revenue or annual accounts submitted by an authorised entity are inaccurate or misleading, order audit of the accounts of an authorised entity by appointing one or more auditors, who shall have the same powers which the statutory auditors of the company have under section 143 of the Companies Act, 2013, and the remuneration of such auditors, as determined by the Central Government, shall be payable by an authorised entity.
- (10) Without prejudice to sub-rule (9), the Central Government may, at any time, appoint an auditor having the same powers which the statutory auditors of the company have under section 143 of the Companies Act, 2013, to undertake special audit of an authorised entity's accounts and records, and the remuneration of such auditors, as determined by the Central Government, shall be payable by such authorised entity.
- (11) If an authorised entity fails to submit the annual accounts, audit report and other required documents under sub-rule (4) and (6) of rule 53 within nine months from the end of relevant financial year, the Central Government, after reviewing all available documents and information and relevant materials, may carry out the assessment of authorisation fee, on best judgement basis.
- Provided that*, before proceeding with such an assessment, the Central Government shall issue a notice to an authorised entity providing it an opportunity of being heard.
- (12) No assessment under this rule shall be carried out for a relevant financial year after a period of four years from the end of such financial year except as provided under sub-rule (13).
- (13) The Central Government may carry out an assessment after the lapse of four years from the end of the relevant financial year, and up to six years from the end of such financial year, if it is of the opinion that the amount that has escaped assessment is likely to be equivalent to an amount of fifty lakh rupees or more for such financial year.
- (14) For the purposes of computing the period of limitation as specified under sub-rule (12) and sub-rule (13), any stay on such assessment pursuant to an order or injunction of any court, shall be excluded.
- (15) Notwithstanding anything contained in sub-rule (12) and sub-rule (13), assessment of authorisation fee may be carried out at any time pursuant to any finding or direction contained in an order passed by a court of competent jurisdiction.
- (16) The Central Government may, in order to ensure proper and accurate assessment, verification and settlement of authorisation fee, and any other charges paid, issue appropriate directions to authorised

entities, in respect of all or any telecommunication services, in relation to accounts and audit of authorised entities, and an authorised entity shall comply with such directions.

56. Technical and operating conditions

- (1) The authorised entity providing cloud-based EPABX service shall ensure that there is logical partitioning between the components of the platform handling telecommunication resources of different users.
- (2) An authorised entity providing cloud-based EPABX service shall ensure that connectivity between the user and the cloud-based EPABX is established through the authorised internet connectivity.
- (3) An authorised entity may enter into mutual agreements for obtaining any telecommunication resources from any other authorised entity, which is eligible to provide such telecommunication resource.
- (4) An authorised entity providing audio conferencing service, shall ensure that the audio conferencing system is connected to the telecommunication network of the authorised entities providing access services like PSTN, ISDN, PLMN, GMPCS or internet telephony network by using a combination of appropriate interface as per the relevant standards, including those notified under section 19 of the Act.
- (5) An authorised entity shall not allow any illegal bypass of telecommunication traffic including national or international long distance traffic.
Illustration: In case of audio-conferencing service, dial out facility using telecommunication resources of more than one authorised entity providing access service may be used with the condition that STD or ISD traffic is not bypassed.
- (6) An authorised entity shall ensure that calls originating from PSTN, PLMN, GMPCS, or internet telephony networks are not interconnected with those from private networks by audio conferencing system of such authorised entity.
- (7) An authorised entity shall:
 - (a) enable a user to retrieve the information at any time by interacting with the audiotex service system through its phone; and
 - (b) ensure that the information stored in audiotex equipment can be disseminated to the user on his user terminal.
- (8) An authorised entity providing audiotex service shall ensure that dial-out is only permitted when a caller has made incoming calls to audiotex service system.
- (9) An authorised entity shall ensure that a voice mail service user may leave his voice message in voice mailbox by dialling voice mail box number or retrieve a voice message from his voice mailbox through an authorised telecommunication network using a combination of store and retrieve techniques.
- (10) An authorised entity providing audio conferencing service shall not provide point-to-point conferencing services:
Provided that point-to-point conferencing services may be provided to enterprises registered in India subject to the following conditions:
 - (a) calls shall originate and terminate within India;
 - (b) complete routing and switching of audio-conferencing calls shall remain within India; and
 - (c) telephone number resources used shall come from authorised entities providing telecommunication services in India.

57. Security conditions

- (1) An authorised entity providing cloud-based EPABX service shall maintain a complete log and record of the logical partitioning, for a minimum period of two years, and provide such records to the Central Government or authorised agencies, upon a direction being issued by the Central Government, in this regard.
- (2) An authorised entity shall ensure that:
 - (a) transport of voice mail messages to other locations and subsequent retrieval by the user is on a non-real time basis; and
 - (b) there is no dialling out for delivery of the message to the recipient.
- (3) An authorised entity shall keep a record of the information including the name, address, and telecommunication identifier of the users of each enterprise communication service, for a minimum period of one year.

- (4) An authorised entity providing audio conferencing service shall provide detailed information about the conference calls including the parties in conference, date, time, duration of the conference, to the Central Government or authorised agencies, upon a direction being issued by the Central Government, in this regard.

Part C: Machine to Machine (M2M) Service Authorisation

58. Scope of Machine to Machine (M2M) Service Authorisation

- (1) The provisions of this Part C shall apply to authorised entities holding Machine to Machine (M2M) service authorisation.
- (2) The scope of Machine to Machine (M2M) service authorisation comprises of the following:
 - (a) Machine to Machine (M2M) service;
 - (b) Establish, operate, maintain or expand Wireless Personal Area Network (WPAN) or Wireless Local Area Network (WLAN) using spectrum exempted from the requirement of assignment under sub-section (6) or sub-section (7) of section 4 of the Act; and
 - (c) Own and manage a platform for subscription profile management of M2M e-SIM.
- (3) An authorised entity holding a M2M service authorisation, shall only provide telecommunication services authorised under the scope of its authorisation, and not any other telecommunication service(s) which may require a separate authorisation from the Central Government.

59. Fee and charges

There shall be no authorisation fee to be paid by the authorised entity.

60. Technical and operating conditions

- (1) An authorised entity, that is a company incorporated under the Companies Act, and intending to own and manage a platform for subscription profile management of M2M e-SIM, shall apply to the Central Government for prior approval, in the form and manner, and subject to payment of such fees, as specified on the portal.
- (2) The Central Government shall endeavour, to the extent reasonably practicable, to decide on an application received under sub-rule (1) within a period of sixty days of receipt of such application.
Provided that any decision rejecting the application shall be accompanied by reasons to be specified in writing.
- (3) An authorised entity may provide Machine to Machine (M2M) service using telecommunication resources obtained from any other authorised entities.
- (4) An authorised entity shall, while providing M2M service using Wireless Personal Area Network (WPAN) or Wireless Local Area Network (WLAN), connect such network with the telecommunication network of an authorised entity for backhaul connectivity.
- (5) An authorised entity shall comply with the notifications, orders, directions or guidelines as may be issued for provisioning of M2M services, including on roaming of foreign M2M SIM in India, by the Central Government.
- (6) An authorised entity shall adhere to the notifications, orders, directions or guidelines regarding usage and management of M2M e-SIM, including those related to SM-DP, SM-SR roles, as may be issued by the Central Government from time to time.

- (7) An authorised entity shall, for subscription profile management of M2M e-SIM, comply with the standards and conformity assessment measures, including the standards for security of SM-DP and SM-SR, as may be notified by the Central Government under section 19 of the Act.
- (8) An authorised entity shall ensure that devices having M2M SIM inside, the packaging, instructions, and supporting leaflet include the instruction that “This device is having M2M subscription inside”.

61. Security conditions

- (1) An authorised entity shall ensure that the data logs, event logs, and system logs are not tampered with and preserved for a minimum period of one year, and the same shall be provided for inspection as may be required by the Central Government or the relevant authorised agency.
- (2) An authorised entity shall ensure that M2M devices use only genuine telecommunication identifiers for identification of such devices, and it shall comply to the rules as may be notified under sub-section (8) and sub-section (9) of section 3 of the Act and instructions of the central government as may be specified on the portal.
- (3) An authorised entity shall ensure that M2M devices are identifiable and traceable, based on different types of telecommunication identifiers, as may be specified by the Central Government in the authorised entity's telecommunication network.
- (4) An authorised entity shall adhere to the notifications, orders, directions or guidelines regarding the implementation of restrictive features on M2M SIM as may be specified by the Central Government.
- (5) An authorised entity shall comply to the notifications, orders, directions or guidelines on securing M2M enabled devices as may be specified by the Central Government.

Part D: PM-WANI service authorisation

62. Scope of PM-WANI service authorisation

- (1) For the purpose of Part D of Chapter 6:
 - (a) “app provider” means a person that develop an application to register user(s) and discover PM-WANI complaint Wi-Fi hotspots in the nearby area and display the same within the application for accessing the internet service;
 - (b) “central registry” means the registry maintained by the Central Government, or a person approved by the Central Government, containing information about the PDOs, PDOAs, and App Providers, in accordance with standards and specifications as specified by the Central Government;
 - (c) “public data office” or “PDO” means a person that establish, maintain, and operate PM-WANI complaint Wi-Fi access points and deliver internet services to user(s); and
 - (d) “public data office aggregator” or “PDOA” means a person that acts as an aggregator of PDOs and perform the functions relating to authorisation and accounting.
- (2) The provisions of this Part D shall apply to authorised entities holding PM-WANI service authorisation.
- (3) The scope of PM-WANI service authorisation comprises the following:
 - (a) as Public Data Office Aggregator (PDOA):
 - (i) aggregate multiple Wi-Fi Access Network Interface (WANI) enabled Wi-Fi access points operated by individual PDOs registered with the central registry, with which it has entered into specific agreements for aggregation, accounting and related functions; and
 - (ii) authorise users, authenticated by the App Providers, to access the internet service through individual PDOs.
 - (b) as App provider, develop an App to:

- (i) register and authenticate users; and
 - (ii) discover WANI compliant Wi-Fi hotspots in the nearby area and display the same within the App for accessing the internet service.
- (4) An authorised entity providing the PM-WANI service may perform the functions of a PDOA or an App provider, or both.
- (5) An authorised entity shall only provide telecommunication services authorised under the scope of its authorisation, and not any other telecommunication service(s) which may require a separate authorisation from the Central Government.

63. Fee and charges

There shall be no authorisation fee to be paid by the authorised entity.

64. Technical and Operating Conditions

- (1) An authorised entity shall ensure that Wi-Fi Access Network Interface (WANI) allows the interworking among systems and software applications used by the Public Data Office Aggregator (PDOA), Public Data Office (PDO), App provider, and central registry.
- (2) An authorised entity performing the functions of a Public Data Office Aggregator (PDOA) shall:
 - (a) aggregate multiple WANI enabled Wi-Fi access points being operated by PDOs and authorise users, authenticated by the App provider, to access internet services;
 - (b) ensure that the PDO with which it enters into agreement for aggregation, accounting, and other related functions, complies with the following:
 - (i) establish, maintain and operate only WANI compliant Wi-Fi access points;
 - (ii) has internet connectivity from an authorised entity or licensee authorised to provide internet service, and may network up to one hundred access points to create a single Wi-Fi hotspot; and
 - (iii) notifications, orders, directions, or guidelines as may be issued by the Central Government from time to time;
 - (c) ensure that the PDO with which it enters into agreement for aggregation, accounting, and other related functions make efforts to deploy the Wi-Fi Hotspot Access Point equipment made in India, through which internet services shall be provided;
 - (d) register with the central registry using its public certificate for signature validation, and also register the Wi-Fi Access Points along with SSIDs and locations of its associated PDOs;
 - (e) integrate its captive portal with different types of digital payment service providers including UPI, e-wallets, credit and debit cards, online banking, to enable payment transactions by users;
 - (f) declare the tariff for users and keep account of usage of each user;
 - (g) maintain the details of usage of individual user at a given point of time and the internet traffic shall route directly from Wi-Fi Access Point of PDO to the network of interconnecting authorised entity;
 - (h) make efforts to deploy the technology designed and developed in India and Wi-Fi access point equipment made in India, through which internet services shall be provided;
 - (i) address the complaints of users in accordance with notifications, orders, directions, or guidelines as may be issued by the Central Government from time to time; and
 - (j) ensure that its captive portal complies with notifications, orders, directions, or guidelines as may be issued by the Central Government from time to time.

- (3) An authorised entity performing the functions of a PDOA may:
- enter into mutual agreement for roaming facilities with another authorised entity performing the functions of a PDOA, permitting their users to access internet service from the Wi-Fi access points associated with either of them, either directly or through centralised platform established by PDOA(s); and
 - push advertisements to the users of PM-WANI service, either directly or through centralized platforms owned by them, subject to the consent of such users.
- (4) An authorised entity performing the functions of an App provider shall:
- develop and maintain a software application and backend authentication infrastructure for users to signup, discover WANI compliant Wi-Fi hotspots, and do single-click connect from within the App;
 - register with central registry using its public certificate for signature validation;
 - ensure that App allows users to create a profile and do their mobile verification using OTP;
 - develop an algorithm and reauthenticate each user periodically based on the predefined algorithm;
 - enable any user authenticated by an App provider to use any WANI compliant Wi-Fi Access Point operated by any PDO for accessing the internet service; and
 - submit an application to the central registry provider for certification of the systems and software applications of App provider, in the form and manner as may be specified by the Central Government:

Provided that, the authorised entity shall address clarifications or provide further documents, if any, sought by the central registry provider, prior to certifying any systems and software applications of App provider, within twenty days of such clarification or further documents sought, and resubmit the application to the central registry provider for certification.

65. Security Conditions

- An authorised entity shall maintain user information for two years and take necessary steps to ensure compliance with all applicable laws and policies to protect data privacy and confidentiality of user information.
- An authorised entity shall, subject to terms and conditions of the authorisation, take all necessary steps to safeguard the privacy and confidentiality of any information of a user and its business to whom it provides the telecommunication service.

Part E: In-Flight and Maritime Connectivity (IFMC) service authorisation

66. Scope of IFMC Service authorisation

- The provisions of this Part E shall apply to authorised entities holding IFMC service authorisation.
- IFMC service may be provided on ships or aircrafts using wireless media, and its scope shall comprise of the following:
 - transmission, emission or reception of voice or non-voice messages, including video messages; or
 - internet service.
- In order to provide IFMC services, an entity holding IFMC service authorisation shall also be required:
 - in respect of services specified under clause (a) of sub-rule (2), to hold an access service authorisation and long distance service authorisation, or enter into a mutual agreement with another authorised entity providing access service and long distance service;

- (b) in respect of services specified under clause (b) of sub-rule (2), to hold an access service authorisation or an internet service authorisation, and long distance service authorisation, or enter into a mutual agreement with another authorised entity providing access service or internet service, and long distance service.
- (4) An authorised entity may establish base station or Wi-Fi enabled local area network inside a ship or an aircraft, as the case may be, and connect such base station or Wi-Fi enabled local area network with the telecommunication network of such other authorised entity with whom an agreement has been entered into under sub-rule (3) to provide IFMC service.
- (5) An authorised entity holding an IFMC service authorisation, shall only provide telecommunication services under the scope of its authorisation, and not any other telecommunication service which may require a separate authorisation from the Central Government.

67. Fee and charges

- (1) An authorised entity shall pay an annual authorisation fee of one rupee, payable to the Central Government from the effective date of authorisation:

Provided that the authorised entity shall pay the authorisation fee for the entire duration of the authorisation, in advance, at the time of grant of authorisation.
- (2) The revenue earned by the other authorised entity with whom an agreement has been entered into under sub-rule (3) of rule 66, from the entity authorised to provide IFMC service, shall be included in the AGR of such other authorised entity.

68. Technical and operating conditions

- (1) An authorised entity holding IFMC service authorisation shall comply with the technical and operating conditions set forth under this rule.
- (2) An authorised entity may connect its base station or Wi-Fi enabled local area network established inside a ship or an aircraft, as the case may be, with the telecommunication network of another authorised entity with whom an agreement has been entered into under sub-rule (3) rule 66, using satellite network or Direct-Air-to-Ground Communication (DA2GC) systems, and for operating such base station, the access spectrum of such other authorised entity shall be used;
- (3) An authorised entity shall ensure that messages are passed through a satellite gateway earth station located in India, when using a satellite network for providing IFMC services under sub-rule (2).
- (4) An authorised entity shall ensure that the requisite satellite-based connectivity is obtained from the entities authorised to provide satellite-based connectivity and having satellite earth station gateway in India.
- (5) An authorised entity shall ensure that the requisite Direct-Air-to-Ground Communication (DA2GC) system is obtained from the entities authorised to provide such systems.
- (6) An authorised entity providing voice or non-voice message telecommunication service in an aircraft, shall do so at minimum height of three thousand meters within the service area, to avoid interference with terrestrial wireless telecommunication networks.
- (7) Notwithstanding the minimum height requirement in sub-rule (6), an authorised entity may make available internet services, through Wi-Fi enabled local area network, in an aircraft when user terminals are permitted to be used in such aircraft:

Provided that the authorised entity shall provide such internet services in an aircraft only when the user terminals are used in airplane mode.

- (8) An authorised entity shall ensure that any modification of an aircraft registered in India, to provide IFMC services shall be done with the prior approval of the Directorate General of Civil Aviation and as per provisions of Bharatiya Vayyan Adhiniyam, 2024.

- (9) An authorised entity shall, to avoid interference, ensure separate telecommunication network for IFMC service and navigation system in aircrafts or ships.
- (10) The provision of IFMC service in an aircraft or a ship shall be in the exclusive control of the pilot or the captain of such aircraft or ship, as the case may be, to enable him to disconnect provision of the IFMC service during any difficulty.

69. Security conditions

- (1) The Central Government or the relevant authorised agency may monitor or intercept the IFMC services, as may be deemed necessary.
- (2) An authorised entity, through another authorised entity with whom an agreement has been entered into under sub-rule (3) of rule 66, shall ensure that the required lawful interception systems and lawful interception and monitoring facilities are integrated with the Centralised Monitoring System (CMS) or Internet Monitoring System (IMS), as applicable, prior to the commercial launch of IFMC services.
- (3) An authorised entity shall comply with the Telecommunications (Procedures and Safeguards for Lawful Interception of Messages) Rules, 2024, and notifications, orders, directions or guidelines issued by the Central Government under such rules.

Part F: Aeronautical Data Communication Service Authorisation

70. Scope of Aeronautical Data Communication Service authorisation

- (1) The provisions of this Part F shall apply to authorised entities holding Aeronautical Data Communication service authorisation.
- (2) For the purpose of Part F of Chapter 6:
 - (a) “aeronautical data communication service” means the exchange of data between aircraft and ground station for the purpose of airline operational communication (AOC) or air traffic management (ATM) using the spectrum allocated for aeronautical mobile (Route) service in the NFAP; and
 - (b) “aeronautical mobile (route) service” means an aeronautical mobile service reserved for communications relating to safety and regularity of flight, primarily along national or international civil air routes.
- (3) The scope of aeronautical data communication service authorisation shall comprise of the data communication service between aircraft and ground stations.
- (4) An authorised entity may establish one or more ground stations in its service area to provide aeronautical data communication service, under sub-rule (2), to airline operators or air navigation service providers.
- (5) An authorised entity shall only provide telecommunication services authorised under the scope of its authorisation, and not any other telecommunication service which may require a separate authorisation from the Central Government.

71. Fee and Charges

An authorised entity shall pay an annual authorisation fee of one rupee, payable to the Central Government from the effective date of authorisation:

Provided that the authorised entity shall pay the authorisation fee for the entire duration of the authorisation, in advance, at the time of grant of authorisation.

72. Technical and operating conditions

- (1) An authorised entity holding aeronautical data communication service authorisation shall comply with the technical and operating conditions set forth under this rule.
- (2) An authorised entity shall ensure that its telecommunication network, is not interconnected with telecommunications networks pertaining to public telecommunication services such as PSTN, PLMN, internet, or GMPCS network.

- (3) An authorised entity shall rollout the telecommunication network using assigned spectrum, within twelve months from the date of assignment of such spectrum for any ground station, as required for providing aeronautical data communication services to users.
- (4) The roll out of the telecommunication network at any ground station, for which spectrum has been assigned by the Central Government, shall mean installation and commissioning of the ground station.
- (5) An authorised entity shall register with the Central Government, in the form and manner as may be specified, for verification of the compliance of rollout obligations, as per the test schedule and test procedure (TSTP) specified by the Central Government.
- (6) On successful verification under sub-rule (5), the date of registration with the Central Government shall be treated as the date of compliance of the rollout obligations.
- (7) In case of failure upon verification under sub-rule (5), an authorised entity shall re-register, after necessary corrections, and in such cases, the date of re-registration with the Central Government, on successful verification, shall be treated as the date of compliance of the rollout obligation.
- (8) Any failure to comply with the rollout obligations shall be treated as breach of terms and conditions of the authorisation and shall be dealt as per the Telecommunications (Adjudication and Appeal) Rules, 2025.

Provided that if the rollout obligations are complied with within thirty days of the expiry of the due date for complying with such obligations, the Central Government shall consider the same as fulfilment of rollout obligation, without treating it as breach of terms and conditions of the authorisation.

- (9) In case of failure to comply with the rollout obligations, in addition to imposition of civil penalty as per the Telecommunications (Adjudication and Appeal) Rules, 2025, the spectrum assignment for ground station, may be withdrawn in accordance with sub-section (2) of section 7 of the Act.

73. Security conditions

An authorised entity shall ensure security of its telecommunication network and comply with notifications, orders, directions, or guidelines as may be issued by the Central Government in this regard.

Part G: International SIM service authorisation

74. Scope of International SIM service authorisation

- (1) The provisions of this Part G shall apply to authorised entities holding International SIM service authorisation.
- (2) The International SIM service authorisation shall be in respect of international SIM service to an Indian user intending to visit abroad for a specified duration, the scope of which shall comprise of the following:
 - (a) selling or renting of SIM of foreign telecommunication service providers; or
 - (b) selling of global calling cards.
- (3) An authorised entity shall only provide telecommunication services authorised under the scope of its authorisation, and not any other telecommunication service which may require a separate authorisation from the Central Government.

75. Fee and Charges

There shall be no authorisation fee to be paid by the authorised entity.

76. Technical and operating conditions

- (1) An authorised entity holding International SIM service authorisation shall comply with the technical and operating conditions set forth under this rule.
- (2) An authorised entity shall ensure that the sale or rental of SIM of foreign telecommunication service providers or global calling card, is solely for the purpose of use by its users outside India:

Provided that calls within forty-eight hours prior to departure of the user or twenty-four hours after the arrival of the user may be permitted;

Provided further that such calls made from India through such SIM of foreign telecommunication service providers or global calling card, shall be accounted for as international roaming calls.

- (3) An authorised entity shall, prior to sale or rental of global calling cards or SIM of foreign telecommunication service providers to its users, authenticate the identity of such users in the manner specified below:
 - (a) obtain a copy of the valid passport of such user;
 - (b) additional proof of identity and proof of address as may be specified by the Central Government;
 - (c) a copy of a valid visa; and
 - (d) for the countries where visa is not required for Indian nationals, or where visa is issued on arrival to the Indian nationals, obtain a copy of valid travel ticket along with an undertaking from the user specifying the name of country or places where such user intends to visit.
- (4) An authorised entity shall, on a monthly basis, submit the following to the relevant authorised agency specified for this purpose:
 - (a) full particulars, including address of the user to whom global calling cards or SIM of foreign telecommunication service providers has been provided on sale or rent and period of allotment, in the form and manner as may be specified by the Central Government; or
 - (b) a 'Nil' report in case of no sale or rent of global calling cards or SIM of foreign telecommunication service providers during the relevant month.
- (5) The authorised entity shall, before enrolling a user, provide details of types of telecommunication services offered, telecommunication network coverage, corresponding tariff plans, itemised bill in electronic form, complaint redressal system, contact details of its customer care and also of telecommunication service provider outside India, and any other information, in the manner, as may be specified by the Central Government, to such user.

SCHEDULE A: PROCESSING FEE, ENTRY FEE AND INITIAL GUARANTEE FOR AUTHORISATIONS FOR TELECOMMUNICATION SERVICES

Sl.No.	Service Authorisation	Processing Fee (in Rs.)	Entry Fee (in Rs.)	Initial Guarantee (in Rs.)
1.	PMRTS Authorisation	10,000	20,000	20,000
2.	Enterprise Communication Service Authorisation	10,000	Nil	2 lakh
3.	M2M Service Authorisation	10,000	Nil	Nil
4.	PM WANI Service Authorisation	Nil	Nil	Nil
5.	IFMC Service Authorisation	10,000	Nil	Nil
6.	Aeronautical Data Communication Service Authorisation	10,000	1 lakh	Nil
7.	International SIM Service Authorisation	10,000	Nil	Nil

SCHEDULE B: SERVICE AREAS

Sl.No.	Service Area	Area Covered
1.	West Bengal Service Area	Entire area falling within the Union Territory of Andaman & Nicobar Islands and area falling within the State of West Bengal and the State of Sikkim excluding the areas covered by Kolkata Service Area
2.	Andhra Pradesh Service Area	Entire area falling within the State of Andhra Pradesh and Telangana state
3.	Assam Service Area	Entire area falling within the State of Assam.
4.	Bihar Service Area	Entire area falling within the re-organised State of Bihar and newly created State of Jharkhand pursuant to the Bihar

		Reorganisation Act, 2000 (No.30 of 2000) dated 25th August, 2000
5.	Gujarat Service Area	Entire area falling within the State of Gujarat and Union Territory of Daman and Diu, Silvassa (Dadra & Nagar Haveli)
6.	Haryana Service Area	Entire area falling within the State of Haryana except Panchkula town and the local areas served by Faridabad and Gurgaon Telephone Exchanges
7.	Himachal Pradesh Service Area	Entire area falling within the State of Himachal Pradesh
8.	Jammu & Kashmir Service Area	Entire area falling within the Union Territory of Jammu & Kashmir and Union Territory of Ladakh.
9.	Karnataka Service Area	Entire area falling within the State of Karnataka
10.	Kerala Service Area	Entire area falling within the State of Kerala and Union Territory of Lakshadweep and Minicoy.
11.	Madhya Pradesh Service Area	Entire area falling within the re-organised State of Madhya Pradesh as well as the newly created State of Chattisgarh pursuant to the Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000 (No:28 of 2000) dated 25 th August, 2000.
12.	Maharashtra Service Area	Entire area falling within the States of Maharashtra and Goa, excluding areas covered by Mumbai Service Area.
13.	North East Service Area	Entire area falling within the States of Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Manipur and Tripura.
14.	Odisha Service Area	Entire area falling within the State of Odisha.
15.	Punjab Service Area	Entire area falling within the State of Punjab and Union territory of Chandigarh and Panchkula town of Haryana.
16.	Rajasthan Service Area	Entire area falling within the State of Rajasthan.
17.	Tamilnadu Service Area (including Chennai Service Area)	Entire area falling within the State of Tamilnadu and Union Territory of Puducherry.
18.	Uttar Pradesh (West) Service Area	Entire area covered by Western Uttar Pradesh with the following as its boundary districts towards Eastern Uttar Pradesh :Pilibhit, Bareilly, Badaun, Kasganj (Kanshiram Nagar), Etah, Mainpuri, Etawah and Auraiya. It will exclude the local telephone area of Ghaziabad and Noida. However, it will also include the newly created State of Uttaranchal pursuant to the Uttar Pradesh Re-organisation Act, 2000 (No.29 of 2000) dated 25 th August, 2000.
19.	Uttar Pradesh (East) Service Area	Entire area covered by Eastern Uttar Pradesh with the following as its boundary districts towards Western Uttar Pradesh: Shahjahanpur, Kannauj, Farrukhabad, Lakhimpur, Kanpur Rural and Jalaun (Orai).
20.	Delhi Service Area	Local Areas served by Delhi, Ghaziabad, Faridabad, Noida, and Gurgaon Telephone Exchanges
21.	Kolkata Service Area	Local Areas served by Calcutta Telephones.
22.	Mumbai Service Area	Local Areas served by Mumbai, New Mumbai and Kalyan Telephone Exchanges

SCHEDULE C: FORMAT OF AUTHORISATION FOR TELECOMMUNICATION SERVICES

Department of Telecommunications

Section 3 (1) (a) of the Telecommunications Act 2023

1. In exercise of the powers conferred by Section 3(1)(a) of the Telecommunications Act, 2023, I, _____ (name and Designation), Department of Telecommunications, _____ (address) acting on behalf of the President of India, on considering the Application No ____ Dated grant a(n) (name of the Authorisation) to (name of applicant), _____ (address) (hereinafter in this document referred to as the 'authorised entity').
2. This service authorisation shall be governed by the provisions of the Telecommunications Act, 2023 and the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997, as modified or replaced from time to time, or any other relevant Act; and the rules made thereunder.
3. The salient terms of this authorisation are given below:

- (a) Effective Date of the authorisation: (to be specified)
- (b) Period of Validity of the authorisation: ___ years from the effective date unless revoked earlier for reasons specified as per the applicable Rules made under the Telecommunication Act 2023.
- (c) Scope of the authorisation: as specified in Part “___” of Chapter 6 of the Telecommunications (Authorisation for Provision of Miscellaneous Telecommunication Services) Rules, 2025.
- (d) Service Area of the authorisation: (to be specified)
- (e) Authorised entity shall pay to the Central Government authorisation fee, spectrum charges linked to AGR, and other charges in accordance with the provisions of the applicable rules made under the Telecommunication Act 2023.
- (f) This authorisation is being granted on non-exclusive basis. Additional authorisations may be issued, for same or other types of telecommunication services, in the same Service Area from time to time in future without any restriction on number of authorised entities with same or different entry conditions.
 - (g) This authorisation does not confer any right to assignment of spectrum. For use of spectrum to provision authorised telecommunication services, a separate specific frequency assignment shall be required from the Central Government as per the Rules notified under Section 4 of the Telecommunications Act, 2023.
- (h) Any misstatement or misrepresentation by an authorised entity found at any stage during the period of validity of the authorisation may lead to cancellation of the authorisation or imposition of any other penalty as found appropriate by the Central Government.

Date:

Name & signature of the representative of the Central Government
(On behalf of the President of India)

To,

(Name and Address of the entity)

[F. No. 24-06/2025-UBB]
DEVENDRA KUMAR RAI, Jt. Secy.